[2021] 10 एस. सी. आर 742

स्मृति मदन कंसागरा

बनाम

पेरी कंसागरा

(2021 का विविध आवेदन No.1167)

में।

(2020 की सिविल अपील No.3559)

07 अक्टूबर, 2021

[उदय उमेश ललित, हेमंत गुप्ता और अजय रस्तोगी, जे. जे.]

संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890-नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा-धोखाधड़ी से प्राप्त-न्यायालय की अवमानना-संरक्षकता याचिका

केन्या में बसे पिता (भारतीय मूल के) द्वारा नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा के लिए पारिवारिक न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष दायर किया गया-अनुमत-उच्च न्यायालय के उपक्रम द्वारा पुष्टि की गई जो उसे प्रस्तुत करने के लिए दिया गया था

भारतीय न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र-उच्च न्यायालय के आदेश को माँ द्वारा चुनौती दी गई-अपील को सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत के फैसले से खारिज कर दिया गया

डीटीडी। 28.10.20 – नैरोबी में संबंधित अदालत से दर्पण आदेश प्राप्त करने के अधीन पिता को सौंपे गए बच्चे की अभिरक्षा नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय में उनके द्वारा निर्णय dtd.28.10 के पंजीकरण के लिए दायर किए गए बहुमत निर्णय ओरिजिनेटिंग समन में निहित निर्देशों का पालन करने के लिए दायर किए गए उक्त निर्णय उपक्रम में निहित निर्देशों को दर्शाता है। 20 और दर्पण आदेश प्राप्त करने के लिए-पंजीकरण आदेश dtd.09.11 के माध्यम से दिया गया। 20 – माँ ने एम. ए. दायर कर बहुमत निर्णय के पैराग्राफ 20 में जारी कुछ निर्देशों में संशोधन की मांग की।

आदेश डी. टी. डी. के माध्यम से आवेदन का निपटारा किया गया। 08.12.20 - पिता द्वारा उच्चतम न्यायालय में उक्त आदेश का पालन करने के लिए दिया गया वचन बच्चे को केन्या छुट्टी पर ले जाया गया माँ को प्रवेश से इनकार कर दिया गया

पिता ने अन्य बातों के साथ-साथ केन्या में भी भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए याचिका दायर की: किसी भी स्तर पर पिता ने इस बात को सर्वोच्च न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया कि उनके द्वारा निर्णय के पंजीकरण के लिए सम्मन दायर किए गए थे। 28.10.20 बाद में नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था-यह केवल गंभीर के आधार पर था

उसके द्वारा दिए गए वचन और आदेश dtd.09.11।20 नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया था जो एक होने का अनुमान था

742 श्रीमती मदन कंसागरा बनाम। पेरी कंसागरा

इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में दर्पण आदेश, कि बच्चे की अभिरक्षा उसे सौंपने का निर्देश दिया गया था-इसके अलावा, आदेश dtd.08.12।20 , यह स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय को दिया गया वचन इस न्यायालय को दिए गए वचनों के अलावा भी जारी रहेगा-हालाँकि, इस तरह के वचनों का न केवल स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया था, बल्कि अब भारतीय न्यायालय द्वारा प्राप्त आदेशों के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए एक रुख अपनाया गया है।

अदालत में धोखाधड़ी करना-अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले पक्ष को साफ-सुथरे हाथों से आना चाहिए, विशेष रूप से बच्चों की हिरासत के मामलों में-पिता द्वारा प्रासंगिक मोड़ पर भौतिक तथ्यों का खुलासा न करना।

यह दर्शाता है कि उन्होंने अस्वच्छ हाथों से भारतीय न्यायालयों का दरवाजा खटखटाया था। 28.10.20 और आदेश dtd.08.12।20 पिता द्वारा दायर संरक्षकता याचिका को खारिज कर दिया गया है-उसके साथ बच्चे की अभिरक्षा अवैध है और शुरुआत से ही अमान्य है-अवमानना के लिए नोटिस

जारी-आगे के निर्देश जारी किए गए।

संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890-पेरेंस पेट्रिया अधिकार क्षेत्र

-

आयोजित किया गया: जहाँ कहीं भी नाबालिग की अभिरक्षा विवाद का विषय है, माता-पिता के क्षेत्राधिकार में नाबालिग की प्राथमिक अभिरक्षा न्यायालय के पास है जो तब अभिरक्षा को उस व्यक्ति को सौंप सकता है जो सबसे उपयुक्त होगा-धोखाधड़ीपूर्ण आचरण और योजना के साथ न्यायालय से ऐसी अभिरक्षा प्राप्त करने के लिए शुरू की गई कोई भी कार्रवाई न्यायालय की प्रक्रिया में धोखाधड़ी होगी।

विविध अनुप्रयोग और संबंधित का निपटान

अंतरिम आवेदन, न्यायालय

पकड़ना: 1.1 दस्तावेज़ और घटनाक्रम से पता चलता है: (i) 'पी' (पिता) ने एक स्पष्ट वचन दिया था

उच्च न्यायालय कि वह भारतीय न्यायालयों की अधिकारिता के समक्ष प्रस्तुत करेगा। उन्होंने इस न्यायालय को एक गंभीर वचन भी दिया था।

((ii) में उठाए गए एक विशिष्ट निवेदन के जवाब में

2020 का विविध आवेदन No.2140 (पैराग्राफ 16 में उद्धृत), यह 'पी' द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि उन्होंने खुद को इसके अधीन कर लिया था

इस न्यायालय की अधिकारिता। दिनांकित 8.12.2020 आदेश में प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि 'पी' द्वारा उच्च न्यायालय को दिया गया वचन जारी रहेगा

कार्यात्मक, इस न्यायालय को दिए गए वचन के अतिरिक्त।

दिनांकित 28.10.2020 निर्णय में निहित निर्देशों को प्रतिबिंबित करें। इसके बाद, नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय द्वारा पारित 9.11.2020 दिनांकित आदेश के साथ-साथ 'पी' द्वारा दिनांकित निर्णय के पंजीकरण के लिए दायर प्रासंगिक आवेदन। 28.10.2020 , इस अदालत में दायर किया गया था।

(iv) नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 9.11.2020 आदेश के माध्यम से दिए गए पंजीकरण पर विवाद था।

यह "मिरर ऑर्डर" की आवश्यकता को पूरा करने के बराबर था। दिनांकित 8.12.2020 आदेश के पैराग्राफ 10 में, इस न्यायालय ने कहा कि नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के निर्णय का पंजीकरण केन्या में एक सक्षम न्यायालय से जारी "दर्पण आदेश" प्राप्त करने के निर्देशों का पर्याप्त अनुपालन था।

(v) इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 28.10.2020 निर्णय और दिनांकित 8.12.2020 आदेश इस प्रकार प्रस्तुत किए गए थे -

यह प्रस्तुत करते हुए कि नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.11.2020 इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.10.2020 को पंजीकृत करते समय वास्तव में "दर्पण आदेश" था।

(vi) अब यह स्पष्ट हो जाता है कि एक बाद के आदेश द्वारा दिनांकित

रजिस्ट्रेबल और 'पी' द्वारा दायर 30.10.2020 दिनांकित ओरिजिनेटिंग समन को खारिज कर दिया। (vii) किसी भी स्तर पर 'पी' ने इस विकास को इस न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया कि उनके द्वारा मूल समन की मांग की गई थी।

इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 28.10.2020 के निर्णय के पंजीकरण को नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय द्वारा 21.5.2021 पर खारिज कर दिया गया था। भारतीय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत होने के बाद

यह वह आधार था जिसके आधार पर इस न्यायालय ने उन्हें 'ए' (बच्चे) की अभिरक्षा सौंप दी थी। (viii) यह उल्लंघन इस अदालत में दायर किए गए उनके हलफनामे दिनांक 5.8.2021 में लिए गए रुख के आलोक में अधिक स्पष्ट हो जाता है।

पेरी कंसागरा

और अनुच्छेद 22 में संदर्भित किया गया है। उस हलफनामे 'पी' में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उनका इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवज्ञा करने का दूरगामी इरादा भी नहीं था, जिसमें दिनांकित निर्णय भी शामिल था।

28.10.2020 . फिर भी, 21.05.2021 दिनांकित आदेश जैसी बुनियादी और मौलिक चीज़ को इस न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था।

(ix) 'एस' (मां) द्वारा दायर 2021 के विविध आवेदन No.1167 ने उसके और उसके बीच आदान-प्रदान किए गए ई-मेल को संलग्न किया था।

' पी 'और प्रार्थना की कि' पी 'को छुट्टी तक पहुँच के संबंध में निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाए। जवाब में, यह कहने के अलावा कि उनका इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अवज्ञा करने का कोई इरादा नहीं था, 'पी' ने 'ए' को भारत भेजने के बारे में चिंता व्यक्त की। इस देश की स्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ होने के कारण, इस न्यायालय द्वारा अपने दिनांकित 11.08.2021 आदेश में एक समाधान तैयार किया गया था और भारत में 'ए' के प्रवेश और सुरक्षित तरीके से उसके बाहर निकलने की सुविधा के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए थे। विशेष रूप से 11.08.2021 पर, इस न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर नहीं खींचा गया था कि 09.08.2021 की स्थितिजन्य रिपोर्ट बनाई गई थी या केन्या में संबंधित अधिकारियों द्वारा मामले को देखा जा रहा था।

(x) 11.08.2021 'P' दिनांकित आदेश में जारी स्पष्ट निर्देशों के बावजूद आदेश का पालन करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था। वास्तव में, जब तक मामले को 16.08.2021 पर आगे की सुनवाई के लिए लिया गया, तब तक 'पी' ने उस वकील के पक्ष में प्राधिकरण को वापस लेने की मांग की जो हर समय उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस न्यायालय के समक्ष। जैसा कि 2021 के आई. ए. 100550 में बताया गया है, 'एस' और 'ए' के बीच सप्ताह के अंत में स्काइप बैठकों को 14.08.2021

और 15.08.2021 के सप्ताह के अंत से सुविधाजनक नहीं बनाया गया था। ' पी 'ने' एस 'के साथ संचार के सभी साधनों को भी अवरुद्ध कर दिया। हालांकि कानून में 'पी' की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता उनका प्रतिनिधित्व करना जारी रखेंगे, इसके अलावा नैरोबी के भारतीय दूतावास के माध्यम से 'पी' पर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया था।

(xi) 'पी' द्वारा प्रदर्शित अवज्ञाकारी रवैये और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन करने से उनके इनकार के आलोक में, एड-अंतरिम

2021 के अपने आई. ए. No.100550 में 'एस' द्वारा की गई प्रार्थनाओं (डी) (ई) और (एफ) के संदर्भ में राहत इस न्यायालय द्वारा अपने दिनांकित आदेश के माध्यम से दी गई थी।

17.08.2021 .

(xii) अंत में, 2021 की याचिका No.E301 और-'P' की ओर से प्रस्ताव की सूचना दायर की गई, जिसे 26.08.2021 पर नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय में दायर किया गया था। उक्त याचिका और प्रस्ताव की सूचना में 'पी' द्वारा लिया गया रुख यह है कि 'ए' को ओ. सी. आई. कार्ड लेने के लिए मजबूर करना अपमानजनक होगा; कि 'ए' की इच्छाओं को इस न्यायालय द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया था; कि कोई वैध दर्पण आदेश नहीं था और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार के बिना थे। उन्होंने घोषणा के लिए प्रार्थना की है कि कोई वैध "दर्पण आदेश" मौजूद नहीं है और इन परिस्थितियों में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश अनुपालन और/या प्रवर्तन में असमर्थ हैं। [पैरा 34]

[802 - ए-एच; 803-ए-एच; 804-ए-ई]

1.2 ये घटनाक्रम न केवल 'पी' द्वारा अब अपनाई गई अवज्ञाकारी और विवादास्पद मुद्रा को दर्शाते हैं, बल्कि पैराग्राफ 25,27 और 28 में निर्दिष्ट अंतरिम आवेदनों में किए गए 'एस' के प्रस्तुतिकरण का प्रथम दृष्टया समर्थन करते हैं। यह मानने के लिए ठोस सामग्री और कारण प्रतीत होते हैं कि यह 'पी' की ओर से एक सुनियोजित साजिश थी ताकि इस अदालत को उसके पक्ष में आदेश पारित करने और उसे 'ए' की हिरासत की अनुमति देने के लिए राजी किया जा सके और फिर इस अदालत के आदेशों की अवहेलना की जा सके। यह बुनियादी बात है कि अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले पक्ष को साफ हाथों के साथ आना चाहिए, विशेष रूप से बाल अभिरक्षा मामलों में। कोई भी धोखाधड़ीपूर्ण आचरण जिसके आधार पर न्यायालय के आदेशों के तहत नाबालिग की अभिरक्षा प्राप्त की जाती है, संबंधित व्यक्ति में न्यायालय द्वारा व्यक्त विश्वास के तत्व को नकार देगा और रद्द कर देगा। जहाँ कहीं भी नाबालिग की अभिरक्षा माता-पिता या संबंधित पक्षों के बीच विवाद का विषय है, नाबालिग की प्राथमिक अभिरक्षा, माता-पिता के क्षेत्राधिकार में, न्यायालय के पास है जो तब उस व्यक्ति को अभिरक्षा सौंप सकता है जो

न्यायालय की नज़र में सबसे उपयुक्त व्यक्ति होगा। धोखाधड़ीपूर्ण आचरण और योजना के साथ न्यायालय से ऐसी अभिरक्षा प्राप्त करने के लिए शुरू की गई कोई भी कार्रवाई प्रक्रिया में धोखाधड़ी होगी।

1.3 हालाँकि, हर मोड़ पर 'पी' द्वारा उच्च न्यायालय और इस न्यायालय को गंभीर वचन दिए गए थे, ऐसे वचनों का न केवल स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया था, बल्कि अब एक रुख अपनाया गया है। भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में खुद को प्रस्तुत करने के बावजूद, भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देना। इस तरह का आचरण, प्रथम दृष्टया, निश्चित रूप से कहा जा सकता है

अवमानना क्षेत्राधिकार में कार्रवाई के लिए अपमानजनक आह्वान।

श्रीमती मदन कंसागरा बनाम। पेरी कंसागरा

कि निचली अदालत, उच्च न्यायालय और इस अदालत द्वारा आदेश पारित किए जाने से पहले जो स्थिति थी, वह बहाल हो जाए, जिसके बाद पेरेंट्स पेट्रिया में उचित निर्णय लिया जा सकता है। अधिकार क्षेत्र। [पारस 39,40] [822-सी-एफ]

1.4 यह सच है कि 'ए' अब केन्या में है। लेकिन उन्हें केवल धोखाधड़ी से प्राप्त आदेशों के आधार पर केन्या ले जाया गया था अदालत। भारतीय न्यायालय जो पहले संपर्क के न्यायालय थे और जिनका 'ए' पर पूरा अधिकार क्षेत्र था, उन्हें गलतियों को सुधारने के लिए ऐसी शक्ति और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखना चाहिए।

'पी' की ओर से धोखाधड़ीपूर्ण आचरण के परिणामस्वरूप। यहां यह कहा जा सकता है कि हर मोड़ पर 'ए' का कल्याण भारतीय न्यायालयों के लिए प्राथमिक विचार था और हमेशा बना रहेगा। उनका साक्षात्कार बहुत सक्षम और योग्य सलाहकारों द्वारा किया गया था, जिनकी रिपोर्ट और मूल्यांकन रिकॉर्ड का हिस्सा रहे हैं। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और इस कोर्ट द्वारा भी ए 'का साक्षात्कार लिया गया था। किसी भी स्तर पर 'एस' द्वारा किसी भी दुर्व्यवहार का सुझाव या विज्ञापन 'ए' द्वारा भी नहीं किया गया था। [पैरा 41] [822-जी-एच; 823-ए-बी]

1.5 अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्देश पारित किए गए: - (ए) 28.10.2020 दिनांकित निर्णय और दिनांकित आदेश

08.12.2020 इस न्यायालय द्वारा पारित किए गए पत्रों को वापस लिया जाता है।

(ख) स्थायी अभिरक्षा [2021] 10 एस. सी. आर. के लिए जिला न्यायालय, साकेत, नई दिल्ली में 'पी' द्वारा दायर 2012 की संरक्षकता याचिका No.53।

एम. ए. टी. ए. पी. (एफ. सी.) सहित 'ए' की और उससे उत्पन्न होने वाली परिणामी कार्यवाहियां। उच्च न्यायालय में दायर 2018 का No.30 खारिज कर दिया जाता है।

(ग) अभिरक्षा देने वाले आदेशों को वापस लेने के बाद, 'पी' के साथ 'ए' की अभिरक्षा अवैध है और शुरुआत से ही अमान्य है।

(डी) 'पी' को नोटिस जारी करें कि अवमानना का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना क्षेत्राधिकार में कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जाए

इस न्यायालय को दिए गए गंभीर वचन, जो 16 नवंबर, 2021 को वापस करने योग्य हैं। रजिस्ट्री को सुओ मोटू अवमानना मामला दर्ज करने और उसके अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता है।

(ई) केंद्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली अपने निदेशक के माध्यम से पंजीकरण करके उचित कार्यवाही शुरू करने के लिए

'पी' के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही और 'ए' की अभिरक्षा को 'एस' को सुरक्षित करना और सौंपना।

(च) सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली और केन्या में भारतीय दूतावास यह सुनिश्चित करेंगे कि

कि 'ए' की अभिरक्षा को सुरक्षित करने में 'एस' को सभी संभव सहायता और साजो-सामान सहायता प्रदान की जाए। [पैरा 42] [823-सी-एच]

एस. पी. चेंगलवराय नायडू बनाम जगन्नाथ (1994) 1 एस. सी. सी 1: [1993] 3 पूरक। एस. सी. आर. 422; इंडियन बैंक बनाम सत्यम फाइबर (इंडिया) (पी) लिमिटेड (1996) 5 एस. सी. सी. 550: [1996] 4 पूरक। एस. सी. आर. 464; यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम राजेन्द्र सिंह (2000) 3 एससीसी 581: [2000] 2 एस. सी. आर. 264; रामचंद्र सिंह बनाम। सावित्री देवी (2003) 8 एससीसी 319: [2003] 4 पूरक। एस. सी. आर. 543; हमज़ा हाजी बनाम। केरल राज्य (2006) 7 एस. सी. सी. 416: [2006] 4 पूरक। एससीआर 604; केडी शर्मा बनाम सेल (2008) 12 एससीसी 481 [2008] 10 एससीआर 454; मेघमाला बनाम। जी. नरसिम्हा रेड्डी (2010) 8 एससीसी 383: [2010] 10 एस. सी. आर. 47; बादामी बनाम भाली (2012) 11

एस. सी. सी. 574 [2012] 6 एस. सी. आर. 75-पर निर्भर था।

मामला कानून संदर्भ

[1993] 3 पूरक। एससीआर 422

पैरा 37

(ए)

उस पर भरोसा करें

[1996] 4 पूरक। एससीआर 464

पैरा 37

(बी)

उस पर भरोसा करें

[2000] 2 एससीआर 264

पैरा 37

(सी)

उस पर भरोसा करें

श्रीमती मदन कंसागरा बनाम। पेरी कंसागरा

उस पर भरोसा करें

पैरा 37

(डी)

[2003] 4 पूरक। एससीआर 543

[2006] 4 पूरक। एससीआर 604

पैरा 37

(ई)

उस पर भरोसा करें

[2008] 10 एससीआर 454

पैरा 37

(एफ)

उस पर भरोसा करें

पैरा 37

(जी)

[2010] 10 एससीआर 47

उस पर भरोसा करें

[2012] 6 एससीआर 75

उस पर भरोसा करें

पैरा 37

(एच)

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: विविध अनुप्रयोग

2021 का No.1167।

में।

2020 की सिविल अपील संख्या 3559। उच्च न्यायालय के 25.02.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

एम. ए. टी. ऐप में नई दिल्ली में। (एफ. सी.) 2018 का No.30।

तुषार मेहता, एस. जी., अमरजीत सिंह चांधियोक, सुश्री सोनिया माथुर,

श्री एड. , बी. वी. बलराम दास, प्रोसेनजीत बनर्जी, सुश्री निधि मोहन पराशर, सुश्री मानसी शर्मा, सुश्री श्रेया सिंघल, केशव सहगल, विक्रांत कुमार, सुश्री विधि जैन, अनिंदित मंडल, अनुनय मेहता, सुश्री इंद्रजीत सरूप, पी. के. मनोहर, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

उदय उमेश ललित, जे।

1. 2020 की सिविल अपील No.3559 संरक्षकता याचिका से उत्पन्न हुई

पेरी कंसाग्रा (इसके बाद 'पेरी' के रूप में संदर्भित) द्वारा दायर किया गया, आदित्य विक्रम कंसाग्रा नामक नाबालिग के पिता (इसके बाद के रूप में संदर्भित)

' आदित्य '), जिला न्यायालय, साकेत, नई दिल्ली के समक्ष अधिनियम 1 की धारा 7,8,10,11 के तहत। पेरी भारतीय मूल की और गुजराती मूल की हैं। उनके दादा 1935 में केन्या चले गए और वहाँ बस गए। परिवार के केन्या और यूनाइटेड किंगडम में व्यावसायिक हित हैं। पेरी के पास केन्या के साथ-साथ यूनाइटेड किंगडम की दोहरी नागरिकता है। पेरी को मिला नई दिल्ली में 29.07.2007 पर एक भारतीय नागरिक स्मृति मदन कंसागरा (इसके बाद 'स्मृति' के रूप में संदर्भित) से शादी की। शुरू में, दंपति नैरोबी, केन्या में रहे लेकिन स्मृति 2009 में भारत लौट आईं। दंपति को नई दिल्ली में 02.12.2009 पर एक बेटे-आदित्य का आशीर्वाद मिला। 2012 में एक संक्षिप्त अवधि को छोड़कर जब दंपति केन्या गए थे,

आदित्य हमेशा स्मृति के साथ दिल्ली में रहे जब तक कि 2020 की वनहीन सिविल अपील का निपटारा नहीं हो गया।

1 संरक्षकता और वार्ड अधिनियम, 1890 [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. 26.5.2012 पर, सिविल सूट (O. S.) 2012 का No.1604 स्मृति द्वारा पेरी और उनके माता-पिता के खिलाफ उच्च न्यायालय 2 में दायर किया गया था जिसमें निम्नलिखित की मांग की गई थी:

राहत की चीज़ें:

" (क) प्रतिवादियों, उनके एजेंटों, प्रतिनिधियों, सेवकों और/या वकीलों को किसी भी तरह से बच्चे को हटाने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित करें।

या तो वादी संख्या 2 की वैध अभिरक्षा से या बच्चे को दिल्ली से हटाने से; इस माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में या सुंदर नगर में अपने स्कूल "टॉडलर्स ट्रेन" में बच्चे तक पहुँचने से,

नई दिल्ली।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निर्देश देते हुए एक आदेश पारित करें, भारतीय आप्रवासन प्राधिकरण, 'एफ. आर. आर. ओ.' अनुपालन सुनिश्चित करेगा

प्रार्थना 'ए' ऊपर। (ग) प्रतिवादियों, उनके एजेंटों, प्रतिनिधियों, सेवकों और/या वकीलों को वादी संख्या 1 से मिलने से स्थायी रूप से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित करें।

वादी सं. 2 की सहमति/उपस्थिति "

3. 25.05.2012 पर, उच्च न्यायालय द्वारा पेरी को आदित्य को हिरासत से हटाने से रोकने के लिए एक पूर्व-पक्षीय विज्ञापन-अंतरिम आदेश पारित किया गया था।

उसकी माँ से। इस मुकदमे में, 2012 का आई. ए. No.12429 पेरी द्वारा आदित्य तक पहुंच की मांग करते हुए दायर किया गया था। हालांकि स्मृति पेरी के खिलाफ नहीं थीं।

आदित्य से मिलने के बाद, यह प्रस्तुत किया गया कि बैठकें केवल उनकी देखरेख में आयोजित की जाएं। अपने दिनांकित 13.07.2012 आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने पेरी को स्मृति की देखरेख में आदित्य से मिलने की अनुमति दी। समय-समय पर इसी तरह के आदेश पारित किए जाते थे। 4.

06.11.2012 पर, पेरी ने 2012 की संरक्षकता याचिका No.53 जिला अदालतों, साकेत, नई दिल्ली के समक्ष दायर की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रार्थना की गई:

" ए। याचिकाकर्ता जो नाबालिग बाल मास्टर आदित्य विक्रम कंसागरा के स्वाभाविक पिता हैं, को कानूनी अभिभावक घोषित करें। संरक्षकता और वार्ड अधिनियम, 1890 की धारा 7;

बी। नाबालिग चाइल्ड मास्टर आदित्य को स्थायी अभिरक्षा प्रदान करें।

याचिकाकर्ता को विक्रम कंसाग्रा;

सी। मुकदमे की सुनवाई और अंतिम निपटान तक, याचिकाकर्ता को नाबालिग बाल शिक्षक आदित्य विक्रम को केन्या एमएस, 166,167, जेम्स गिचुरू रोड में अपने माता-पिता के घर ले जाने की अनुमति दी जा सकती है।

लैविंगटन ग्रीन, नैरोबी, केन्या;

2 नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय श्रीमती मदन कंसागरा बनाम।

पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

डी। मुकदमे के अंतिम निपटारे की सुनवाई तक, याचिकाकर्ता को नाबालिग बाल शिक्षक आदित्य विक्रम को सभी छुट्टियों गर्मियों/दिवाली/क्रिसमस और भारत और विदेश में किसी भी अन्य छुट्टी के लिए ले जाने की अनुमति दी जा सकती है।

5. इन कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, आदित्य को दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड, नई दिल्ली में भर्ती कराया गया था। 31.08.2015 पर, दोनों

6. विभिन्न आदेशों द्वारा पारिवारिक न्यायालय द्वारा समय-समय पर मुलाकात कार्यक्रम में संशोधन किया गया था जिससे पेरी को आदित्य से मिलने और उनसे मिलने का आनंद लेने की अनुमति मिली। संरक्षकता कार्यवाही में की गई अंतरिम कार्यवाही को सिविल अपील का निपटारा करते समय इस न्यायालय के दिनांक 28.10.2020 के बहुमत निर्णय में विस्तार से बताया गया था। 2020 का No.3559।

7. अपने निर्णय और दिनांक 12.01.2018 के आदेश द्वारा, परिवार न्यायालय ने संरक्षकता याचिका को स्वीकार कर लिया और आदित्य को पेरी को हिरासत में दे दिया।

जो शैक्षणिक सत्र 2017-2018 की समाप्ति के बाद लागू होना था।

8. स्मृति ने व्यथित होकर मैट दायर करके परिवार न्यायालय के फैसले को चुनौती दी। ऐप. (एफ. सी.) उच्च न्यायालय के समक्ष 2018 का सं. 30, जिसे उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा खारिज कर दिया था और

दिनांकित आदेश 25.02.2020। उच्च न्यायालय ने इस निर्णय की पुष्टि की कि आदित्य की हिरासत पेरी को दी जाए। उसी तारीख को पारित एक अलग आदेश द्वारा, यह दर्ज किया गया कि पेरी स्मृति को मिलने का अधिकार देने वाले परिवार न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय पासपोर्ट रखने वाली अपनी माँ का एक वचन पत्र दायर करने के लिए तैयार थी। इसने पेरी को केन्या में भारतीय दूतावास के समक्ष इस आशय का वचन देने का भी निर्देश दिया कि वह भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत होंगे; जो आदेश उनकी स्वीकृति के प्रतीक के रूप में कार्यवाही में दायर किया जाएगा।

" (i) पेरी बच्चे के लिए केन्याई पासपोर्ट के लिए आवेदन करेगी, यदि पहले से नहीं किया गया है, और स्मृति आवेदन दाखिल करने में सहयोग करेंगी;
((ii) स्मृति को बच्चे से ऑडियो कॉल/वीडियो कॉल पर हर दिन कम से कम 10 मिनट तक बात करने का अधिकार होगा।

वह समय जो स्कूली शिक्षा और अन्य गतिविधियों के लिए कम से कम विघटनकारी हो

(iii) स्मृति को स्वतंत्र रूप से ई-मेल, पत्रों और पत्रों का आदान-प्रदान करने का अधिकार होगा।

बिना किसी बाधा के बच्चे के साथ अन्य पत्राचार

पेरी या उसका परिवार;

((iv) बच्चे की अस्थायी अभिरक्षा के अनुदान के अलावा

होने वाली तिथियों पर गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों के दौरान स्मृति

आपसी सहमति से। स्मृति नैरोबी, केन्या में बच्चे से मिलने जा सकती हैं। हालाँकि, वह बच्चे को नैरोबी से बाहर ले जाने की हकदार नहीं होगी।

केन्या। पेरी अपनी वापसी हवाई यात्रा का खर्च वहन करेगी-यात्रा के लिए टिकट वर्ष में एक बार भारत से और सात दिनों के लिए आवास;

(v) स्मृति न्यायालय के समक्ष एक बार शपथ पत्र भी दायर करेगी।

आदेश ने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है कि परिवार न्यायालय के निर्देश

नकारात्मक के साथ बच्चे का ब्रेनवॉश करने के लिए उसकी मुलाकात और संपर्क अधिकार प्रतिवादी, उसके परिवार या केन्या के बारे में टिप्पणियां "।

9. उच्च न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित उपक्रम

केन्या में पेरी द्वारा पहना गया और उच्च न्यायालय में दायर किया गया:

45 वर्ष, आर/ओ एमएस 167 जेम्स गिचुरू रोड, लैविंगटन ग्रीन, नैरोबी, केन्या इसके द्वारा गंभीरता से पुष्टि करता है और निम्नानुसार कार्य करता है:

1. कि मैं वर्तमान उपक्रम को इसके अनुपालन में निष्पादित कर रहा हूँ

दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.02.2020

मैट में। ऐप. (एफ. सी.) 2018 का No.30।

श्रीमती स्मृति मदन कंसागरा को दिए गए अधिकार फैमिली कोर्ट साउथ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.01.2018 के माध्यम से

जी-53/2012 में पूर्व, साकेत, दिल्ली और इसे बरकरार रखा गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित 25.02.2020 दिनांकित निर्णय के माध्यम से

एम. ए. टी. ऐप (एफ. सी.) में दिल्ली 2018 का No.30।

3. कि मैं आगे की अधिकारिता के अधीन होने का वचन देता हूँ भारतीय न्यायालय।

एसडी /

विभाग "श्रीमती मदन कंसागरा बनाम। पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

10. उच्च न्यायालय के वनाच्छादित निर्णय को चुनौती दी गई थी

इस न्यायालय में 2020 की सिविल अपील No.3559 दायर करके, जिसे 28.10.2020 पर खारिज कर दिया गया था। निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए,इस न्यायालय के बहुमत निर्णय में पक्षीय टिप्पणियां की गईं:

" (क) स्मृति के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए, हमने पेरी को दर्पण आदेश प्राप्त करने का निर्देश देना आवश्यक समझा है।

नैरोबी में संबंधित न्यायालय से, जो इस निर्णय में निहित निर्देशों को प्रतिबिंबित करेगा।

(ख) अंतर-देशी विवाहों में अंतरराष्ट्रीय माता-पिता के अपहरण से उत्पन्न होने वाले मामलों की बड़ी संख्या को देखते हुए, अंग्रेजी अदालतें

उपक्रम, दर्पण आदेश और सुरक्षित बंदरगाह आदेश, क्योंकि सुरक्षा प्राप्त करने के लिए कोई स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय तंत्र नहीं है उपाय। इस तरह के आदेश उस बच्चे के हितों की रक्षा के लिए पारित किए जाते हैं जो एक अधिकार क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पारगमन में है। अदालतों ने दर्पण आदेशों को सबसे प्रभावी तरीका पाया है

सुरक्षात्मक उपायों को प्राप्त करना।

(ग) प्राथमिक अधिकारिता का प्रयोग उस न्यायालय द्वारा किया जाता है जहाँ बच्चा सामान्य रूप से काफी समय से रह रहा है, और अभिरक्षा के मुद्दे पर एक विस्तृत जांच की है। अदालत पक्षकारों को उस अदालत से "दर्पण आदेश" प्राप्त करने का निर्देश दे सकती है जहाँ बच्चे की अभिरक्षा स्थानांतरित की जा रही है। ऐसा आदेश चरित्र में सहायक या सहायक है, और अदालत द्वारा पारित आदेश का समर्थन करता है जिसने बच्चे की अभिरक्षा पर प्राथमिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार कानून में, यह आवश्यक है कि अधिकार क्षेत्र का प्रयोग एक समय में केवल एक अदालत द्वारा किया जाए। यह ऐसी स्थिति से बचेगा जहां परस्पर विरोधी आदेश हो सकते हैं।

नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा के एक ही मुद्दे पर दो अलग-अलग क्षेत्राधिकारों में अदालतों द्वारा पारित। इन आदेशों को ध्यान में रखते हुए पारित किया जाता है

न्यायालयों की सामूहिकता और सार्वजनिक नीति के सिद्धांत को ध्यान में रखें। दर्पण आदेश का उद्देश्य एक क्षेत्राधिकार से दूसरे क्षेत्राधिकार में पारगमन में नाबालिग बच्चे के हितों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि दोनों

माता-पिता प्रत्येक राज्य में समान रूप से बाध्य हैं।

दर्पण आदेश यह सुनिश्चित करने के लिए पारित किया जाता है कि जिस देश में बच्चे को स्थानांतरित किया जा रहा है, वहां की अदालतें व्यवस्थाओं से अवगत हों जो उस देश में बनाए गए थे जहाँ वे आम तौर पर रहते थे। इस तरह का आदेश उस माता-पिता के हित की भी रक्षा करेगा जो अभिरक्षा खो रहा है, ताकि मिलने के अधिकार और

अस्थायी अभिरक्षा बाधित नहीं है। "[2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हेमंत गुप्ता, जे. ने निम्नलिखित मान्यताओं के साथ एक असहमतिपूर्ण दृष्टिकोण लिखा:

" 102. मुद्दा माता-पिता में बच्चे के कल्याण का पता लगाने का है।

इस न्यायालय की अधिकारिता। जिस प्रश्न की जांच की जानी चाहिए वह यह है कि क्या इस न्यायालय को बच्चे को अपने पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने की अनुमति देनी चाहिए ताकि इस न्यायालय के आदेश की अवज्ञा की संभावना के लिए वह मूक दर्शक बन सके। मेरी राय है कि बच्चे का कल्याण भारत में उसकी माँ के साथ रहना होगा जिसने पिछले 11 वर्षों से बच्चे का पालन-पोषण किया है। बच्चा बुद्धिमान होता है लेकिन खुद निर्णय लेने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं होता है।

यहां तक कि कानून यह मानता है कि 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा अपना प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ है। इसलिए, बच्चे की कोई भी राय बच्चे की अंतिम अभिरक्षा का निर्धारण नहीं करती है, लेकिन माता-पिता के रूप में यह न्यायालय यह निष्कर्ष निकालने के लिए पूरी स्थिति का आकलन करने के लिए बाध्य है कि क्या बच्चे का कल्याण पिता से मिलने के अधिकार के साथ मां के साथ होगा या माता से मिलने के अधिकार के साथ पिता के साथ अभिरक्षा होगी। यदि बच्चे को केन्या ले जाया जाता है, तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे यह न्यायालय आदेशों को लागू कर सके

बच्चे को भारत वापस लाओ, भले ही वह चाहे।

11. इसकी चर्चा के आलोक में, पैराग्राफ में जारी किए गए निर्देश

22 इस न्यायालय के बहुमत निर्णय में थे:

" (a) हम पेरी कंसाग्रा को दर्पण आदेश प्राप्त करने के लिए निर्देशित करते हैं

नैरोबी में संबंधित अदालत इस फैसले की तारीख से 2 सप्ताह की अवधि के भीतर इस फैसले में निहित निर्देशों को प्रतिबिंबित करेगी। नैरोबी में अदालत द्वारा पारित आदेश की एक प्रति

इस न्यायालय के समक्ष दायर किया जाना चाहिए; (ख) इस न्यायालय के समक्ष दर्पण आदेश दायर किए जाने के बाद, पेरी इस न्यायालय की रजिस्ट्री में 1 करोड़ रुपये की राशि जमा करेगी, जो

(ग) पेरी आवेदन करेगी और आदित्य के लिए एक नया केन्याई पासपोर्ट प्राप्त करेगी, स्मृति पूरा सहयोग प्रदान करेगी, और कोई बाधा पैदा नहीं करेगी।

इस संबंध में; श्रीमती मदन कंसागरा बनाम। पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

(घ) इस न्यायालय के समक्ष दर्पण आदेश दायर किए जाने के एक सप्ताह के भीतर, स्मृति जन्म प्रमाण पत्र और स्थानांतरण प्रदान करेगी। दिल्ली पब्लिक स्कूल से प्रमाण पत्र, ताकि पेरी केन्या के एक स्कूल में आदित्य का प्रवेश सुरक्षित कर सके;

(ई) स्मृति सप्ताहांत में एक घंटे के लिए एक उपयुक्त वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग मंच पर आदित्य के साथ जुड़ने के लिए स्वतंत्र होगी; इसके अलावा, आदित्य को अपनी माँ से बात करने की स्वतंत्रता है जब भी वह ऐसा करना चाहता है।

(च) स्मृति को वर्ष में एक बार नई दिल्ली या केन्या में आदित्य की वार्षिक छुट्टियों के दौरान 50 प्रतिशत के लिए पहुँच और मिलने का अधिकार प्रदान किया जाएगा, पेरी को उचित सूचना देने के बाद; (छ) पेरी स्मृति और उनकी माँ से उनकी छुट्टियों के दौरान केन्या में आदित्य से मिलने के लिए एक सप्ताह की अवधि के लिए एक वर्ष में एक यात्रा का खर्च वहन करेंगे। लागत में हवाई किराया और ठहरने का खर्च शामिल होगा।

केन्या में;

(ज) स्मृति आदित्य को नैरोबी, केन्या से बाहर ले जाने की हकदार नहीं होंगी।

पेरी की सहमति के बिना;

(i) हम पेरी और स्मृति को इस अदालत के समक्ष उपक्रम दायर करने का निर्देश देते हैं, जिसमें कहा गया है कि वे इस फैसले की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर इस अदालत द्वारा पारित निर्देशों का पालन करेंगे।

21. एक अंतरिम उपाय के रूप में, हम निर्देश देते हैं कि जब तक पेरी को बच्चे की पूरी अभिरक्षा नहीं दी जाती, वह इसका हकदार होगा

सप्ताहांत के दौरान जब वह भारत आते हैं तो बिना किसी निगरानी के रात भर पहुँच के साथ भेंट, ताकि आदित्य की पढ़ाई में बाधा न आए। पेरी और उनके माता-पिता को इस यात्रा की अवधि के दौरान इस न्यायालय के पंजीयक के समक्ष अपने पासपोर्ट जमा करने होंगे। यात्रा समाप्त होने के बाद, उन्हें पासपोर्ट तुरंत वापस कर दिए जाएंगे।

22. उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस अपील को चार सप्ताह की अवधि के बाद न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा, और यह संतुष्ट होने पर कि उपरोक्त सभी निर्देशों का विधिवत पालन किया गया है, आदित्य विक्रम कंसागरा की अभिरक्षा उनकी मां स्मृति कंसागरा द्वारा पिता पेरी कंसागरा को सौंप दी जाएगी।

12. बहुमत निर्णय के पैराग्राफ 20 में जारी निर्देश (सी) को इसके बाद एम. ए. में पारित 03.11.2020 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया था।

2020 का No.2066 पेरी द्वारा स्थानांतरित किया गया। उक्त आदेश द्वारा, पेरी को नई दिल्ली में केन्या के उच्चायोग द्वारा जारी एक बार के यात्रा दस्तावेज के बल पर आदित्य को केन्या ले जाने और केन्या में आदित्य के आगमन के बाद केन्या के पासपोर्ट के लिए आवेदन करने और प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी।

13. 30.10.2020 पर, पेरी ने इस अदालत में एक शपथ पत्र दायर किया

प्रस्तुत करते हुए कि वह दिनांकित बहुमत निर्णय में निहित सभी निर्देशों का पालन और पालन करेगा, बिना किसी आपत्ति के, और अक्षर और भावना में। केन्या में शपथ लेने वाला उपक्रम यह था: -

" मैं पेरी कंसाग्रा का बेटा/बेटा श्री मंसुख लाल पटेल हूँ, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष है, आर/ओ एमएस 167 जेम्स गिचुरू रोड, लैविंगटन ग्रीन, नैरोबी,

इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि करें और शपथ पर निम्नानुसार कहें: -

कि मैं शीर्षक मामले में प्रतिवादी हूँ और मैं

1 .

मैं वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हूं और वर्तमान की शपथ लेने के लिए सक्षम हूं।

शपथ पत्र।

मैं अनुपालन में वर्तमान उपक्रम को निष्पादित कर रहा हूँ।

2 .

उपरोक्त में पारित दिनांकित 28.10.2020 निर्णय का बात है।

3 .

मैं वास्तव में और ईमानदारी से इसका पालन करने का वचन देता हूं।

दिनांकित निर्णय में उल्लिखित सभी निर्देश 28.10.2020 इस माननीय न्यायालय द्वारा बिना किसी आपत्ति के और अपने अक्षर और भावना में पारित किया गया।

इसी तरह, स्मृति ने भी इस न्यायालय के निर्देशों का पालन करने और उनका पालन करने के लिए 05.11.2020 वचन पत्र पर एक वचन पत्र दायर किया।

डिमर।

14. 30.10.2020 पर, पेरी ने नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय में निर्णय के पंजीकरण की मांग करते हुए एक मूल समन भेजा। इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 28.10.2020 और 'दर्पण आदेश' प्राप्त करने के लिए। आवेदन का शीर्षक और उद्घाटन पाठ इस प्रकार थे:

" केन्या गणराज्य

नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय में

पारिवारिक विभाजन मिश्रित अनुप्रयोग

नहीं।

2020 का स्मृति मदन कंसागरा बनाम। पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

विदेशी न्यायाधीशों के मामले में

(पारस्परिक सुधार)

अधिनियम, केप 43 ऑफ द लॉज ऑफ केन्या

शीर्ष के एक आदेश के मामले में

भारत का न्यायालय

28 अक्टूबर 2020 को जारी किया गया

आना।

इन द मैटर ऑफ एवीके (एक बच्चा)

और धारा 4,22,113 के मामले में

बाल अधिनियम और

केन्या 2010 के संविधान का अनुच्छेद 53

गलत आदेशों के लिए एक आवेदन के लिए

बी. वाई.

पेरी कंसागरा

पूर्व भाग आवेदन

सम्मनों की शुरुआत

[विदेशी निर्णयों की धारा 3,4,5 और 6 के तहत (पारस्परिक)

प्रवर्तन) बाल अधिनियम और अनुच्छेदों की धारा 4,22,113 53 केन्या के संविधान 2010 की अंतर्निहित शक्तियाँ

इस आवेदन की सुनवाई के लिए चैंबर्स में न्यायाधीश जो है डाकघर के पेरी कंसागरा के आवेदन पर जारी किया गया

ऑर्डर के लिए बॉक्स नंबर 76817-00620, नैरोबी:

1. कि इस आवेदन को तत्काल, योग्य प्राथमिकता के रूप में प्रमाणित किया जाए

सुनवाई और निर्देश पहली बार में एकतरफा होते हैं।

2. कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय

2020 की सुप्रीम कोर्ट सिविल अपील No.3559 में-स्मृति मदन कंसाग्र बनाम। पेरी कंसाग्रा को पंजीकृत किया जाए।

3. कि आगे, या अन्य आदेश दिए जाएँ ताकि प्रभाव दिया जा सके

सर्वोच्च के निर्णय के आदेशों और उनके अनुपालन में

भारत का न्यायालय 28 अक्टूबर 2020 को बनाया गया।

इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को संदर्भित करने के बाद, आवेदन

1 :

[2021] 10 एस. सी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 7. कि आवेदन सी के सर्वोत्तम हित में लाया गया है

और केन्या में उनकी वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए उनके पिता के साथ फिर से जुड़ने के लिए और परिवार।

8. कि मांगे गए आदेश लेने की सुविधा के लिए आवश्यक हैं

उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेशित ऐसे अन्य कदम और कार्यवाहियां

भारत में "।

15. उच्च न्यायालय द्वारा पारित 09.11.2020 दिनांकित आदेश

नैरोबी में वनाच्छादित अनुप्रयोग पर ए था:

" केन्या गणराज्य

नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय में

मिलीमानी कानून अदालतें

परिवार विभाजन

2020 का एचसीएफओएस/ईओ 31

विदेशी न्यायाधीशों के मामले में

(पारस्परिक सुधार) अधिनियम, सीएपी, 43

केन्या के कानून

शीर्ष के एक आदेश के मामले में

भारत का न्यायालय

28 अक्टूबर 2020 को जारी किया गया

और

आदित्य विक्रम कंसागरा के मामले में

बच्चा)

और धारा 4,22,113 के मामले में,

बाल अधिनियम, और

केन्या के संविधान का अनुच्छेद 53,20

गलत आदेशों के लिए एक आवेदन के लिए

बी. वाई.

एक्सपो

पेरी कंसागरा

आवेदन

नवंबर 2020 के 9 वें दिन अदालत में

होन से पहले। एम. आर.

जस्टिस ए. ओ. म्यूचेलल स्मृति मदन कंसागरा बनाम। पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

आदेश

यह मामला सुनवाई के लिए आ रहा है

माननीय के समक्ष अनिवार्यता का प्रमाण पत्र। न्यायमूर्ति ए. ओ. म्यूचेल्यूल; और आवेदन को पढ़ने के बाद;

यह आदेशित है;

1. उस आवेदन ने तत्काल प्रमाणित किया।

2. कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जारी किया गया

28.10.2020 इसके द्वारा प्रार्थना के रूप में पंजीकृत किया जाता है।

इस नौवें दिन मेरे हाथ और इस दरबार की मुहर के नीचे दिया गया

नवंबर, 2020 से।

नवंबर 2020 के इस 11 वें दिन नैरोबी में आई. एस. यू. ई. डी.

मैं पुष्टि करता हूं कि यह मूल की सही प्रति है।

डेपुट रेजिस्ट्रार दिनांक 11/11/2020

केन्या, नैरोबी का उच्च न्यायालय

99

16. हालाँकि, स्मृति ने विविध आवेदन No.2140 दाखिल किया।

इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए कुछ निर्देशों में संशोधन की मांग करना

बहुमत निर्णय का ग्राफ 20, किस आवेदन का निपटारा किया गया था

यह न्यायालय अपने दिनांकित 08.12.2020 आदेश द्वारा। कुछ प्रस्तुतियाँ

स्मृति द्वारा डी सुविधा के लिए यहाँ निर्धारित किया जा सकता है:

" डी। पेरी का वचन दिनांक 02.03.2020 [pg. 30 आवेदन का] कि वह भारतीय के अधिकार क्षेत्र के अधीन रहना जारी रखेगा

पेरी द्वारा उच्च न्यायालय में विधिवत दायर किए गए न्यायालय और उन पर भरोसा किया गया सर्वोच्च न्यायालय में, कृपया उसे स्वीकार करें।

ई. पेरी की माँ का वचन दिनांक 27.02.2020 [pg. 33 में से

आवेदन] उच्च न्यायालय के समक्ष दिया गया और उस पर विधिवत भरोसा किया गया

सर्वोच्च न्यायालय, कृपया स्वीकार किया जा सकता है। "

16.1 वनाच्छादित प्रस्तुतियों को इस न्यायालय द्वारा निपटाया गया था

दिनांकित 08.12.2020 निम्नानुसार है: -

" (iii) प्लेसिटम 'डी' के मुद्दे के संबंध में, विद्वान वकील

इस न्यायालय में, प्रत्यर्थी ने खुद को अधिकार क्षेत्र के अधीन कर लिया है इस न्यायालय से। श्री श्याम दीवान, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

हालाँकि, अपीलार्थी ने उपक्रम के अनुच्छेद 3 पर भरोसा किया

दिनांक 02.03.2020 उच्च न्यायालय को अनुपस्थिति [2021] 10 एस. सी. आर. पर जोर देने के लिए दिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वर्तमान उपक्रम में ऐसी स्पष्ट शर्त के बारे में

भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करना। हालांकि, हम विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुति को स्वीकार करें

प्रत्यर्थी, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उपक्रम का अनुच्छेद 3

प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 02.03.2020 को उच्च न्यायालय को दिया गया दिए गए उपक्रम के अलावा, कार्यशील बने रहें

यह न्यायालय।

(iv) प्लेसिटम 'ई' के खिलाफ उल्लिखित मामले के संदर्भ में, यह कहा जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने इसे बाध्य करना उचित नहीं समझा

आदित्य की पैतृक दादी, विभिन्न अन्य कारणों से

निर्णय में जारी किए गए निर्देश, जिसमें एक की आवश्यकता भी शामिल है

दादी, जो एक भारतीय नागरिक हैं, का शपथ पत्र प्राप्त करने का निर्देश जारी किया गया था। हालांकि, एक दर्पण आदेश प्राप्त करने का निर्देश इस न्यायालय द्वारा पर्याप्त सुरक्षा के रूप में लिया गया था,

कोई आशंका कि प्रत्यर्थी दायित्वों को पूरा नहीं कर सकता है

फैसले के द्वारा उस पर डाल दिया गया।

16.2 . दर्पण क्रम से संबंधित मुद्दे के संबंध में, प्रतिद्वंद्वी

इस न्यायालय के मुद्दों के साथ-साथ निष्कर्ष इस प्रकार थे:

" 8. अब हम मिरर ऑर्डर से संबंधित मुद्दे की ओर मुड़ते हैं। अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दीवान द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि निर्णय में जारी किए गए निर्देशों द्वारा जो विचार किया गया है वह एक बाध्यकारी और वैध दर्पण आदेश है। उनके प्रस्तुतिकरण में, दर्पण आदेश, सभी मामलों में, ऐसा होना चाहिए जो पूरी तरह से लागू करने योग्य हो, और जिस पर

इस न्यायालय द्वारा पूर्ण निर्भरता रखी जा सकती है। उन्होंने विदेशी निर्णय (पारस्परिक प्रवर्तन) अधिनियम की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है।

सीएपी, 43 केन्या की संसद द्वारा अधिनियमित ("अधिनियम", संक्षेप में)

में दिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए प्रावधान करना

केन्या के बाहर के देश जो पारस्परिक व्यवहार करते हैं

केन्या में और अन्य उद्देश्यों के लिए दिए गए निर्णय

इसके साथ।

इस मुद्दे पर श्री दीवान की दलीलें इस प्रकार हैं:

(क) भारत और केन्या पारस्परिकता रखने वाले देश नहीं हैं और

इस प्रकार, अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

बी)

किसी भी मामले में, अधिनियम की धारा 3 (3) के आधार पर, कुछ भी नहीं

अधिनियम "के संबंध में कार्यवाही पर लागू होगा

बच्चों की अभिरक्षा या संरक्षकता।

श्रीमती मदन कंसागरा बनाम। पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

अधिनियम की धारा 6 (1) के संदर्भ में, एक

सी)

विदेशी न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय तब दिया जा सकता है जब उच्च न्यायालय आवश्यक मामलों के प्रमाण के बारे में संतुष्ट हो।

इस अधिनियम और न्यायालय के किसी भी नियम द्वारा।

चूँकि यह अधिनियम स्वयं संबंधित कार्यवाहियों पर लागू नहीं होगा

डी)

बच्चों की अभिरक्षा या संरक्षकता के साथ, अधिनियम के तहत निर्णय का पंजीकरण बिना किसी निर्णय के होगा।

कानून में परिणाम।

पंजीकरण की वैधता के बारे में कोई भी निवेदन लिया जा सकता है।

ई)

अधिनियम की धारा 10 के संदर्भ में एक निर्णय देनदार द्वारा और पंजीकरण को अलग रखा जाए।

इस प्रकार यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल निर्णय का पंजीकरण होगा

इसे लागू करने योग्य न बनाएं। रिलायंस को कानूनी राय पर रखा गया है

केन्या में वकालत करने वाली सुश्री रुबीना डार द्वारा दिया गया। एक प्रति

सुपीरियर कोर्ट, जे. डी. द्वारा जारी मिरर ऑर्डर दिनांक 14.05.2018 उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार स्टैमफोर्ड, नॉरवॉक

यह भी प्रस्तुत करने के लिए निर्भर था कि एक दर्पण आदेश को सामान्य रूप से क्या करना चाहिए विचार करें और प्रदान करें। दिनांकित उक्त आदेश का प्रासंगिक भाग

14.05.2018 पढ़ता है:

" 1. आवेदन पर आदेश के लिए वादी का प्रस्ताव दिया जाता है।

कारण दिखाने के लिए, #114.00 पर डॉकेट किया गया है। 2. एकल भौतिक और कानूनी हिरासत के लिए पूर्व आदेश

3. पूर्व आदेश बने हुए हैं कि जसमीत कौर को नाबालिग बच्चों के साथ तुरंत कनेक्टिकट लौटना है। 4. नाबालिग बच्चे जसमीत कौर की अभिरक्षा में रहेंगे, और वादी नाबालिग बच्चों के साथ उचित अंतरिम भेंट करेगा जैसा कि सहमति या अदालत ने आदेश दिया है।

नाबालिग बच्चों की जसमीत कौर के साथ वापसी

कनेक्टिकट, जब तक कि कनेक्टिकट सुपीरियर कोर्ट द्वारा पर्याप्त अनुमति देने के बाद आगे की हिरासत के आदेश निर्धारित नहीं किए जाते हैं

दोनों पक्षों को सुनने का अवसर।

3) एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 75-11-जिसकी पुष्टि इस न्यायालय ने (2019) 17 में की थी।

5. कि वादी के उपक्रम का शपथ पत्र, यह पुष्टि करता है कि उसने आदेश के अनुसार अपने आचरण के अनुरूप कैसे किया है 6 मार्च, 2018 को नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के लिए प्रस्ताव (प्रदर्शनी 2 का टैब 2) को प्रदर्शनी बी के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे इसके द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसलिए आदेश दिया गया है।

6. उस वकील विलियम टेलर को एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है आदेश के लिए प्रस्ताव के लिए प्रदर्शनी सी के अनुसार एस्क्रो एजेंट

(प्रदर्शनी 2 का टैब 3)।"

9. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुनया मेहता ने केन्या के न्यायिक अधिनियम के प्रावधानों पर भरोसा किया है जो केन्या के उच्च न्यायालय को सामान्य कानून सिद्धांतों और समानता के सिद्धांत के अनुसार अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का अधिकार देता है और केन्या के संविधान, 2010 के अनुच्छेद 2 (5) पर, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों को गठन के रूप में मान्यता देता है।

केन्या के कानूनों का हिस्सा। मेसर्स द्वारा दी गई राय। जी. एम. सी. अधिवक्ताओं पर भी भरोसा किया जाता है, जिसका प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया है:

" बाल अधिनियम 2010 की धारा 4,22 और 113 के प्रावधानों का भी उल्लेख किया जा सकता है और

केन्या के संविधान 2010 का अनुच्छेद 53 जो बशर्ते कि बच्चे का सर्वोत्तम हित और कल्याण सर्वोपरि हो जो प्रकृति में आदेशों के अनुदान को उचित ठहराए।

दर्पण आदेशों का।

एक दर्पण आदेश दूसरे न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है जिसमें वही शर्तें होती हैं जो आदेश में निहित होती हैं। केन्या में न्यायालयों में यह प्रथा है कि केन्या में न्यायालय द्वारा विदेशी न्यायालय के पूरे निर्णय के पंजीकरण द्वारा एक दर्पण आदेश दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि संदर्भ, रूप या पदार्थ में किसी भी भिन्नता से बचा जा सके। केन्या के न्यायालय द्वारा विदेशी निर्णय का पंजीकरण स्वयं दर्पण आदेश है। आगे और कुछ नहीं चाहिए।

आई डब्ल्यू के मामले में निर्णय के लिए संदर्भ दिया जा सकता है

पी (शिशु) [2013] ई. के. एल. आर.) जहां एक नाबालिग की हिरासत और संरक्षकता के संबंध में विदेशी अदालत द्वारा पारित एक फैसले से संबंधित मामले में, नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय ने एक दर्पण आदेश दिया था।

केन्या में लागू कानून को ध्यान में रखते हुए, एस. एम. आर. आई. टी. आई. मदन कंसागरा बनाम के निर्देशों के अनुसार दर्पण आदेश देने के लिए आवेदन।

पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

"स्मृति मदन" शीर्षक वाले मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 28-10-2020 के फैसले में निहित

कंसाग्रा बनाम। पेरी कंसाग्रा "[सीए नंबर 3559/2020] नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय के समक्ष 09-11-2020 पर बनाया गया था। आवेदन एक एकतरफा आवेदन था, क्योंकि इस तथ्य को देखते हुए कि इस मामले को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यापक रूप से और निर्णायक रूप से निपटाया गया था और केवल दर्पण आदेश था, मांगे गए आदेश असंतुष्ट प्रकृति के थे।

नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय से मांग की गई।

दर्पण आदेश देने के लिए आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी और "स्मृति मदन" शीर्षक वाले मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित 28-10-2020 के फैसले को मंजूरी दी गई थी।

कंसाग्रा बनाम पेरी कंसाग्रा "[CA No.3559/2020] को दिनांक 09-11-2020 के आदेश द्वारा पूरी तरह से पंजीकृत किया गया था।

तदनुसार, नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय द्वारा जारी 09-11-2020 दिनांकित आदेश जिसमें सं. 2020 का एच. सी. एफ. ओ. एस./ई. 031 जिसके तहत भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "स्मृति मदन कंसाग्र बनाम" शीर्षक वाले मामले में 2020 का निर्णय पारित किया गया। पेरी कंसाग्रा "[सीए सं. 3559/2020] को पंजीकृत किया गया है जो उक्त निर्णय के अनुपालन में एक दर्पण आदेश है।"

10. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, हमारे विचार में, आदेश

उचित सम्मान दिखाया जाना चाहिए। आदेश के रूप और प्रारूप को कुछ भी चालू नहीं करता है, जब तक कि केन्या का उच्च न्यायालय था सभी तथ्यों और जिस संदर्भ में इसे प्रस्तुत किया गया था, उससे अवगत कराया गया।

इस न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के अनुपालन के लिए

निर्णय। चूंकि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का पंजीकरण केन्या के उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत किया गया है, इसलिए हम प्रतिवादी द्वारा की गई दलीलों को स्वीकार करते हैं। हमारी दृष्टि में,

निर्णय का पंजीकरण पर्याप्त अनुपालन है

सक्षम अदालत से जारी दर्पण आदेश प्राप्त करने का निर्देश

केन्या में। यह तथ्य कि पंजीकरण प्रत्यर्थी के कहने पर दिया गया था और प्रत्यर्थी द्वारा इस न्यायालय को दिया गया बिना शर्त वचन, निर्देशों का पर्याप्त अनुपालन है।

इस न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

16.3 . अंत में, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08.12.2020 में निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" ए) इस आदेश के पैराग्राफ 20 में पहले जारी किए गए निर्देश और प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील द्वारा स्वीकार किए गए मामलों को छोड़कर, किसी भी आदेश के संबंध में कोई आदेश नहीं मांगा जाता है।

अपीलार्थी द्वारा मांगे गए निर्देश।

निर्णय के अनुच्छेद 20 में जारी किए गए सभी निर्देश

बी)

पैराग्राफ में जारी किए गए एक को जोड़ने के साथ अच्छा पकड़ें 20 इस आदेश से।

प्रतिवादी द्वारा एक और शपथ पत्र दाखिल किया जाएगा।

सी)

इस आदेश के तीन दिन, कि वह इस आदेश और इस आदेश के पैराग्राफ 20 में जारी अतिरिक्त निर्देश का पालन करेगा।

प्रत्यर्थी को कोई नया दर्पण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है

डी)

उपरोक्त अतिरिक्त निर्देश के संबंध में आदेश, आदित्य को केन्या ले जाने से पहले, और यह पर्याप्त होगा यदि इस आदेश को पंजीकृत करने के लिए एक उचित आवेदन, उसी तरीके से जैसे निर्णय पंजीकृत किया गया था, आदित्य के केन्या पहुंचने के दो सप्ताह के भीतर प्राथमिकता दी जाती है, और इस तरह के पंजीकरण की प्रति इसके बाद इस न्यायालय में दायर की जाती है। जल्द से जल्द।

ई)

जैसा कि ऊपर बताया गया है, आगे का हलफनामा दाखिल करने के बाद, प्रत्यर्थी आदित्य को केन्या ले जाने के लिए स्वतंत्र होगा

निर्णय में पहले निर्देशित "।

17. पेरी ने इस न्यायालय में 09.12.2020 दिनांकित एक वचन पत्र दायर किया कि वह 08.12.2020 दिनांकित आदेश का पालन करेगा। वचन इस प्रकार था : :

" श्री पेरी कंसागरा पुत्र श्री मंसुख लाल पटेल, जिनकी आयु लगभग 45 वर्ष, आर/ओ 167 जेम्स गिचुरू रोड, लैविंगटन ग्रीन, नैरोबी,

केन्या वर्तमान में दिल्ली में है, भारत इसके द्वारा गंभीरता से पुष्टि करता है और

शपथ पर निम्नानुसार कहें: - 1. कि मैं शीर्षक मामले में प्रतिवादी हूं और मैं वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हूं

और वर्तमान शपथपत्र की शपथ लेने के लिए सक्षम।

2. मैं वर्तमान शपथ पत्र को इसके अनुपालन में निष्पादित कर रहा हूं उपरोक्त मामले में पारित आदेश दिनांक 08.12.2020 के पैराग्राफ 21 (C) में निर्देश।

श्रीमती मदन कंसागरा बनाम। पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

3. मैं कहता हूं कि मैं सही मायने में और ईमानदारी से दिनांकित 08.12.202 के आदेश और अनुच्छेद 20 में जारी अतिरिक्त निर्देश का पालन करूंगा।

इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 08.12.2020 का आदेश।

18. वनाच्छादित परिस्थितियों में, अदालत द्वारा जारी आदेशों के संदर्भ में, आदित्य की अभिरक्षा पेरी और आदित्य अकेन को पेरी द्वारा दिसंबर 2020 में केन्या को सौंप दी गई थी।19. स्मृति द्वारा 2020 की सिविल अपील No.3559 में निम्नलिखित शर्तों के साथ 2021 के 29.07.2021, विविध आवेदन No.1167 पर दायर किया गया:

" 5. इस माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया था कि अपीलकर्ता को आदित्य तक अतिरिक्त पहुंच प्रदान की जाए, यानी आदित्य से मिलने के लिए एक-एक सप्ताह की केन्या की दो यात्राएं। तदनुसार, अपीलार्थी ने ईस्टर अवकाश के दौरान बच्चे तक अतिरिक्त पहुंच की मांग की।

अप्रैल, 2021 दिनांकित 28.10.2020 के फैसले के पैरा 21 के संदर्भ में। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी से आदित्य की ईस्टर की छुट्टियों के दौरान अप्रैल में एक सप्ताह के लिए केन्या में प्रवेश और यात्रा की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया। हालाँकि, उक्त पहुँच नहीं हो सकी। प्रत्यर्थी द्वारा रद्द करने के लिए जारी किए गए दिनांकित 30.03.2021 ईमेल की प्रति

ईस्टर के दौरान यात्रा को यहाँ संलग्न किया गया है और इस रूप में चिह्नित किया गया है

अनुलग्नक पी-3 (पृष्ठ संख्या। 161 से 162)।

7. कि आदित्य पिछले 7 महीनों से अपीलार्थी से नहीं मिला है। इस माननीय न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि अपीलार्थी वार्षिक अवकाश के 50 प्रतिशत का हकदार है। प्रतिवादी बाधा डाल रहा है अपीलार्थी के आदित्य तक पहुँच के अधिकार। इसलिए, अपीलार्थी अपीलार्थी के [2021] 10 एस. सी. आर. के संबंध में इस माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए वर्तमान आवेदन दायर करने के लिए विवश है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गर्मी की छुट्टियों के दौरान अधिकार प्राप्त करें जिसमें आदित्य को होना है

ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के 50 प्रतिशत के लिए अपीलार्थी की अस्थायी अभिरक्षा। आदित्य के स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और आदित्य के साथ अपीलार्थी का कीमती समय बर्बाद हो रहा है। उत्तरदाता की बाधा निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होती है:

दिनांक 28.10.2020 के निर्णय के संदर्भ में, अपीलार्थी ने लिखा

ए।

उत्तरदाता को एक ईमेल on11.07.2021informing

उत्तरदाता ने कहा कि वह चाहती है कि आदित्य भारत आए

01.08.2021 उनकी ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का 50 प्रतिशत 27.08.2021 से 10.07.2021 और 01.09.2021 के बीच आता है। 11.07.2021 दिनांकित ईमेल की एक प्रति यहाँ संलग्न की गई है और इस प्रकार चिह्नित की गई है

अनुलग्नक पी-4 (पृष्ठ संख्या। 163)।

बी।

बी। कि अपीलार्थी को उसके दिनांकित ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला

11.07.2021 और प्रत्यर्थी को दिनांकित 15.07.2021 ईमेल के माध्यम से एक तत्काल अनुस्मारक जारी करने के लिए विवश किया गया था जिसमें अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को अपने अनुरोध को दोहराया

28.10.2020 के फैसले और 08.12.2020 के आदेश के संदर्भ में आदित्य की भारत यात्रा की तारीखों की तत्काल पुष्टि करना। 15.07.2021 दिनांकित ईमेल की एक प्रति यहाँ संलग्न की गई है और अनुलग्नक पी-5 (pg.no) के रूप में चिह्नित की गई है। 164)

कि प्रत्यर्थी ने अपना ईमेल दिनांक 16.07.2021 वीडियो किया

सी।

अपीलार्थी को सूचित किया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश यात्रा संभव नहीं होगी। प्रतिवादी ने चल रही कोविड-19 महामारी और एक साल के शोक को देखते हुए इस माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया आदित्य
और प्रत्यर्थी द्वारा प्रत्यर्थी के पिता के लिए की जा रही अवधि जिसमें प्रत्यर्थी और आदित्य सहित उसके परिवार ने कथित रूप से यात्रा नहीं करने या किसी भी होटल में नहीं जाने का फैसला किया है। 16.07.2021is दिनांकित ईमेल की एक प्रति

यहाँ संलग्न किया गया है और अनुलग्नक पी-6 (पृष्ठ। नहीं। 165

166 तक)

डी।

अपीलार्थी ने आदित्य को भेजने के अपने अनुरोध को दोहराया

भारत ने 21.07.2021 दिनांकित ईमेल का वीडियो बनाया। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के अवास्तविक भय को शांत किया और उसे सूचित किया कि कोविड

19 दिल्ली में मामलों में भारी कमी आई है और दिल्ली में स्थिति में सुधार हुआ है। अप्रैल-मई 2021 की तुलना में दिल्ली में मामले अब तक के सबसे कम स्तर पर हैं।

अपीलार्थी, एस. एम. आर. आई. टी. आई. मदन कंसागरा बनाम। पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

आदित्य की माँ उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं और दिल्ली में कोविड-19 मामलों की स्थिति में सुधार होने पर ही उनसे मिलने का अनुरोध किया। अपीलार्थी ने यह भी सुझाव दिया कि वह काम करने के लिए तैयार है

ऐसी व्यवस्था जो आदित्य के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा हो। 21.07.2021 दिनांकित ईमेल की प्रति यहाँ संलग्न है और अनुलग्नक पी-7 (पृष्ठ संख्या) के रूप में चिह्नित है। 167 से 168) उत्तरदाता,
समाधान निकालने के बजाय और

ई.

आदित्य द्वारा अपीलार्थी से मिलने की व्यवस्था ने ईमेल के माध्यम से 24.07.2021 पर कड़वे, अप्रिय और आक्रामक तरीके से जवाब दिया और फिर से अपीलार्थी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। दिनांकित 24.07.2021is ईमेल की एक प्रति यहाँ संलग्न की गई है और इस रूप में चिह्नित है

अनुलग्नक पी-8 (पृष्ठ संख्या। 169 से 171)।

13. इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान आवेदन किया जा रहा है

प्रतिवादी को दिनांकित 28.10.2020 और दिनांकित 08.12.2020 आदेश का पालन करने और अपीलार्थी के साथ आदित्य की बैठक की सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। ने कहा कि

बच्चे के कल्याण और सर्वोत्तम हितों के लिए निर्देश आवश्यक हैं। छुट्टियों की यात्रा यह सुनिश्चित करेगी कि आदित्य के पास एक वास्तविक अनुभव हो।

और माँ के साथ प्रभावी संपर्क "।

20. आवेदन में इस प्रकार प्रार्थना की गई:

" (क) उत्तरदाता को दिनांकित 28.10.2020 और दिनांकित 08.12.2020 आदेश का पालन करने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित करें।

आदित्य के अस्थायी में होने के निर्देश से संबंधित उल्लंघन के लिए ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के 50 प्रतिशत के दौरान अपीलार्थी की अभिरक्षा "

21. ईमेल दिनांकित 11.07.2021,15.07.2021,16.07.2021,। 2021 और 24.07.2021 को सुविधा के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:

पेप्पोनी स्कूल, नैरोबी की वेबसाइट पर अवधि की तारीखों के अनुसार, आदित्य की गर्मी की छुट्टी 09.07.2021 से शुरू हो गई है और 02.09.2021 तक जारी रहता है। मैं चाहता हूँ कि आदित्य 01.08.2021 से 27.08.2021 तक मुझसे मिलने आए। (ग्रीष्मकालीन अवकाश का आधा, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुझे दिया गया है)।

कृपया ईमेल द्वारा इसकी पुष्टि करें।

सम्मान।

स्मृति "

दिनांकित ईमेल 15.07.2021

" प्रिय पेरी,

कृपया मेरे दिनांकित 11.07.2021 ईमेल को देखें, जिसमें मैंने आपसे तत्काल अनुरोध किया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में आदित्य के ग्रीष्मकालीन अवकाश 2021 के दौरान मुझसे मिलने के लिए यात्रा की तारीखों की पुष्टि करें। मैंने 1 अगस्त 2021 से 27 अगस्त 2021 तक का सुझाव दिया था। इसके अलावा, मुझे सूचित किया गया है कि सप्ताह में एक बार (जाहिर तौर पर हर शुक्रवार को) एयर इंडिया की उड़ान (बुलबुला उड़ान) केन्या से अहमदाबाद होते हुए दिल्ली के लिए काम कर रही है। कृपया 23 जुलाई 2021 या 30 जुलाई 2021 या 6 अगस्त 2021 को अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश के आधे समय यानी उचित रूप से 27 दिनों के लिए उनसे मिलने की व्यवस्था करें। मैं तारीखों पर लचीला हूं, बशर्ते कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाए।

मैं आपकी प्रतिक्रिया और पुष्टि का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।

सम्मान।

स्मृति " दिनांकित ईमेल 16.07.2021

" प्रिय स्मृति,

मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि पूरी दुनिया इस समय एक बड़ी महामारी के बीच है और पूरी दुनिया में कोविड है

डेल्टा, डेल्टा प्लस, लैम्ब्डा और कप्पा जैसे वैरिएंट बड़े पैमाने पर हैं और अभूतपूर्व संक्रमण और मौतों का कारण बन रहे हैं। भारत कोविड की एक क्रूर और घातक दूसरी लहर से गुजरा है

जिसकी वजह से भारत में अभूतपूर्व मौतें हुई हैं। ऐसी वैज्ञानिक भविष्यवाणियाँ हैं कि भारत में अगस्त 2021 में किसी समय कोविड महामारी की तीसरी लहर आने वाली है और तीसरी लहर से बच्चों के अधिक संक्रमित होने की संभावना है। ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, इटली, हॉलैंड, जर्मनी और बांग्लादेश सहित दुनिया भर के कई देश

अन्य लोग कोविड की तीसरी लहर का अनुभव कर रहे हैं। एस. एम. आर. आई. टी. आई. मदन कंसागरा बनाम में कुछ राज्यों के रूप में कोविड की तीसरी लहर के संकेत भी स्पष्ट हैं।

पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

भारत ने पहले ही कोविड मामलों की संख्या में वृद्धि देखना शुरू कर दिया है। आदित्य की उम्र 12 साल है और वह कोविड की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ है और वह अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत सचेत है। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा कि केन्या और भारत के बीच सभी यात्री उड़ानें कोविड के कारण निलंबित हैं। आप यह भी जानते हैं कि कोविड के कारण आदित्य ने हाल ही में अपने दादा को खो दिया है। परिवार में एक साल का शोक है और आदित्य ने किसी भी कार्यक्रम का जश्न नहीं मनाने और यात्रा नहीं करने का फैसला किया है। चूंकि इस महामारी ने मेरे परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति की है

11-7-2021 और 15-7-2021 दिनांकित आपके ईमेल को पढ़ने के बाद मैं निराश हूं कि जब पूरी दुनिया इस तरह की महामारी का सामना कर रही है और लोग अपने बच्चों को कोविड महामारी से बचाने के लिए घर पर रख रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आदित्य पांच हजार किलोमीटर की यात्रा करने और कोविड वायरस के संपर्क में आने के लिए अपनी जान जोखिम में डाले। यात्री उड़ानों के संचालन के संबंध में आपकी जानकारी

एयर इंडिया बहुत गलत है। एयर इंडिया केवल वंदे भारत मिशन के तहत नागरिकों को निकालने के लिए उड़ानें संचालित कर रहा है।

यात्रा के लिए एयर इंडिया परिपत्र का प्रासंगिक भाग संलग्न है।

के. सी. ए. ए. परिपत्र केन्या का प्रासंगिक उद्धरण संलग्न है।

• HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. लाइवमिंट। com/समाचार/भारत/भारत-शायद-गवाह-तीसरी कोविड-लहर-से-अगले महीने-sbi-रिपोर्ट-11625457429589. एच. टी. एम. एल. • HTTPS: //स्वच्छ इंडिया। एनडीटीवी। कॉम/कोविड-19 की तीसरी लहर-हमला करने की संभावना-बच्चों-टीकाकरण-माता-पिता-जल्दी-नारायण की डॉ-देवी-शेट्टी-स्वास्थ्य-59277 /

HTTPS: //तेलंगाना आज। कॉम/एक्सपर्ट्स-कॉल-फॉर-कॉशन-फॉरवर्ड-ऑफ

तीसरी लहर इसलिए कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए मैं आपको यह सूचित करने के लिए विवश हूं कि आदित्य के साथ ग्रीष्मकालीन छुट्टियों की यात्रा संभव नहीं होगी।

सम्मान करते हैं।

16 जुलाई 2021 को मेरे ईमेल पर आपकी प्रतिक्रिया में आक्रामक सामग्री को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। आखिरकार, मैं केवल ढूंढ रहा हूँ माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन। आप इसे शत्रुतापूर्ण क्यों बनाना चाहते हैं?

आपने महामारी के बीच सुप्रीम कोर्ट में अपील की तत्काल सुनवाई के लिए दबाव डाला। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपके अनुरोध पर महामारी के बीच में आपको अदु की अभिरक्षा की अनुमति दी। आपने अपने पूज्य दिवंगत पिता के साथ केन्या से भारत की यात्रा की ताकि आप आडू को अपने कब्जे में ले सकें और फिर उन्हें केन्या ले जाएं; यह सब महामारी के दौरान हुआ। स्पष्ट रूप से आपके सभी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने के महामारी से संबंधित बहाने केवल बाद के विचार हैं। और हाँ, आदित्य ने दिसंबर 2020 में आपके साथ केन्या की यात्रा की, महामारी के दौरान जब सीमित उड़ानों की अनुमति थी, जैसा कि वर्तमान में है।

स्थिति।

साथ ही महामारी के दौरान मुझसे मिलने के अधिकार। मुझे दी गई पहुंच महामारी खत्म होने के बाद शुरू नहीं होनी थी। आदित्य की माँ होने के नाते, मैं सबसे अधिक सावधान और चिंतित हूँ।

उसकी सुरक्षा और सुरक्षा। कृपया आश्वस्त रहें कि मैं आदित्य की सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करूंगी। आदित्य को अपनी माँ और दादी से मिले हुए सात महीने हो चुके हैं, जिनके वह बेहद करीब हैं। अपनी माँ और दादी से लगातार शारीरिक अलगाव का आदित्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में दूसरी लहर क्रूर थी, लेकिन दिल्ली में मामले काफी कम हो गए हैं और वर्तमान में औसतन केवल 40 नए मामले सामने आ रहे हैं। वायरस की सकारात्मकता

यह केवल 0.1% है। दिल्ली में भी बड़ी संख्या में आबादी का टीकाकरण हो चुका है। पूरे भारत में मामले लगातार कम हो रहे हैं। लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही वास्तव में दिल्ली में ऐसा है। यहां तक कि राष्ट्रीय संस्थान भी भौतिक रूप से खुल रहे हैं। द.

भारत में कोविड की दूसरी लहर समाप्त हो चुकी है। इसके अलावा, मेरी माँ और मुझे भी पूरी तरह से टीका लगाया गया है। वास्तव में दिल्ली में कोविड-19 मामलों की स्थिति नैरोबी, केन्या की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर हो सकती है। भारत में कोई तीसरी लहर नहीं है।

एक एस. एम. आर. आई. टी. आई. मदन कंसागरा बनाम। पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

भारत में संभावित तीसरी लहर, भले ही यह होने वाली हो, केवल सितंबर और अक्टूबर 2021 के अंत में होने की उम्मीद है। यह भारतीय के अनुसार है चिकित्सा अनुसंधान परिषद; इस संबंध में शीर्ष चिकित्सा निकाय। ऐसी संभावना भी है कि तीसरी लहर बिल्कुल न आए। ऐसी दूर की आशंकाओं पर अपनी माँ से मिलने के बच्चे के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। आपका दृष्टिकोण अनौपचारिक है और

खारिज करने वाला।

आपके पूज्य पिता का निधन वास्तव में दुखद था। मैंने आपके और आपके परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। मैं उन्हें आपको दोहराता हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको और आपकी माँ को इस कठिन समय से गुजरने की शक्ति मिले। हालाँकि, एक बच्चे के लिए अपनी माँ से मिलना शोक के उल्लंघन से कोई लेना-देना नहीं है जो आपका परिवार कर रहा है। मेरे बच्चे का मुझसे मिलना आपके परिवार की किसी भी प्रथा का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है! इसके अलावा, आदित्य की अपनी माँ और दादी से मुलाकात केवल उसका प्यार और गर्मजोशी होगी जो वास्तव में आदित्य के लिए आवश्यक है।

अभी।

अब 15-20 मिनट। इन स्काइप सत्रों के दौरान आदित्य ऐसा लगता है कि उसे नियंत्रित किया जा रहा है और वह उदास और नीरस प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप सर्वोच्च न्यायालय के पवित्र आदेशों को दरकिनार करने का इरादा रखते हैं। स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आदित्य अपनी माँ और दादी से मिल सके। हालांकि दिल्ली अब सुरक्षित है, लेकिन मैं एक ऐसी व्यवस्था पर काम करने के लिए तैयार हूं जो आदित्य की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। आप जानते हैं कि मैं और मेरी माँ अप्रैल से जून तक शिमला में अपने घर पर रहे और यह बहुत अच्छा रहा।

सुरक्षित। मैं अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आदित्य को शिमला ले जा सका। मैं आदित्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी अन्य व्यवस्था पर काम करने के लिए भी तैयार हूं। शिमला में कोविड के मामले बहुत कम हैं।

कृपया जल्द से जल्द आदित्य की टिकट बुक करें ताकि वह अपनी माँ और दादी से मिल सके।

आदित्य से मिलने का बेसब्री से इंतजार है। आपका इंतजार है।

सम्मान। स्मृति "

दिनांकित ईमेल 24.07.2021

मतिभ्रम और ला ला लैंड में रहने की आपकी निरंतर आदत जारी है।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर आक्षेप उठाते हुए आपका दिनांकित 21-7-2021 ईमेल अनावश्यक है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी

कि भारत में हिरासत मामले में हमेशा के लिए देरी हो और आपने पहले भी ऐसा करने की कोशिश की थी भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय। आपने एक के बाद एक तुच्छ आवेदन दायर करने जैसी विभिन्न रणनीतियों का उपयोग किया, इसलिए अपने स्वयं के आचरण, कार्यों और कार्यों को न भूलें।

दिसंबर 2020 में, नियमित यात्री उड़ानें संचालित हो रही थीं।

हालांकि कम क्षमता के साथ देश के भीतर। यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि दिसंबर 2020 में भारत में कोविड के नए मामले लगभग 45,000 के वर्तमान आंकड़े की तुलना में बहुत कम थे

दैनिक कोविड मामले। हालाँकि वर्तमान में भारत और केन्या के बीच यात्री उड़ानें पूरी तरह से निलंबित हैं और मैंने आपको उड़ानों के उक्त निलंबन का विवरण मेरे पहले के जवाब ईमेल दिनांक 16-7-2021 के माध्यम से प्रदान किया था।

ईमेल में आदित्य की सुरक्षा के लिए आपकी चिंता वर्तमान परिस्थितियों और कोविड वातावरण में आदित्य को भारत बुलाने के आपके आग्रह से मेल नहीं खाती है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है और वास्तव में भारत सरकार के अनुसार, तीसरी लहर अगस्त और अक्टूबर 2021 के बीच भारत में आएगी (संलग्न लिंक का संदर्भ लें)। अगर टीका महामारी का जवाब होता, तो पूरी दुनिया वापस खुल जाती और गंभीर प्रतिबंध और लॉकडाउन नहीं होते। लॉकडाउन और प्रतिबंध जो दिन-ब-दिन बढ़ रहे हैं।

श्रीमती मदन कंसागरा बनाम। पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

ऐसा लगता है कि आपकी याददाश्त या तो कमजोर है या बहुत कम है, क्योंकि कोविड के कारण मैंने भी अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 तक आदित्य से मुलाकात नहीं की थी। यह कोविड के कारण आदित्य के मुझसे शारीरिक रूप से अलग होने के 9 महीने हैं और उस समय मैं कभी भी आपको मिलने के लिए ईमेल नहीं लिखती थी क्योंकि मैं कोविड की परिस्थितियों और प्रतिबंधों को समझने के लिए पर्याप्त समझदार थी।

अफसोस के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोविड के प्रति आपका दृष्टिकोण आकस्मिक और खारिज करने वाला है, आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कोई कोविड नहीं है। यह मत भूलिए कि भारत में कोविड मामलों में मरने वालों की संख्या 3 से 5 मिलियन है (संलग्न लिंक का संदर्भ लें)।

आपके शिमला के संदर्भ के संबंध में, यह बेहद असुरक्षित है क्योंकि शिमला आने वाले विशाल पर्यटक इसे कोविड के कारण असुरक्षित बनाते हैं। दूसरा, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में चल रहे मानसून के कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन और सड़क अवरोध हो रहे हैं।

जैसा कि आपको याद होगा कि पहले भी मैंने आपसे आदित्य के साथ स्काइप बैठकों के संबंध में अपने तरीके सुधारने का अनुरोध किया था, लेकिन आपने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कृपया ध्यान दें कि अवधि

स्काइप आदित्य के दायरे में है और इसका मुझसे कोई लेना-देना नहीं है। यदि वह आपसे 15-20 मिनटों के लिए बात कर रहा है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपका

बातचीत के दौरान उसे व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त नहीं है

प्रासंगिक संलग्नक: * HTTPS: //आर्थिक समय। इंडियाटाइम्स। com/समाचार/भारत/वास्तविक-मृत्यु-कोविड-के कारण-होने की संभावना-कई-लाखों-नहीं-सैकड़ों-हजारों-अरविंद-सुब्रमनियन/आर्टिकलशो/84575636. सी. एम.

* HTTPS: //टाइम्स ऑफ इंडिया। इंडियाटाइम्स। कॉम/इंडिया/सेकंड-वेव-नॉट-ओवर-सेंटर-राइट्स-टू-स्टेट्स-सेज़-नो-रूम-फॉर-कॉम्प्लेकेंसी/आर्टिकलशो/84404841. सी. एम. एस. [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

* HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. समय-समय पर। कॉम/इंडिया-न्यूज/कोविड-3-वेव

क्या-यह-आया-क्या-सरकार-नवीनतम-अनुमान-रिपोर्ट-कहते हैं

101626620955675.एचटीएमएल

* HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. समय-समय पर। कॉम/शहर/चंडीगढ़-समाचार /

बढ़ता-पर्यटक-भीड़-बढ़ती-कोविड-चिंता-हिमाचल में

101625903253886.एचटीएमएल

मैं फिर से अपने रुख को दोहराता हूं जो आपको मेरे माध्यम से बताया गया था।

दिनांकित 16-7-2021 ईमेल का जवाब दें।

सम्मान करते हैं।

पेरी " 22. अपने दिनांकित 05.08.2021 के जवाब में जिसका समर्थन एक

05.08.2021 पर केन्या में शपथ लेते हुए पेरी ने जवाब दिया:

" 1. शुरुआत में, प्रत्यर्थी यह बताना चाहता है कि इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अवज्ञा करने या उनका उल्लंघन करने का उसकी ओर से कोई दूरगामी इरादा नहीं है, जिसमें शीर्षक वाले

मामले में पारित 28.10.2020 का निर्णय भी शामिल है। हालाँकि, कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप आने वाली परिस्थितियाँ और

उत्तरदाता के प्रस्तुतिकरण में, दुनिया भर में ऐसे हैं

कि अपीलार्थी के साथ भारत में बच्चे की भेंट के संबंध में निर्देश का अनुपालन अपीलार्थी के सर्वोत्तम हित में नहीं होगा।

बच्चे का स्वास्थ्य और इसलिए, उत्तरदाता प्रार्थना करता है

उक्त निर्देश के सख्त अनुपालन से छूट

" 9

उपस्थित हैं। ..... " 2. आदित्य की भारत यात्रा में भी रसद संबंधी समस्या है। केन्या और भारत के बीच एयर-बबल उड़ान आदित्य को केन्या से भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं देगी क्योंकि आदित्य उन व्यक्तियों की किसी भी अनुमत श्रेणी में नहीं आते हैं जो भारत की यात्रा करने के हकदार हैं। अन्यथा भी भारत और दुनिया में प्रचलित वर्तमान कोविड-19 वातावरण बच्चे के लिए सुरक्षित नहीं है।

लंबी दूरी की यात्रा करें "। " 7. हालाँकि, प्रत्यर्थी अपीलार्थी द्वारा बच्चे से मिलने के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है और किसी भी तरह से इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के तहत अपीलार्थी को उसके मिलने के अधिकार से वंचित करने का इरादा नहीं रखता है। यदि अपीलार्थी एस. एम. आर. आई. टी. आई. मदन कंसागरा v. की एक वैकल्पिक विधि पा सकता है।

पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

वर्तमान में भी केन्या की यात्रा करते हुए, प्रतिवादी वर्तमान छुट्टियों के लिए केन्या में बच्चे आदित्य के साथ अपीलार्थी से मिलने के लिए अधिक इच्छुक होगा। आवेदन के पैराग्राफ 7 के जवाब में यह दावा किया गया था:

" आवेदन का वह पैरा 7, जैसा कि कहा गया है, गलत है, गलत है और

जोरदार तरीके से इनकार किया। इस बात से इनकार किया जाता है कि प्रतिवादी बाधा डाल रहा है

अपीलार्थी की पहुंच और मुलाकात, जैसा कि आरोप लगाया गया है। बल्कि यह केवल

प्रारंभिक प्रस्तुतियाँ, कि प्रत्यर्थी का मानना है कि आदित्य की नई दिल्ली की यात्रा उनके हित में नहीं होगी और

कल्याण, विशेष रूप से उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से, और यह है

इस कारण से कि प्रत्यर्थी छूट के लिए प्रार्थना करता है

वर्तमान में दिल्ली में यात्रा के निर्देश का कड़ाई से पालन।

विशेष रूप से, यात्रा कार्यक्रम में अड़चन के कारण हैं - उत्तरदाता के नियंत्रण से बाहर के कारणों के लिए

-

उन परिस्थितियों के समान जब प्रतिवादी यात्रा नहीं कर सकता था

भारत में लगभग 9 महीनों के लिए यानी अप्रैल 2020 से दिसंबर तक

2020 इस माननीय के समक्ष मुख्य अपील के लंबित रहने के दौरान कोविड-19 महामारी को देखते हुए अदालत "।

23. उपरोक्त उत्तर पर अपने प्रत्युत्तर में, स्मृति ने विभिन्न शब्दों को जोड़ा।

पेरी द्वारा व्यक्त आशंका से निपटने के लिए और

आई. टी.: -

केंद्र सरकार को हटा दिया गया है या शिथिल कर दिया गया है और एक बड़ा हिस्सा दिल्ली की आबादी का टीकाकरण पहले ही हो चुका है। वहाँ है

दिल्ली में पिछले दो महीनों से कोई लॉकडाउन नहीं है और सभी

महत्वपूर्ण सार्वजनिक और निजी संस्थान या तो पहले से ही खुले हैं

और कार्य कर रहे हैं या ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं। .....

2. इस प्रकार, उपरोक्त को देखते हुए, आदित्य के लिए दिल्ली की यात्रा करना और अपनी माँ और दादी से मिलना बिल्कुल सुरक्षित है। द.

आदित्य की भारत यात्रा के संबंध में प्रत्यर्थी की आशंका और डर गलत और अनुचित हैं।

3. जहां तक आदित्य के उड़ान भरने और अन्य साथी यात्रियों के संपर्क में आने की बात है, तो आदित्य प्रथम श्रेणी में यात्रा करेंगे।

और न्यूनतम एक्सपोजर होगा जैसा कि उसने [2021] 10 एस. सी. आर. की यात्रा करते समय किया था।

दिसंबर, 2020 में दिल्ली से नैरोबी तक। इस प्रकार, आदित्य के उड़ान में यात्रा करने का उत्तरदाता का यह डर न केवल गलत है, बल्कि अनुचित और आत्म-सेवा भी है। इसके अलावा, सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें उड़ानों के दौरान निर्धारित कोविड उपयुक्त प्रोटोकॉल का पालन कर रही हैं, जैसा कि दिसंबर 2020 में नैरोबी की यात्रा के दौरान आदित्य के लिए उत्तरदाता द्वारा ली गई उड़ान में प्रोटोकॉल का पालन किया गया था।

4. यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि आदित्य अपनी माँ और दादी के करीब है और यह कहना गलत होगा कि वह

वह अपनी माँ और दादी से मिलने के लिए भारत नहीं आना चाहता। आदित्य का अपनी माँ और दादी के साथ गहरा लगाव है।

यह भी इस माननीय न्यायालय द्वारा देखा और नोट किया गया जब यह

17.02.2020 पर आदित्य के साथ बातचीत की। ..... "

24. यह मामला 11.08.2021 पर उठाया गया था जब इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित पारित किया गया था: -

" सी. ए. No.35589/2020 में दिनांकित 28.10.2020 के फैसले और इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 08.12.2020 के बाद के आदेश में, कई मुद्दों पर चर्चा की गई थी और इनमें से एक मुद्दा बच्चे की मां द्वारा अवकाश का आनंद लेने से संबंधित था।

इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, बच्चे-आदित्य को अपनी छुट्टी के दौरान मां के साथ शामिल होना था।

हालाँकि, कोविड-19 महामारी के कारण मौजूदा स्थिति के कारण, पिता आशंकित थे और इसलिए आदित्य अभी तक अपनी माँ के साथ शामिल नहीं हुए हैं।

इन परिस्थितियों में, 2021 के एम. ए. No.1167 को माता द्वारा आदित्य की छुट्टी तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए उचित निर्देशों को देखते हुए प्राथमिकता दी गई है।

श्री चंडियोक के अनुसार, चूंकि बच्चे को वर्तमान में भी "भारत के प्रवासी नागरिक" कार्ड धारक का दर्जा प्राप्त है। एयर ट्रांसपोर्ट बबल्स के शासन में, बच्चा निश्चित रूप से भारत आ सकता है और छुट्टी खत्म होने के बाद, नैरोबी वापस जा सकता है।

विद्वान अधिवक्ता श्री अनुनय मेहता प्रस्तुत करते हैं कि आदित्य द्वारा प्राप्त ओ. सी. आई. कार्ड धारक का दर्जा उनके पहले के पासपोर्ट के साथ संलग्न था।

श्रीमती मदन कंसागरा बनाम। पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि दिनांकित 28.10.2020 के निर्णय में देखा गया है, मूल पासपोर्ट खो गया है, आदित्य के पक्ष में एक नया पासपोर्ट जारी किया गया है और उक्त पासपोर्ट की संख्या है

आदित्य के ओ. सी. आई. कार्ड में दिखाई नहीं देता।

चूंकि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में, माँ को छुट्टी का आनंद लेना है और यह तथ्य कि आदित्य के पास ओ. सी. आई. कार्ड धारक का दर्जा था, हम निम्नानुसार निर्देश देते हैं: (क) ओ. सी. आई. कार्ड धारक के रूप में स्थिति के नवीनीकरण की मांग करने वाले एक उपयुक्त आवेदन को पेरी कंसाग्रा द्वारा प्राथमिकता दी जाए-आदित्य के पिता आज नैरोबी में भारतीय दूतावास के कार्यालय में हैं।

(ख) इस तरह के आवेदन को प्राथमिकता दिए जाने पर, भारतीय दूतावास

नैरोबी को आवेदन को तुरंत संसाधित करने का निर्देश दिया जाता है। (ग) यदि दूतावास कार्यालय को पता चलता है कि आदित्य ओ. सी. आई. कार्ड धारक की स्थिति के नवीनीकरण का हकदार है, तो उचित समर्थन किया जाएगा या नया कार्ड जारी किया जाएगा ताकि आदित्य बोर्ड को सक्षम बनाया जा सके।

13.08.2021 पर उड़ान।

(घ) पेरी कंसाग्रा-आदित्य के पिता सुविधा के लिए नैरोबी में भारतीय दूतावास के समक्ष इस आदेश की प्रति पेश करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस प्रकार, आदित्य के दिल्ली के लिए उड़ान में 13.08.2021 पर चढ़ने और 01.09.2021 पर लौटने में कोई बाधा नहीं होगी। इस प्रक्रिया में,

उसकी माँ के लिए छुट्टी का प्रवेश पूरा हो जाएगा।

अनुपालन की सूचना देने के लिए मामले को 16.08.2021 पर सूचीबद्ध करें।

25. स्मृति इटिंग द्वारा 2021 के आई. ए. 16.08.2021 पर दाखिल किया गया था: -

" 4. यह कि प्रत्यर्थी ने आदित्य को 13.08.2021 पर उड़ान में चढ़ने की अनुमति नहीं दी और नैरोबी में भारतीय उच्चायोग से अपीलकर्ता द्वारा की गई पूछताछ से, प्रत्यर्थी ने आदित्य के ओसीआई कार्ड की स्थिति को नवीनीकृत करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। अपनी दुर्भावना को कायम रखने और उसे आगे बढ़ाने के लिए, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के वकील द्वारा जारी किए गए ई-मेल का जवाब देने से इनकार कर दिया।

इस माननीय न्यायालय के उपरोक्त आदेशों का अनुपालन, साथ ही अपीलार्थी को वॉट्सऐप और ईमेल पर भी अवरुद्ध कर दिया, और इस माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई से एक दिन पहले भारत में अपने कानूनी प्रतिनिधित्व को वापस लेने की भी मांग की। प्रतिवादी ने अपीलार्थी के फोन कॉल का जवाब नहीं दिया है।

10 एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस संबंध में प्रतिवादी के विशिष्ट कार्यों और आचरण का विवरण इस माननीय के समक्ष दायर किए गए अपने हलफनामे दिनांक 14.08.2021 में दिया गया है। न्यायालय, जिसे इस आवेदन के अभिन्न अंग के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी का उपरोक्त जानबूझकर किया गया आचरण न केवल दुर्भावनापूर्ण है, बल्कि न्याय के प्रशासन में बाधा और बाधा डालता है और न्याय के कल्याण को नुकसान पहुंचाता है।

आदित्य, इस माननीय न्यायालय की महिमा को कम करने की मांग करते हुए।

6. यह तथ्य कि प्रत्यर्थी ने बच्चे के ओ. सी. आई. का नवीनीकरण नहीं कराया और इसे नए पासपोर्ट के साथ संलग्न नहीं किया या आदित्य को भारत की यात्रा करने के लिए वीजा के लिए आवेदन करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, यह दर्शाता है कि

जिस दिन से यह फैसला सुनाया गया था, उस दिन से प्रतिवादी का दिनांकित 28.10.2020 का पालन करने का कोई इरादा नहीं था। दिनांकित 28.10.2020 के निर्णय और दिनांकित 08.12.2020 और 11.08.2021 के आदेश के पारित होने के बाद प्रत्यर्थी के आचरण ने अब यह स्थापित कर दिया है कि प्रत्यर्थी का बच्चे और माँ के बीच प्रवेश की अनुमति देने का कोई इरादा नहीं था।

7. प्रत्यर्थी ने इस माननीय न्यायालय दिनांक 1 को दिए गए अनुपालन के शपथ पत्र के माध्यम से दिए गए वचन का उल्लंघन किया है, जिसमें उन्होंने इस माननीय न्यायालय को उसके निर्देशों का पालन करने के लिए गंभीर शपथ और पुष्टि पर अपना वचन दिया था। प्रत्यर्थी ने केन्या के उच्च न्यायालय, मिलीमानी विधि न्यायालयों, परिवार प्रभाग से दिनांक 11.11.2020 का एक दर्पण आदेश भी प्राप्त किया था जिसमें इस माननीय न्यायालय का दिनांक 28.10.2020 का अंतिम निर्णय दर्ज किया गया था (जिसे इसके बाद "दर्पण आदेश" के रूप में संदर्भित किया गया है)। इस प्रकार, प्रत्यर्थी ने जानबूझकर इस माननीय न्यायालय को दिए गए अपने वचन और प्राप्त दर्पण आदेश की भी अवहेलना की है।

केन्याई उच्च न्यायालय से।

8. प्रत्यर्थी ने माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में शपथ पत्र भी दिया था। प्रत्यर्थी की माँ ने दिल्ली उच्च न्यायालय को माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करने का वचन भी दिया था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि माँ का यह उपक्रम क्रम में शामिल नहीं था 08.12.2020 जैसा कि इस माननीय न्यायालय ने पाया कि दर्पण आदेश और प्रत्यर्थी का वचन और 1 करोड़ रुपये की प्रतिभूति थी

पर्याप्त है।

श्रीमती मदन कंसागरा बनाम। पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

12. अपीलार्थी के पास तब से आदित्य तक कोई भौतिक पहुँच नहीं है।

10.12.2020 . अंतिम निर्णय दिनांक 28.10.2020 के अनुसार साप्ताहिक स्काइप कॉल, जो 14.08.2021 और 15.08.2021 के सप्ताहांत में होना था, भी प्रतिवादी द्वारा सुगम नहीं किया गया था। अपीलार्थी को अब 14.08.2021 के बाद से संचार के सभी साधनों, वॉट्सऐप, स्काइप, फोन और ईमेल पर अवरुद्ध कर दिया गया है। द.

अपीलार्थी ने मास्टर आदित्य को फोन करने के लिए एक ध्वनि संदेश भी छोड़ा है।

वह वापस आ गई लेकिन उसे कोई कॉल वापस नहीं आया। "

आवेदन में की गई प्रार्थनाओं को यहाँ नहीं निकाला गया है क्योंकि अदालत द्वारा पारित 17.8.2021 के बाद के आदेश में उद्धृत किया गया था।

26. चूंकि इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया गया था

इस न्यायालय ने अपने दिनांकित 16.08.2021 आदेश में कहा:

" यह दिनांकित 11.08.2021 पारित आदेश की निरंतरता में है।

श्री इंदरजीत सरूप और श्री पी. के. मनोहर, जो पूरे समय पेरी कंसाग्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, के निर्देश पर विद्वान अधिवक्ता श्री अनुनया मेहता ने बताया कि पेरी कंसाग्रा अधिवक्ताओं के रूप में अपनी सेवाओं को जारी नहीं रखना चाहते हैं। उसे। उन्होंने आगे कहा कि श्री पेरी कंसाग्रा से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हो रहे हैं और निर्देश देने वाले अधिवक्ताओं और श्री पेरी कंसाग्रा के बीच कोई संपर्क स्थापित नहीं हो रहा है।

यह निश्चित रूप से स्पष्ट समझ पर था कि इस न्यायालय ने कुछ शर्तों के अधीन बच्चे की अभिरक्षा को पेरी कंसाग्रा के साथ रहने की अनुमति दी। उन शर्तों का तात्पर्य था कि छुट्टियों के दौरान,

अवकाश का आनंद बच्चे की माँ द्वारा लिया जाएगा। नहीं।

इन स्थितियों का पालन पेरी के रवैये को दर्शाता है।

कंसागरा। शर्तों का पालन न करना और खुद को दुर्गम बनाना निश्चित रूप से पेरी की अवज्ञा को दर्शाता है।

कंसागरा। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि श्री इंदरजीत सरूप और श्री पी. के. मनोहर, विद्वान अधिवक्ताओं को बरी नहीं किया जाएगा और वे पेरी कंसाग्रा का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस आदेश की एक प्रति तुरंत भारतीय को प्रेषित की जाए।

नैरोबी में दूतावास पेरी कंसाग्रा को दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, रजिस्ट्री को इसकी प्रतियां भेजने का भी निर्देश दिया जाता है।

भारतीय दूतावास को दिनांकित 11.08.2021 आदेश के साथ-साथ

नैरोबी अपने रिकॉर्ड और सुविधा के लिए।

बोर्ड पर पहली वस्तु के रूप में आगे के विचार के लिए इस विषय को सूचीबद्ध करें

17.8.2021 "पर।

27. इस न्यायालय द्वारा 17.08.2021 दिनांकित आदेश अगले दिन पारित किया गया।

2021 के I.A.No.100550 में प्रार्थना की गई नक्काशी को उद्धृत किया और आगे बढ़े

एस. एस. निर्देश जैसा कि उसमें कहा गया है: -

" आई. ए. नं. 100550/2021 स्मृति मदान की ओर से दायर किया गया है। कंसागरा-आदित्य की माँ अन्य बातों के साथ प्रार्थना कर रही है:

" ए। प्रतिवादी-पेरी कंसाग्रा के आचरण का स्वतः संज्ञान लेते हुए एक आदेश पारित करें और उचित कार्रवाई शुरू करें

उसके खिलाफ कार्यवाही और सभी परिणामी आदेश पारित करना: बी। प्रतिवादी-पेरी कंसाग्रा को कारण दर्शाएँ नोटिस जारी करें कि उन्हें कानून के अनुसार उपयुक्त रूप से आरोपित, दोषी और सजा क्यों नहीं दी जानी चाहिए और इस उद्देश्य के लिए निर्देश दिया जाना चाहिए।

केन्या और लंदन में भारतीय उच्चायोग इस माननीय न्यायालय के समक्ष कंसाग्रा की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त अधिकारियों की सहायता लेगा

उसे हिरासत में लेकर या अन्यथा; सी। आदित्य विक्रम कंसागरा की अभिरक्षा को वापस कर दें

अपीलार्थी;

डी। उत्तरदाता को प्रतिबंधित करें-पेरी कंसाग्रा

केन्या का उच्च न्यायालय, मिलिमानी विधि न्यायालय, परिवार प्रभाग।

रीति मदन कंसागरा बनाम। पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

एफ. प्रत्यर्थी-पेरी कंसाग्रा को भारतीय उच्चायोग द्वारा अधिकृत अधिकारी को केन्याई पासपोर्ट और आदित्य विक्रम कंसाग्रा का यूके पासपोर्ट दोनों देने के लिए मजबूर करें। जी। वर्तमान कार्यवाही में विदेश मंत्रालय के माध्यम से भारत संघ को शामिल करने का आदेश पारित करना और

अभिलेख पर अनुलग्नक पी-10 होने वाले पक्षों के संशोधित ज्ञापन को लें।

एच. 11.11.2020 दिनांकित दर्पण आदेश को ध्यान में रखते हुए, नैरोबी, केन्या में भारतीय उच्चायोग को निर्देश दें कि वह

आई. केन्या के नैरोबी में भारतीय उच्चायोग को आदित्य विक्रम के लिए एक आपातकालीन यात्रा दस्तावेज जारी करने का निर्देश दें कंसाग्रा अपने वर्तमान/वर्तमान केन्या पर अपने ओ. सी. आई. का नवीनीकरण कर रहे हैं

पासपोर्ट। जे. केन्या में भारतीय उच्चायोग के एक जिम्मेदार अधिकारी को नैरोबी से नई दिल्ली तक आदित्य के साथ यात्रा करने और नई दिल्ली पहुंचने पर आदित्य को अपीलार्थी को सौंपने का निर्देश दें;

एम. अपीलार्थी के साथ विवाह से उत्पन्न होने वाली लंबित कार्यवाही में प्रत्यर्थी पेरी कंसाग्रा के बचाव का आदेश पारित करें और परिच्छेद No.21 (e) में उल्लिखित प्रत्यर्थी द्वारा दायर जवाबी दावे को खारिज करें। एन. इसके ऊपर 'ए' से 'एम' प्रार्थनाओं के संदर्भ में अंतरिम एकतरफा आदेश पारित करें।

ओ। न्याय के हित में कोई अन्य आदेश पारित करें। "[2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

श्री ए. एस. चांधियोक और सुश्री सोनिया माथुर के बारे में सुना।

स्मृति कंसाग्र के वरिष्ठ अधिवक्ता।

अभिलेख पर तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम जारी करते हैं

चूंकि, पेरी कंसाग्रा के विद्वान अधिवक्ता मौजूद हैं, इसलिए वास्तव में कोई अलग सूचना की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, हम जारी करने का निर्देश देते हैं इस आवेदन पर आदित्य के पिता श्री पेरी कंसाग्रा को नोटिस।

हम नैरोबी, केन्या में भारतीय दूतावास को भी सेवा करने का निर्देश देते हैं

श्री पेरी कंसाग्रा पर इस आदेश की एक प्रति।

इस स्तर पर, हम प्रार्थनाओं के संदर्भ में अंतरिम राहत प्रदान करते हैं

(घ), (ङ) और (च) उपरोक्त आवेदन में किया गया है। विचार करने के लिए

और प्रार्थना में प्रार्थना की गई राहत को प्रभावी करें (जी) और के लिए

केंद्रीय एजेंसी, 19.081 पर वापसी योग्य। 2021 . इसके अलावा, कागजात विद्वान महान्यायवादी के पद पर कार्य किया जाएगा

भारत इस मामले में उचित कदम उठाए।

बोर्ड पर पहली वस्तु के रूप में इस मामले को 19.08.2021 पर सूचीबद्ध करें। हम विद्वान अधिवक्ता श्री अनुनय मेहता से अनुरोध करते हैं कि

अनुपालन सुनिश्चित करने में न्यायालय की सहायता करने के लिए न्यायालय का अधिकारी

पेरी के कहने पर रिकॉर्ड पर प्रस्तुत एक दर्पण आदेश कंसाग्रा "।

28. 18.08.2021 पर, स्मृति द्वारा एक और अंतरिम आवेदन दायर किया गया था

जी:

" 11. आदित्य की अभिरक्षा अपीलार्थी द्वारा पेरी को दी गई थी

"दर्पण क्रम" दिनांकित के बल पर 10.12.2020 पर

9.11.2020 , जिसे वे हमेशा से जानते थे कि यह इस माननीय न्यायालय के आदेश के सही मायने में अनुपालन में नहीं था। उत्तरदाता एक कुएँ में

सुनियोजित साजिश ने जानबूझकर फैसले का पालन नहीं किया

दिनांकित 28.10.2020।

12. सीधे शब्दों में कहें तो, उत्तरदाता का अनुपालन करने का प्रस्ताव

लेने से पहले दर्पण आदेश प्राप्त करने की पूर्व शर्त

आदित्य की केन्या में अभिरक्षा को प्रतिवादी द्वारा पूरा नहीं किया गया है, क्योंकि केन्याई अदालत ने एक बोलने वाले आदेश द्वारा इसे खारिज कर दिया है। प्रत्यर्थी को केवल इस दिनांकित 21.05.2021 आदेश के बारे में पता चला

केन्याई उच्च न्यायालय द्वारा 17.08.2021 पर पारित।

श्रीमती मदन कंसागरा बनाम। पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

13. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी ने धोखाधड़ी की है

यह कि उन्होंने इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के निर्णय के संदर्भ में केन्याई न्यायालय से दर्पण आदेश प्राप्त करने की पूर्व शर्त को पूरा करने में अपनी विफलता को दबा दिया है। मामले के उस दृष्टिकोण में, की बहुत हिरासत

प्रत्यर्थी के साथ आदित्य अवैध है और निरंतर अवैध है

इसलिए प्रार्थना की गई: " ए। घोषणा करें कि पेरी कंसाग्रा के साथ आदित्य विक्रम कंसाग्रा की अभिरक्षा अवैध है और 28.10.2020 दिनांकित आदेश को याद करें जिसे 08.12.2020 के साथ पढ़ा गया हो;

बी। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पंजीयक को प्रतिवादी, उसकी माँ और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 34 और 120 बी के साथ पठित धारा 191,193,209,420,361,363,365 और 368 और किसी अन्य लागू प्रावधान के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दें।

सी। सी. बी. आई. को उक्त एफ़. आई. आर. की जाँच करने का निर्देश दें और उसे अधिकार भी दें। आदित्य विक्रम कंसागरा को वापस लाने के लिए कदम उठाएगी सीबीआई

स्मृति कंसाग्र की वैध अभिरक्षा "।

29. उक्त आवेदन में दिनांकित 21.05.2021 आदेश की एक प्रति संलग्न की गई थी। उक्त आदेश दिनांक 21.05.2021 निम्नलिखित के लिए था

टी:

" केन्या गणराज्य

नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय में

परिवार विभाजन

2020 का गलत आवेदन NO.E031

विदेशी न्यायाधीशों के मामले में

(पारस्परिक सुधार)

अधिनियम, केप 43 ऑफ द लॉज ऑफ केन्या

शीर्ष के एक आदेश के मामले में

भारत का न्यायालय 28 अक्टूबर, 2020 को जारी किया गया

और

इन द मैटर ऑफ एवीके (एक बच्चा)

[2021] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और धारा 4,22,113 के मामले में

बच्चों का अधिनियम और

केन्या के संविधान का अनुच्छेद 53

2010

गलत आदेशों के लिए एक आवेदन के लिए

बी. वाई.

... . पूर्व-भाग आवेदन

पीके।

दोनों के बीच

.....पूर्व-भाग आवेदन

पीके..

न्याय

1. पी. के. आवेदक ने निम्नलिखित की मांग करते हुए दिनांक 30.10.2020 पर एक मूल समन दायर किया:

1. खर्च किया।

2. कि 2020 की सुप्रीम कोर्ट सिविल अपील No.3559 में भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय-एस. एम. के. बनाम। पी. के. पंजीकृत किया जाए। 3. कि आगे, या अन्य या आदेश दिए जाएं, ताकि 28 अक्टूबर 2020 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुपालन में किसी के आदेश को प्रभावी बनाया जा सके।

4. उस लागत को आरक्षित किया जाए।

2. आवेदन केन्या के संविधान, 2020, बाल अधिनियम और विदेशी निर्णय (पारस्परिक प्रवर्तन) अधिनियम और कानून के सभी सक्षम प्रावधानों के प्रावधानों पर आधारित है। इसमें मांगी गई प्रार्थनाओं को देखते हुए, इस मामले पर प्राथमिक कानून विदेशी निर्णय (पारस्परिक प्रवर्तन) अधिनियम है। 3. इस मामले के तथ्य जो रिकॉर्ड से प्राप्त किए जा सकते हैं, वे यह हैं कि एक केन्याई नागरिक आवेदक ने एक भारतीय नागरिक एस से शादी की।

शादी के बाद, एस केन्या चली गईं और अपने वैवाहिक घर में बस गईं। 2009 में, वह अपने बेटे एवीके के जन्म के लिए भारत लौटी, जिसका जन्म नई दिल्ली, भारत में 2.12.09 पर हुआ था। 1.7.10 पर, बच्चा अपने माता-पिता के साथ केन्या आया जहाँ वे रहते थे। 10.3.12 पर बच्चा अपने माता-पिता दोनों के साथ भारत चला गया और वह स्मृति मदन कंसागरा बनाम के कारण था।

पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

6.6.12 पर केन्या लौटें। आवेदक 22.6.12 पर भारत गया और केन्या लौटने तक 26.4.12 तक S और बच्चे के साथ समय बिताया। 26.5.12 पर, एस ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया, जिसमें आवेदक और उसके माता-पिता को रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई। बच्चे को उसकी वैध अभिरक्षा से या दिल्ली से हटाने से, या स्कूल में बच्चे तक पहुंचने से, जो आदेश दिए गए थे। इसने उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक पक्षों के बीच मुकदमे की शुरुआत को चिह्नित किया और निर्णय में समाप्त हुआ, जिसका पंजीकरण आवेदक चाहता है।

4. फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि फैसले में निर्धारित कई शर्तों के अधीन एस द्वारा बच्चे की अभिरक्षा आवेदक को सौंप दी जाए। के बीच कुंजी

शर्त यह है कि आवेदक को 2 सप्ताह के भीतर निर्णय में दिए गए निर्देशों को दर्शाते हुए इस न्यायालय से एक दर्पण आदेश प्राप्त करना था। तब दर्पण आदेश की एक प्रति भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जानी थी।

5. विदेशों में किए गए निर्णयों के प्रवर्तन से संबंधित कानून विदेशी निर्णय (पारस्परिक प्रवर्तन) अधिनियम, केन्या के कानूनों के अध्याय 43 में निर्धारित किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य केन्या में अन्य देशों में दिए गए निर्णयों को लागू करने का प्रावधान करना है।

केन्या में दिए गए निर्णयों और उसके संबंध में अन्य उद्देश्यों के लिए पारस्परिक व्यवहार। आवेदक इस न्यायालय द्वारा जिन आदेशों को पंजीकृत करना चाहता है, वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए थे। उक्त आदेश को लागू करने योग्य बनाने के लिए, इसे 2 मानदंडों को पूरा करना होगा। पहला, आदेश एक निर्दिष्ट अदालत द्वारा किया जाना चाहिए और दूसरा, यह एक आदेश या निर्णय होना चाहिए जिस पर अधिनियम लागू होता है।

6. अधिनियम की धारा 2 (1) एक नामित न्यायालय को निम्नानुसार परिभाषित करती है:

" नामित न्यायालय "का अर्थ है -

(क) एक पारस्परिक देश का एक उच्च न्यायालय जो एक राष्ट्रमंडल देश है;

(बी) किसी अन्य पारस्परिक देश का एक उच्च न्यायालय जो धारा 13 के तहत किए गए आदेश में निर्दिष्ट है;

(ग) एक पारस्परिक देश का एक अधीनस्थ न्यायालय जो धारा 13; [2021] 10 एस. सी. आर. के तहत किए गए आदेश में निर्दिष्ट है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. अधिनियम की धारा 2 (1) आगे एक "पारस्परिक देश" को परिभाषित करती है।

मंत्री द्वारा धारा 13 (1) के तहत इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उस देश को घोषित किया गया है। निर्णय देने वाला सर्वोच्च न्यायालय एक पारस्परिक देश का होना चाहिए, जैसा कि एक आदेश द्वारा लाइन मंत्री द्वारा घोषित किया गया है, अधिनियम के उद्देश्यों के लिए एक पारस्परिक देश होना चाहिए।

8. विदेशी निर्णय (पारस्परिक प्रवर्तन) (अधिनियम का विस्तार) आदेश, 1984 एक अनुसूची में सूचीबद्ध करता है, जिन देशों को मंत्री द्वारा पारस्परिक देश घोषित किया जाता है। आदेश के पैराग्राफ 2 में कहा गया है:

अनुसूची में निर्दिष्ट देशों को अधिनियम के उद्देश्यों के लिए पारस्परिक देश घोषित किया गया है और यह अधिनियम उन देशों के वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के संबंध में लागू होगा।

अनुसूची

1. ऑस्ट्रेलिया,

4. तंजानिया, 5. युगांडा,

6. ज़ाम्बिया,

7. यूनाइटेड किंगडम,

8. रवांडा गणराज्य।

9. उपरोक्त अनुसूची से यह स्पष्ट है कि भारत को मंत्री के आदेश से एक पारस्परिक देश घोषित नहीं किया गया है।

जायेश हसमुख शाह बनाम के मामले में। नवीन हरिया और एक अन्य [2016] ई. के. एल. आर. अपील न्यायालय ने एक अपील को खारिज कर दिया जिसमें अपीलार्थी ने केन्या में एथोपिया के एक फैसले को लागू करने और निष्पादित करने की मांग की थी, जो भारत की तरह, अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक पारस्परिक देश नहीं है। न्यायालय ने कहा:

केन्या और एथोपिया के बीच वर्तमान में कोई संधि नहीं है जिसके अनुसार किसी भी देश के फैसले को किसी भी देश की अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है। यह विवाद में नहीं है कि इथोपिया का संघीय सर्वोच्च न्यायालय "नामित स्मृति मदन कंसागरा बनाम" नहीं है।

पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

केन्या के विदेशी निर्णय के अर्थ के भीतर "अदालत"

(पारस्परिक प्रवर्तन) अधिनियम। प्रत्यर्थी ने इंटलफ्रेम लिमिटेड बनाम के मामले का हवाला दिया। मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी, (1986) के. एल. आर. जहाँ इस न्यायालय ने व्यक्त किया कि जिस मूल सिद्धांत पर पड़ोसी या अन्य राज्यों ने विदेशी निर्णयों को लागू करने के लिए प्रावधान किया है, वह पारस्परिकता का है। यह हमारा सुविचारित विचार है कि इंटलफ्रेम लिमिटेड का मामला v. भूमध्यसागरीय नौवहन कंपनी (उपरोक्त) और विदेशी निर्णय (पारस्परिक प्रवर्तन) अधिनियम (कैप 43, केन्या के कानून) इस अपील के लिए प्रासंगिक नहीं हैं क्योंकि वे केवल वहां लागू होते हैं जहां विदेशी निर्णय के प्रवर्तन पर पारस्परिक व्यवस्था होती है।

10. वर्तमान में कोई पारस्परिक व्यवस्था नहीं है।

केन्या और भारत के बीच जिसके अनुसार किसी भी देश के निर्णय को किसी भी देश की अदालतों द्वारा लागू या पंजीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम के अर्थ के भीतर एक "नामित न्यायालय" नहीं है।

11. यह ध्यान दिया जाता है कि आदेश, जिसका पंजीकरण अपीलार्थी द्वारा माँगा गया है, अपीलार्थी और एस के बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित है। भले ही भारत एक पारस्परिक देश था, यहां आवेदन अभी भी अधिनियम की धारा 3 (3) (ई) के प्रावधानों को देखते हुए बाधाओं में चलता है जो निर्धारित करता है: (3) यह अधिनियम किसी निर्णय या आदेश पर लागू नहीं होता है।

(ई) बच्चों की अभिरक्षा या संरक्षकता के संबंध में कार्यवाही में;

12. इस न्यायालय के पास विदेशी कानून को लागू करने या पंजीकृत करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

किसी बच्चे की अभिरक्षा या संरक्षकता के संबंध में कार्यवाही में निर्णय। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिनियम ऐसी कार्यवाहियों में निर्णय पर लागू नहीं होता है। इस संबंध में, मैं इयान म्बुगुआ मिमानो बनाम में मिस्योका, जे. से सहमत हूं। शार्लट वामुयु मुतिस्या और 2 अन्य [2014] ईकेएलआर। बताया गया है।

एक बच्चे की अभिरक्षा या संरक्षकता के साथ संबंध। 20 मई, 2014 के आवेदन में स्पष्ट रूप से कोई योग्यता नहीं है, जहां तक यह एक डिक्री [2021] 10 एस. सी. आर. के प्रवर्तन से संबंधित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक बच्चे की अभिरक्षा या संरक्षकता के संबंध में कार्यवाही में एक अमेरिकी अदालत द्वारा। मैं इसे देने से इनकार करता हूं, और मैं इसे लागत के साथ खारिज करता हूं।

13. इसलिए न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, जो कि एक गैर-पारस्परिक देश के उच्च न्यायालय का है, और आगे किसी बच्चे की अभिरक्षा या संरक्षकता के संबंध में कार्यवाही में एक है, विदेशी निर्णय (पारस्परिक प्रवर्तन) अधिनियम की धारा 13 (1) और 3 (3) (ई) के तहत इस न्यायालय में पंजीकृत नहीं है।

14. आवेदक ने अपने मामले के समर्थन में आई. डब्ल्यू. पी (शिशु) [2013] ई. के. एल. आर. के मामले पर भरोसा किया है। मैंने इस निर्णय पर विचार किया है और ध्यान दिया है कि यह इस मायने में अलग है कि जिस निर्णय के संबंध में पंजीकरण की मांग की गई थी, वह यूनाइटेड किंगडम के एक उच्च न्यायालय से था।

अधिनियम की धारा 2 के अर्थ के भीतर देश। विशेष रूप से, विद्वान न्यायाधीश ने संरक्षकता से संबंधित मामलों में अधिनियम की प्रयोज्यता पर धारा 3 (3) (ई) में उस प्रतिबंध को संबोधित नहीं किया और बच्चों का संरक्षण। किसी भी स्थिति में, उक्त निर्णय इस न्यायालय के समवर्ती अधिकार क्षेत्र के न्यायालय का होने के कारण इस न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं है।

15. अंत में और बताए गए कारणों के लिए, मुझे लगता है कि 30.10.2020 दिनांकित मूल समन में योग्यता का अभाव है और इसे एतद्द्वारा खारिज कर दिया जाता है। यह एक बच्चे से संबंधित मामला होने के कारण, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

मई 2021 के इस 21 वें दिन नैरोबी में दिनांकित, हस्ताक्षरित और वितरित किया गया।

एम. थांडे

जज "

30. 19.08.2021 पर, श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल

दिया पेश हुआ और मामले को उठाने का निर्देश दिया गया

. 2021 . इस न्यायालय द्वारा 24.08.2021 पर निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:

2021 सिविल अपील No.3559/2020 में दायर किया गया है इस न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेशों में कुछ विस्तार से संदर्भित

11.08.2021,16.08.2021 और 17.08.2021 पर।

श्रीमती मदन कंसागरा बनाम। पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

" इस न्यायालय द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार, श्री तुषार मेहता,

विद्वान एस. जी. उपस्थित हुए हैं और कुछ प्रस्तुतियों को आगे बढ़ाया है। श्री.

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं, मुकुल रोहतगी और सुश्री सोनिया माथुर, आवेदक की ओर से उपस्थित होने ने भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है

विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतिकरण के आलोक में, हमारा विचार है कि यह उचित होगा यदि मामले को सामने रखा जाए

28.10.2020 दिनांकित निर्णय के रूप में तीन न्यायाधीशों की पीठ और 08.12.2020 दिनांकित आदेश तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पारित किया गया था

माननीय न्यायमूर्ति श्री हेमंत गुप्ता के साथ तीन न्यायाधीश निर्णय की तारीख के समय पीठ का सदस्य कौन था

28.10.2020 और 08.12.2020 दिनांकित आदेश पारित किए गए।

बोर्ड के अंत में मामले को 27.08.2021 पर सूचीबद्ध करें।

31. स्मृति और श्री अनुनय के विद्वान वकील को सुनने के बाद

ए जिसने आदेश द्वारा न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में सहायता प्रदान की

27.08.2021 , मामले को आदेश के लिए पोस्ट करने का निर्देश दिया गया था

2 सितंबर, 2021 को एन. टी बेंच। हालाँकि, 01.09.2021 पर, आई. ए.08665 स्मृति द्वारा 2021 की याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था:

" 2. कि इस माननीय न्यायालय ने 17.08.2021 दिनांकित आदेश के माध्यम से

अपीलार्थी को और इसके विरुद्ध निम्नलिखित प्रार्थनाएँ प्रदान की गईं उत्तरदाता -

" डी। उत्तरदाता को प्रतिबंधित करें-पेरी कंसाग्रा

कोई कार्रवाई, या/और कोई कदम उठाना, या/और किसी भी कार्यवाही या किसी भी प्रकृति की किसी भी कार्रवाई को शुरू करना और/या मुकदमा चलाना केन्या में न्यायालयों या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष जो दिनांकित 11.08.2021 या किसी अन्य आदेश या निर्णय के कार्यान्वयन या निष्पादन में बाधा पैदा करेगा।

इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित;

ई. उत्तरदाता को प्रतिबंधित करें-पेरी कंसाग्रा से दिनांकित 11.11.2020 दर्पण क्रम के किसी भी संशोधन की मांग करने से

केन्या का उच्च न्यायालय, मिलिमानी विधि न्यायालय, परिवार

प्रभाग "।

3. कि अपीलार्थी को 31.08.2021 दिनांकित एक ईमेल प्राप्त हुआ

प्रस्ताव के नोटिस और [2021] 10 एस. सी. आर. के नोटिस के समर्थन में एक हलफनामे के साथ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रस्ताव, दिनांक 26 अगस्त, 2021 और दिनांक 30 अगस्त, 2021 का एक आदेश, दोनों केन्या के उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए। उक्त दस्तावेज आगे दूषित और गलत साबित करते हैं।

प्रत्यर्थी का आचरण और इस माननीय न्यायालय के समक्ष अनुलग्नक पी-1 (Pg.No.5 से 127) के रूप में रखा जा रहा है।"

32. उसी दिन, स्मृति द्वारा 2021 का एक और आवेदन यानी आई. ए. No.109369 दाखिल किया गया था जिसमें कहा गया था:

" 3. कि अपीलार्थी को 26 अगस्त, 2021 को याचिका के समर्थन में एक याचिका और एक हलफनामे के साथ 31.08.2021 दिनांकित एक ईमेल प्राप्त हुआ और केन्या के उच्च न्यायालय द्वारा 30 अगस्त, 2021 को पारित एक आदेश प्राप्त हुआ। उक्त दस्तावेज आगे

के दूषित और गलत आचरण को स्थापित करें

प्रत्यर्थी और इस माननीय न्यायालय के समक्ष रखे जा रहे हैं

अनुलग्नक पी-2 "।

33. इन आवेदनों और उनसे जुड़े दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि:

ए. 26.08.2021 पर, पेरी ने 2021 की याचिका संख्या ई 301 दायर की, जिसमें अन्य बातों के साथ यह घोषणा करने का दावा किया गया कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश थे

अमान्य और अनुपालन और/या प्रवर्तन में असमर्थ और स्मृति को आदित्य को केन्या के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर ले जाने से रोकने वाले स्थायी निषेधाज्ञा के लिए। याचिका के प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैं:

" 4. याचिकाकर्ता और प्रथम प्रतिवादी ने 29 जुलाई, 2007 को नई दिल्ली, भारत में अपनी शादी की और शादी के बाद, प्रथम प्रतिवादी केन्या चला गया और केन्या के नैरोबी में याचिकाकर्ता के साथ रहा। नाबालिग का जन्म 2 दिसंबर, 2009 को याचिकाकर्ता और प्रथम प्रतिवादी के विवाह से हुआ था और उक्त बच्चे के पास दोहरी केन्या और ब्रिटिश नागरिकता है।

5. प्रथम प्रत्यर्थी ने केन्या छोड़ दिया और नाबालिग के साथ 10 मार्च, 2012 को भारत में रहने वाली उसकी (प्रथम प्रत्यर्थी की) माँ से मिलने जाने के बहाने भारत की यात्रा की और भारत पहुंचने और बसने पर, प्रथम प्रत्यर्थी ने गुप्त रूप से नई दिल्ली, भारत में उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया जिसमें एक स्थायी याचिका की मांग की गई।

याचिकाकर्ता और उसके माता-पिता को नाबालिग को प्रथम प्रतिवादी की अभिरक्षा से हटाने या नाबालिग को दिल्ली से हटाने या स्कूल में उससे संपर्क करने से रोकने का आदेश।

श्रीमती मदन कंसागरा बनाम। पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

6. प्रथम प्रत्यर्थी ने नाबालिग को आठ (8) वर्षों के लिए भारत में अनधिकृत रूप से और अवैध रूप से हिरासत में रखा और याचिकाकर्ता को भारतीय न्यायालयों में प्रथम प्रत्यर्थी के साथ एक थकाऊ और लंबे मुकदमे से गुजरना पड़ा, जो मुकदमेबाजी 28 अक्टूबर, 2020 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

2020 के सर्वोच्च न्यायालय नागरिक आवेदन (एस. एम. आर. आई. टी. आई. मदन) में दिए गए फैसले में समाप्त हुई।

कंसागरा बनाम पेरी कंसागरा) जिसके अनुसार

याचिकाकर्ता को, अन्य बातों के साथ-साथ, नाबालिग की स्थायी अभिरक्षा दी गई थी।

7. तीनों भारतीय न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एक निर्णायक निष्कर्ष पर पहुंचे कि याचिकाकर्ता को नाबालिग की अभिरक्षा प्रदान करके बच्चे का सर्वोत्तम हित और कल्याण सबसे अच्छा सुरक्षित है और याचिकाकर्ता और प्रथम प्रतिवादी के बीच कार्यवाही में जारी किए गए तीन प्रासंगिक निर्णय इस प्रकार हैं:

क) 2012 की गारंटी याचिका NO.53 (पेरी कंसागरा बनाम स्मृति मदान

कांसाग्रा) परिवार न्यायालय दक्षिण साकेत जिला न्यायालय, नई दिल्ली में दायर किया गया जहां याचिका की अनुमति दी गई थी और याचिकाकर्ता को नाबालिग बच्चे का अभिभावक घोषित किया गया है, जिसमें पहले प्रतिवादी को मिलने का अधिकार और अस्थायी हिरासत दी गई है।

हर साल गर्मियों और सर्दियों में स्कूल की छुट्टियां।

ख) इसके बाद, परिवार न्यायालय दक्षिण साकेत जिला न्यायालय, नई दिल्ली के उक्त आदेश को पहली अदालत द्वारा चुनौती दी गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी, मामला सं।

एमएटी। एपीपी (एफ. सी.) 30/2018. उक्त अपील को 25 फरवरी, 2020 के फैसले और याचिकाकर्ता के माध्यम से खारिज कर दिया गया था

इसमें स्थायी अभिरक्षा दी गई थी।

ग) इसके बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को प्रथम प्रतिवादी द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 2020 के नागरिक आवेदन NO.3559 (एस. एम. आर. आई. टी. आई.) के माध्यम से चुनौती दी गई थी। मदन कंसागरा बनाम पेरी कंसागरा)

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक संरक्षक याचिका से उत्पन्न अपील, जिसमें नाबालिग की अभिरक्षा पेरी कंसाग्रा (याचिकाकर्ता) को सौंप दी गई थी, याचिकाकर्ता के कुछ निर्देशों को पूरा करने के अधीन थी, जिनमें से नैरोबी, केन्या में उच्च न्यायालय से 'दर्पण आदेश' प्राप्त करना शामिल था।

***

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. यह नाबालिग के लिए अपमानजनक और अपमानजनक है और उसकी अंतर्निहित गरिमा का सम्मान करना और उसे एक विदेशी नागरिक को बाहर निकालने के लिए मजबूर करके उसके अधिकारों का उल्लंघन है।

नैरोबी में भारतीय दूतावास के कार्यालय में भारत का (ओ. सी. आई.) कार्ड पहले उसकी भावनाओं और इच्छाओं का पता लगाए बिना, और इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि वह केन्या गणराज्य और यूनाइटेड किंगडम का दोहरा नागरिक है।

13. प्रथम प्रत्यर्थी की कार्रवाई और 11 अगस्त, 2021 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश जिसमें नाबालिग को ओ. सी. आई. कार्ड निकालकर भारत के लिए उड़ान भरने की आवश्यकता है, केन्या के संविधान के अनुच्छेद 28 के तहत निहित अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है जो नाबालिग की अंतर्निहित गरिमा और उस गरिमा का सम्मान करने और उसकी रक्षा करने के अधिकार को मान्यता देता है।

14. प्रथम प्रत्यर्थी और/या भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नाबालिग की इच्छाओं और भावनाओं, उसकी भावनात्मक जरूरतों का पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है और यह मूल्यांकन करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है कि क्या ओ. सी. आई. कार्ड निकालना और कोरोनावायरस महामारी के लंबित रहने के दौरान नाबालिग की भारत यात्रा की व्यवस्था करना उसके कल्याण और सर्वोत्तम हित के लिए हानिकारक है।

15. याचिकाकर्ता का आरोप है कि केन्या के संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत, नाबालिग को दुर्व्यवहार, उपेक्षा और अमानवीय व्यवहार से संरक्षित होने का अधिकार है और यह मान्यता है कि बच्चे से संबंधित हर मामले में नाबालिग का सर्वोत्तम हित सर्वोपरि है। केन्या के संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत उक्त मौलिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के तरीके और प्रासंगिक कार्यों का वर्णन करने के लिए याचिकाकर्ता जिन संक्षिप्त आरोपों और तथ्यों पर भरोसा करता है, वे हैं:

(क) भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी अप्रभावी और अप्रवर्तनीय आदेश बिना अधिकार क्षेत्र के दिए गए थे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय उन मामलों में केन्याई नाबालिग पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता था जो नाबालिग की हिरासत से संबंधित थे जो अब केन्या के निवासी और नागरिक हैं। आदेशों में नाबालिग के कल्याण, निश्चित भावनाओं, इच्छाओं और सर्वोत्तम हित को ध्यान में नहीं रखा गया था और नाबालिग की भावनात्मक जरूरतों, भावनाओं और इच्छाओं का पता लगाने से पहले नाबालिग को ओ. सी. आई. कार्ड लेने और भारत की यात्रा करने के लिए मजबूर करके, अदालत ने बच्चे के सर्वोत्तम हित की पूरी तरह से अवहेलना की।

रीति मदन कंसागरा बनाम। पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

(ख) भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश कानून के शासन और मानवाधिकारों को आगे नहीं बढ़ाते हैं और अधिकारों के विधेयक में गारंटीकृत मौलिक स्वतंत्रताएँ। आदेश लागू करने में असमर्थ हैं और यदि लागू किए जाते हैं, तो इसके बेतुके परिणाम होंगे क्योंकि उक्त आदेश निम्नलिखित के आधार पर बाध्यकारी नहीं हैं:

(i) भारत को केन्या के कानूनों के विदेशी निर्णय (पारस्परिक प्रवर्तन) अधिनियम, अध्याय 43 के प्रावधानों के तहत एक पारस्परिक देश घोषित नहीं किया गया है और इस तरह, भारतीय न्यायालयों के निर्णय को केन्या में प्रभावी ढंग से लागू और/या निष्पादित नहीं किया जा सकता है।

(ii) विदेशी निर्णय (पारस्परिक) की धारा 3 (3) (ई) प्रवर्तन) अधिनियम, केन्या के कानूनों का अध्याय 43 विदेशी न्यायालयों द्वारा पारित बच्चों की अभिरक्षा या संरक्षकता से संबंधित कार्यवाही में किसी निर्णय या आदेश को मान्यता नहीं देता है। पूर्वगामी में

परिस्थितियों में, केन्या में न्यायालय बच्चों की अभिरक्षा या संरक्षकता से संबंधित ऐसी कार्यवाही में विदेशी निर्णय से बाध्य नहीं हैं।

(iii) कोई वैध "दर्पण आदेश" नहीं है और बच्चे को भारत भेजे जाने की स्थिति में, इस बात की पूरी संभावना है कि बच्चे को भारतीय अदालतों और/या माता और केन्याई अदालतों द्वारा भारत में हिरासत में लिया जा सकता है, जो केन्याई नागरिकों और नागरिकों पर कानूनी रूप से अधिकार क्षेत्र में निहित हैं, वे नाबालिग पर अपना अधिकार क्षेत्र खो देंगे और केन्याई अदालतों के लिए ऐसी स्थिति में बच्चे के अधिकारों की रक्षा करना असंभव हो जाएगा।

(ग) नाबालिग की शारीरिक, भावनात्मक और शैक्षिक आवश्यकताओं को कोई ध्यान नहीं दिया गया है और नाबालिग को कोविड-19 महामारी के अस्तित्व के दौरान भारत की यात्रा करने के लिए मजबूर होने से नुकसान होने का खतरा है, इस प्रकार वह उजागर हो जाता है।

स्वास्थ्य के लिए खतरा।

अन्य न्यायालय या प्रशासनिक निकाय। (ई) यह किसी भी न्यायालय, राजनयिक मिशन या प्रशासनिक निकाय के लिए [2021] 10 एस. सी. आर. के लिए अनुचित और जनहित के विपरीत है।

प्राप्त करना चाहते हैं। (च) प्रत्येक बच्चे का अपने सर्वोत्तम हित की रक्षा और सुरक्षा का अधिकार सर्वोपरि है और भारत के सर्वोच्च

न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेशों का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों के आनंद को सीमित और प्रतिबंधित करना है।

केन्या के संविधान का अनुच्छेद 53 (2)।

(छ) प्रथम उत्तरदाता के कृत्य दुर्भावनापूर्ण हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए गणना की जाती है कि नाबालिग को ओ. सी. आई. कार्ड जारी किया गया है और वह भारत की यात्रा करता है। पहला उत्तरदाता बच्चे के सर्वोत्तम हित से प्रेरित नहीं है और केन्या के संविधान के अनुच्छेद 53 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

16. याचिकाकर्ता का कहना है कि इस माननीय न्यायालय ने

केन्या के संविधान के अनुच्छेद 165 (3) (ए), (बी) (डी) और अनुच्छेद 258 और बच्चों की धारा 22 (1) के तहत अधिकार क्षेत्र

इस याचिका को सुनने और निर्धारित करने के लिए कार्य करें और ऐसे आदेश दें, ऐसे रिट जारी करें और ऐसे निर्देश दें जिन पर वह विचार करे। कानून द्वारा आवश्यक
नाबालिग के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए।

आपका याचिकाकर्ता इसलिए विनम्र प्रार्थना करता है कि:

भारतीय अधिकार क्षेत्र और/या कानूनों की अयोग्यता की घोषणा

1 .

और/या नाबालिग के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने से इनकार करने, उल्लंघन करने और/या धमकी देने वाले निर्णय

संबंधित कथित और अप्रवर्तनीय निर्णय और आदेश
के संविधान के अनुच्छेद 23 (3) (डी) के तहत नाबालिग को

केन्या। एक घोषणा कि नाबालिग
केन्या का दोहरा नागरिक है और

2 .

यूनाइटेड किंगडम और केन्या का निवासी और भारत का कोई क्षेत्रीय और/या भौगोलिक अधिकार क्षेत्र नहीं है। नाबालिग से संबंधित
व्यक्तिगत मामले।

3 .

एक घोषणा जो नाबालिग को विदेशों में ले जाने के लिए मजबूर करती है

नैरोबी में भारतीय दूतावास के कार्यालय में भारतीय नागरिक (ओ. सी. आई.) कार्ड और/या उक्त नाबालिग को अत्यधिक आर. आई. टी. आई. मदन कंसागरा बनाम के लंबित रहने के दौरान भारत के लिए उड़ान भरने के लिए मजबूर करना।

पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

एक घोषणा कि 11 अगस्त, 2021 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के लिए कोई वैध "दर्पण आदेश" मौजूद नहीं है और इन परिस्थितियों में, आदेश नाबालिग के लिए लागू नहीं हैं और अनुपालन और/या प्रवर्तन में असमर्थ हैं। एक घोषणा कि विदेशी अधिनियम की धारा 3 (3) (ई) के तहत

निर्णय (पारस्परिक प्रवर्तन) अधिनियम, केन्या, केन्या के कानूनों के अध्याय 43 में मान्यता देने का अधिकार क्षेत्र नहीं है,

इन कार्यवाहियों के अन्य पक्ष को केन्याई न्यायालयों से कोई निवारण प्राप्त करना चाहिए जहां नाबालिग नागरिक है और वर्तमान में धारा 118 के तहत प्रदान किए गए निवासी

बाल अधिनियम।

एक आदेश जिसे बाल सेवा निदेशक वहन करते हैं

कल्याण, कल्याण की गहन जांच करना,

बाल अधिनियम की धारा 4 (2), 11,76 (3) के तहत नाबालिग की इच्छाओं और भावनाओं का पता लगाना और इस माननीय न्यायालय को एक रिपोर्ट देना और सभी आवश्यक सहायता प्रदान करना। न्यायिक प्रक्रिया को इस आशय के लिए कि इस माननीय न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश जिनके लिए प्रशासनिक आवश्यकता होती है

व्यवस्थाएँ पूरी हो सकती हैं।

याचिकाकर्ता को परिस्थितियों और अवधियों में प्रथम प्रत्यर्थी और नाबालिग को निर्बाध टेलीफोन पहुँच की अनुमति देने का निर्देश देने वाला एक आदेश न्यायालय केन्या गणराज्य के भीतर परिस्थितियों में और अदालत [2021] 10 एस. सी. आर. की अवधि के लिए नाबालिग से मिलने और रहने के लिए उचित और मुलाकात के अधिकार समझेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उचित समझेगा बशर्ते कि पहला प्रत्यर्थी नाबालिग को केन्या गणराज्य से नहीं हटाएगा। प्रथम उत्तरदाता को छोड़कर एक स्थायी निषेधाज्ञा

9 .

स्वयं, उसके सेवकों और/या एजेंटों द्वारा नाबालिग को इस माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर ले जाने से या कोई अन्य व्यक्ति जो नाबालिग और याचिकाकर्ता की स्पष्ट जानबूझकर सहमति के बिना केन्या से नाबालिग को हटाने की व्यवस्था और/या सुविधा प्रदान करता है। ..... '

बी. 2021 की उक्त याचिका संख्या ई 301 में, प्रस्ताव की सूचना भी दी गई थी

घ. विवाद की सुनवाई और निर्धारण लंबित रहने तक अंतरिम राहत के लिए। प्रस्ताव की सूचना का अंतिम भाग था:

" आंदोलन की सूचना

(केन्या के संविधान के नियम 11 (1) भाग II के तहत

(अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं का संरक्षण) अभ्यास

कानून)। ध्यान दें कि इस माननीय न्यायालय को आगे बढ़ाया जाएगा।

..... 2021 का. दिन, वकील द्वारा

आदेशों के लिए आवेदन की सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता/आवेदक

वह:

1. यह आवेदन तत्काल प्रमाणित होना चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई के लिए उपयुक्त होना चाहिए।

आधार। 2. इस पर अंतर-पक्षीय सुनवाई और निर्धारण लंबित है।

आवेदन, यह माननीय न्यायालय एक जारी करने के लिए प्रसन्न होगा यथास्थिति का संरक्षणात्मक आदेश।

जो कोई भी नाबालिग को इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर ले जाए माननीय न्यायालय और/या नाबालिग की स्पष्ट सहमति के बिना केन्या से नाबालिग को हटाने की व्यवस्था और/या सुविधा प्रदान करना।

और याचिकाकर्ता।

4. इस पर अंतर-पक्षीय सुनवाई और निर्धारण लंबित है।

आवेदन करते हुए, यह माननीय न्यायालय श्रीमती मदन कंसागरा बनाम का आदेश जारी करने के लिए प्रसन्न होगा।

पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

अस्थायी निषेधाज्ञा प्रथम उत्तरदाता को या तो स्वयं, उसके सेवकों और/या एजेंटों या किसी अन्य व्यक्ति को, जो भी नाबालिग के नाम और/या उसकी ओर से भारत की विदेशी नागरिकता (ओ. सी. आई.) कार्ड के लिए आवेदन करने या प्राप्त करने से रोकती है ताकि नाबालिग को केन्या गणराज्य के बाहर उड़ान भरने और यात्रा करने में सुविधा हो सके। 5. अपने अंतर्निहित विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए, और यदि यह उचित लगता है, तो इस माननीय न्यायालय को बुलाकर उनसे बातचीत करने में खुशी होगी।

नाबालिग और कोविड-19 वैश्विक महामारी के लंबित रहने के दौरान उसे केन्या से हटाने और उसे भारत ले जाने के प्रथम प्रतिवादी के इरादे के बारे में उसकी भावनाओं और इच्छाओं का पता लगाएं और यदि न्यायालय को यह आवश्यक लगे तो बाल सेवा विभाग में संबंधित कार्यालय को इस माननीय न्यायालय के समक्ष एक स्थितिजन्य रिपोर्ट तैयार करने और दाखिल करने के लिए नियुक्त करें।

नाबालिग की निश्चित भावनाएँ और इच्छाएँ और यह पता लगाना कि क्या भारत की इच्छित यात्रा नाबालिग के सर्वोत्तम हित में है। 6. एक आदेश कि याचिका की सेवा और इस मामले में अदालत की सभी दलीलों और/या प्रक्रिया के साथ सहायक हलफनामे को प्रथम प्रतिवादी को उसके अंतिम ज्ञात ईमेल पते के माध्यम से और कूरियर सेवा द्वारा उसके अंतिम ज्ञात पते पर भेजा जाए।

नई दिल्ली, भारत में सी-ब्लॉक 487, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 की देखभाल की जा रही है।

7. इस आवेदन के लिए एक आकस्मिक लागत उक्त अपील के परिणामों का पालन करती है।

जो आवेदन अन्य बातों के साथ-साथ याचिकाकर्ता/आवेदक के शपथ पत्र द्वारा समर्थित निम्नलिखित आधारों पर और सुनवाई में प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य आधारों पर किया जाता है;

क) कि याचिकाकर्ता/आवेदक नाबालिग का जैविक पिता और स्वाभाविक अभिभावक है और वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2020 के सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील संख्या 3559 (स्मृति मदन कंसागरा बनाम) में जारी एक अदालती आदेश के बाद अपने नैरोबी घर में नाबालिग की देखभाल करता है। पेरी कंसागरा)

ख) कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय 2020 की सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील No.3559 (स्मृति मदन कंसागरा बनाम पेरी कंसागरा) में निर्णायक निष्कर्ष पर पहुंचा कि [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रत्येक वर्ष गर्मियों और सर्दियों में स्कूल की छुट्टियों के दौरान प्रतिवादी को मिलने का अधिकार दिए जाने के साथ याचिकाकर्ता को नाबालिग की स्थायी अभिरक्षा प्रदान करके बच्चे के सर्वोत्तम हित और कल्याण की सर्वोत्तम सेवा और सुरक्षा की गई थी। ग) कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के बाद, नाबालिग नैरोबी में याचिकाकर्ता के साथ रह रहा है, जहाँ वह अपने नए घर और स्कूल के वातावरण के अभ्यस्त हो गया है और दोस्त बना चुका है और सितंबर, 2021 के महीने में नैरोबी के पेपोनी हाउस स्कूल में सातवीं कक्षा शुरू करने वाला है।

घ) कि 28 जून, 2021 को नाबालिग ने अपने दादा को खो दिया, जिन्होंने कोविड-19 से संबंधित जटिलताओं के कारण दम तोड़ दिया और अभी भी हैं। उक्त क्षति के लिए शोक व्यक्त करते हुए क्योंकि वे अपने दादा के बहुत करीब थे। नाबालिग को कोविड-19 महामारी का डर है और वह नैरोबी में रहना पसंद करता है और कोविड-19 महामारी के लंबित रहने के दौरान यात्रा नहीं करता है।

ई) कि प्रथम प्रत्यर्थी ने 11 अगस्त 2021 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त किए।

2021 का असंबद्ध आवेदन NO.1167 नागरिक आवेदन संख्या में। 3559 2020 का (स्मृति मदन)

कंसागरा बनाम पेरी कंसागरा) जहां अदालत ने याचिकाकर्ता को नाबालिग को विदेशों में जारी करने के लिए नैरोबी में भारतीय दूतावास के कार्यालय में आवेदन करने के लिए मजबूर करने का आदेश जारी किया

भारत का नागरिक कार्ड ताकि माइनर बोर्ड को उड़ान भरने और भारत की यात्रा करने में सक्षम बनाया जा सके, इसके बावजूद कि केन्या गणराज्य की सरकार ने केन्या नागरिक उड्डयन के माध्यम से यात्रा प्रतिबंध जारी किए हैं और कोविड-19 संक्रमण के कारण 7 जून, 2021 की मध्यरात्रि से केन्या और भारत के बीच सभी यात्री उड़ानों को निलंबित कर दिया है।

च) कि नाबालिग ने अपनी आश्वस्त करने योग्य भावनाओं की घोषणा की है और जैसा कि 9 अगस्त, 2021 की एक स्थितिजन्य रिपोर्ट में दर्ज किया गया है और बाल सेवा विभाग में नैरोबी कंट्री चिल्ड्रन सर्विसेज के काउंटी समन्वयक द्वारा तैयार की गई है और उक्त रिपोर्ट की सामग्री से, नाबालिग को पहले उत्तरदाता से डर लगता है और वह भारत की यात्रा करने के लिए तैयार नहीं है; वह याचिकाकर्ता के साथ केन्या में रहना पसंद करता है और डरता है कि पहला उत्तरदाता जो है

शराबी, अपमानजनक और हिंसक नाबालिग को भारत में अवैध रूप से हिरासत में लेगा जैसे उसने पहले किया था।

श्रीमती मदन कंसागरा बनाम। पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

छ) कि पहला उत्तरदाता तेजी से आगे बढ़ा है और नाबालिग की निश्चित भावनाओं और इच्छाओं के विपरीत नाबालिग को पेरिस के रास्ते भारत ले जाने के लिए नाबालिग के लिए एक हवाई टिकट बुक किया है और न्याय के हित को पूरा करने के लिए एक

यथास्थिति का संरक्षणात्मक आदेश और संलग्न याचिका की सुनवाई और निर्धारण लंबित है।

जो कोई भी नाबालिग को इस माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से हटाने और/या विदेशी नागरिकता के लिए आवेदन करने से नाबालिग के नाम और/या उसकी ओर से भारत (ओ. सी. आई.) कार्ड, नाबालिग को भारत के लिए उड़ान भरने में सुविधा प्रदान करने के लिए, नाबालिग के सर्वोत्तम हित से समझौता किया जाएगा और संविधान के तहत उसके अधिकारों और स्वतंत्रताओं की गारंटी का उल्लंघन किया जाएगा और प्रभावित होने पर उसके स्वास्थ्य, मानसिक और भावनात्मक विकास का उल्लंघन किया जाएगा।

जे) यह न्याय के हित में और आदित्य विक्रम कंसागरा के सर्वोत्तम हित में है कि इसमें मांगे गए आदेश दिए जाएं।

नैरोबी में दिनांकित, अगस्त, 2021 के इस 26 वें दिन।

ग. प्रस्ताव की सूचना के समर्थन में पेरी के हलफनामे में कहा गया है, अन्य:

" 15. यह कि मुझे श्री प्रवीण बाउरी एस. सी. द्वारा सलाह दी गई है, और जो सलाह मैं वास्तव में सच मानता हूं कि राजनयिक प्रतिरक्षा के सिद्धांत के कारण, मैं मुकदमा दायर नहीं कर सकता और नैरोबी में भारतीय दूतावास के सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आदेश प्राप्त नहीं कर सकता कि वे नाबालिग को भारतीय प्रवासी नागरिक कार्ड जारी करने से रोकें क्योंकि वे केन्याई अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं हैं।

अपने आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में।

16. कि मुझे मेरे उपरोक्त अधिवक्ता द्वारा आगे सलाह दी जाती है और जो सलाह मैं वास्तव में सच मानता हूं, कि विदेशी निर्णय (पारस्परिक [2021] 10 एस. सी. आर. की धारा 3 (3) के प्रावधानों के तहत।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रवर्तन) अधिनियम, केन्या के कानूनों का अध्याय 43, में न्यायालय केन्या से प्राप्त आदेशों को मान्यता नहीं दे सकता है और/या उनसे निपट नहीं सकता है।

अभिरक्षा से संबंधित कार्यवाहियों में विदेशी न्यायालय या बच्चों की संरक्षकता और प्रथम द्वारा प्राप्त आदेश

11 अगस्त, 2021 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिवादी केन्याई न्यायालयों द्वारा मान्यता और/या प्रवर्तन नहीं दिया जा सकता है

और इस प्रकार अमान्य हैं और उन्हें घोषित करने की आवश्यकता है।

17. इसलिए मैं यथोचित रूप से आशंकित हूं कि यदि यह

मामला तत्काल प्रमाणित नहीं है और प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाता है

आधार और यथास्थिति का एक संरक्षणात्मक आदेश जारी किया गया, आदेश

प्रथम उत्तरदाता द्वारा 11 अगस्त, 2021 को प्राप्त किया गया

भारत का सर्वोच्च न्यायालय और जो अमान्य और अक्षम है

केन्याई न्यायालयों द्वारा मान्यता और/या प्रवर्तन का उपयोग किया जाएगा मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं को बाधित करना और उनका उल्लंघन करना

नाबालिग जो केन्या गणराज्य का नागरिक और निवासी हो और

नाबालिग को इस अधिकार क्षेत्र से गैरकानूनी रूप से हटाने के लिए उपयोग किया जाता था

माननीय न्यायालय "।

डी. पैराग्राफ में संदर्भित स्थितिजन्य रिपोर्ट दिनांक 9.8.2021

प्रस्ताव की सूचना इस प्रकार थी:

" ई. ए. सी., श्रम और सामाजिक मंत्रालय

सुरक्षा

बाल सेवाओं का विभाजन

नैरोबी देश बाल सेवाएँ

दूरभाष (020) 2059212

प्रांतीय मुख्यालय भवन

ईमेल करें।

न्यायो हाउस

पी. ओ. बॉक्स 58016-0200

नैरोबी

तारीख: 09/08/2021

डेविड किप्टम एंड कंपनी एडवोकेट्स

पी. ओ. बॉक्स 21863-001100

नैरोबी स्मृति मदन कंसागरा बनाम। पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

आदित्य विक्रम पर स्थितिजन्य रिपोर्ट

कंसागरा (माइनर)

नाबालिग का साक्षात्कार लिया गया और उसने मुझे संकेत दिया कि वह अपनी माँ से बात नहीं करना चाहता क्योंकि उसके पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं था। यह उसका दावा था कि हर बार जब वह उससे बात करता था तो वह उस पर केन्या छोड़ने और भारत में उसके साथ शामिल होने का दबाव डालती थी, जो वह नहीं चाहता था। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने उन्हें बहुत बुरी यादों की याद दिलाई जहां उनकी मां उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही थीं। कि जब भी वह कुछ नशे में होती थी तो वह उस पर चिल्लाती थी जो उसे भावनात्मक रूप से प्रभावित करती थी। उनका यह भी दावा था कि उनकी मां उन्हें अपने दोस्तों के साथ खेलने नहीं देती थीं। नाबालिग ने कहा कि वह अपनी नानी से बात करना पसंद करता था, जिनके बारे में उसने कहा कि वह भारत में रहते हुए उसके प्रति बहुत दयालु थी। उसे लगा कि उसके पिता उस पर अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी माँ से बात करने का दबाव बना रहे हैं। वे बहुत स्पष्ट थे कि वे भारत नहीं जाना चाहते थे और वे अपने पिता के साथ केन्या में रहना पसंद करते थे।

नाबालिग की सुनिश्चित इच्छा और भारत न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों को ध्यान में रखते हुए यह मेरी सुविचारित राय है कि आपको बाल न्यायालय में उन आदेशों की मांग करने के लिए जाना चाहिए जो उसकी इच्छाओं को प्रभावी करेंगे। उसे अपनी माँ से बात करने के लिए मजबूर करना और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे देखने के लिए भारत की यात्रा करना अनकही मनोवैज्ञानिक स्थिति से मिलने की संभावना है। उस पर प्रभाव। इस तथ्य को देखते हुए कि बच्चा केन्या के अधिकार क्षेत्र में है, बाल न्यायालय इस प्रकृति के आदेश जारी करने के अधिकार क्षेत्र से लैस है।

एसडी / इसाडिया हॉयड

देश समन्वयक

नैरोबी देश बाल सेवाएँ "[2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

34. ऊपर उल्लिखित दस्तावेज़ और घटनाक्रम

दिखाएँ: -

(i) पेरी ने उच्च न्यायालय को एक स्पष्ट वचन दिया था कि वह भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत होगा। उन्होंने इस न्यायालय को एक गंभीर वचन भी दिया था कि वह दिनांकित 28.10.2020 के फैसले के अलावा 28.10.2020 के आदेश का पालन करेंगे।

(ii) विविध में उठाए गए एक विशिष्ट प्रस्तुतिकरण के जवाब में

2020 का आवेदन No.2140 (ऊपर पैराग्राफ 16 में उद्धृत), पेरी द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि उन्होंने खुद को इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन कर लिया था। दिनांक 1 के आदेश में प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि पेरी द्वारा उच्च न्यायालय को दिया गया वचन इस न्यायालय को दिए गए वचन के अलावा भी जारी रहेगा।

(iii) 28.10.2020 दिनांकित निर्णय ने पेरी से नैरोबी में संबंधित न्यायालय से 'दर्पण आदेश' प्राप्त करने का आह्वान किया था ताकि दिनांकित 28.10.2020 निर्णय में निहित निर्देशों को प्रतिबिंबित किया जा सके। इसके बाद, नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय द्वारा पारित 9.11.2020 दिनांकित आदेश के साथ-साथ पेरी द्वारा दिनांकित 28.10.2020 निर्णय के पंजीकरण की मांग करने वाले प्रासंगिक आवेदन को इस न्यायालय में दायर किया गया था।

(iv) नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 9.11.2020 आदेश के माध्यम से दिए गए पंजीकरण की राशि पर विवाद था।

"मिरर ऑर्डर" की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। इस मुद्दे पर प्रस्तुतियों को दिनांकित 8.12.2020 के आदेश के पैराग्राफ 8 और 9 में निपटाया गया था। पेरी की ओर से पेश विद्वान वकील ने राय पर भरोसा किया था एम/एस द्वारा दिया गया। जी. एम. सी. अधिवक्ता जिन्होंने बदले में नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया था: आई. डब्ल्यू. पी. (शिशु) [2013] ई. के. एल. आर. का मामला यह प्रस्तुत करने के लिए कि पंजीकरण स्वयं दिनांकित 28.10.2020 के निर्णय की आवश्यकताओं के अनुपालन में एक "दर्पण आदेश" था।

पेरी की ओर से इस तरह से अग्रिम प्रस्तुतियों पर भरोसा करते हुए और उच्च न्यायालय द्वारा पारित 9.11.2020 के आदेश के सम्मान में

नैरोबी में केन्या, दिनांकित 8.12.2020 आदेश के पैराग्राफ 10 में, यह न्यायालय ने कहा कि नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के निर्णय का पंजीकरण पर्याप्त अनुपालन था

में एक सक्षम न्यायालय से जारी "दर्पण आदेश" प्राप्त करने के निर्देश केन्या।

(v) इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 28.10.2020 का निर्णय और दिनांकित 8.12.2020 का आदेश इस प्रकार इस निवेदन पर आधारित था कि श्रीमती मदन कंसागरा v.

पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित 28.10.2020 दिनांकित निर्णय को पंजीकृत करते समय पारित किया गया 9.11.2020 दिनांकित आदेश वास्तव में "दर्पण आदेश" था।

(vi) अब यह स्पष्ट होता है कि नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय ने अपने आदेश के पैराग्राफ 13 में 21.5.2021 के बाद के आदेश में कहा कि

कि इस न्यायालय का निर्णय पंजीकृत नहीं था और पेरी द्वारा दायर 30.10.2020 दिनांकित मूल समन को खारिज कर दिया।

(vii) किसी भी स्तर पर पेरी ने इस विकास को इस न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया कि इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित निर्णय के पंजीकरण की मांग करने के लिए उनके द्वारा दायर मूल समन को नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय द्वारा 21.5.2021 पर खारिज कर दिया गया था। भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करने के बाद यह पेरी का बाध्य कर्तव्य था कि वह इस न्यायालय को सभी घटनाक्रमों से अवगत रखे, विशेष रूप से जब "दर्पण आदेश" आधार था जिसके आधार पर इस न्यायालय ने उसे आदित्य की अभिरक्षा सौंप दी थी। (viii) यह उल्लंघन इस न्यायालय में दायर किए गए और ऊपर पैराग्राफ 22 में संदर्भित उनके हलफनामे में लिए गए रुख के आलोक में अधिक स्पष्ट हो जाता है। उस हलफनामे में पेरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनका इस अदालत द्वारा पारित आदेश की अवज्ञा करने का दूरगामी इरादा भी नहीं था, जिसमें दिनांकित 28.10.2020 का निर्णय भी शामिल था। फिर भी, कुछ बुनियादी और मौलिक जैसे कि 21.05.2021 दिनांकित आदेश

(ix) स्मृति द्वारा दायर 2021 के विविध आवेदन No.1167 ने उनके और पेरी के बीच आदान-प्रदान किए गए ई-मेल को संलग्न किया था और प्रार्थना की थी कि पेरी को छुट्टी तक पहुँच के संबंध में निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाए। जवाब में, यह कहने के अलावा कि उनका इस अदालत द्वारा पारित आदेशों की अवज्ञा करने का कोई इरादा नहीं था, पेरी ने आदित्य को भारत भेजने के बारे में चिंता व्यक्त की। इस देश की स्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ होने के कारण, इस न्यायालय द्वारा अपने दिनांकित 11.08.2021 आदेश में एक समाधान तैयार किया गया था और आदित्य के भारत में प्रवेश और सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए थे। विशेष रूप से 11.08.2021 पर, इस न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर नहीं खींचा गया था कि ऊपर उल्लिखित 09.08.2021 की स्थितिजन्य रिपोर्ट बनाई गई थी या इस मामले को केन्या में संबंधित अधिकारियों द्वारा देखा जा रहा था। (X) दिनांकित 11.08.2021 आदेश में जारी स्पष्ट निर्देशों के बावजूद पेरी ने आदेश का पालन करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था।

वास्तव में, जब तक मामले को 16.08.2021 पर आगे की सुनवाई के लिए लिया गया, तब तक पेरी ने इसके पक्ष में प्राधिकरण को वापस लेने की मांग की।

विद्वान वकील जो इस न्यायालय के समक्ष हर समय उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

स्मृति द्वारा 2021 की अपनी आई. ए. संख्या 100550 में की गई प्रार्थना (डी) (ई) और (एफ) की शर्तों को इस न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 17.08.2021 के आदेश के माध्यम से प्रदान किया गया था। (XIII) अंत में, 2021 की याचिका No.E301 और-पेरी की ओर से प्रस्ताव की सूचना, केन्या के उच्च न्यायालय में दायर की गई थी

नैरोबी 26.08.2021 पर। उक्त याचिका और प्रस्ताव की सूचना में पेरी द्वारा लिया गया रुख यह है कि आदित्य को ओ. सी. आई. कार्ड लेने के लिए मजबूर करना अपमानजनक होगा; कि आदित्य की इच्छाओं को इस अदालत द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया था; कि कोई वैध दर्पण आदेश नहीं था और इस अदालत द्वारा पारित आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना थे। उन्होंने घोषणा के लिए प्रार्थना की है कि कोई वैध "दर्पण आदेश" मौजूद नहीं है और इन परिस्थितियों में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश अनुपालन और/या प्रवर्तन में असमर्थ हैं।

35. ये घटनाक्रम न केवल अवज्ञाकारी और

पेरी द्वारा अब अपनायी गई आपत्तिजनक मुद्रा, लेकिन प्रथम दृष्टया स्मृति की अंतरिम आवेदनों में की गई प्रस्तुतियों का समर्थन करती है। ऊपर दिए गए पैराग्राफ 25,27 और 28। यह मानने के लिए ठोस सामग्री और कारण प्रतीत होते हैं कि यह पेरी की ओर से एक सुनियोजित साजिश थी ताकि इस अदालत को उसके पक्ष में आदेश पारित करने के लिए राजी किया जा सके और

उसे आदित्य की अभिरक्षा की अनुमति दें और फिर इस अदालत के आदेशों की अवहेलना करें।

36. यह बुनियादी बात है कि अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले पक्ष को साफ हाथों के साथ आना चाहिए, विशेष रूप से बाल अभिरक्षा मामलों में। कोई भी धोखाधड़ीपूर्ण आचरण जिसके आधार पर न्यायालय के आदेशों के तहत नाबालिग की अभिरक्षा प्राप्त की जाती है, संबंधित व्यक्ति में न्यायालय द्वारा व्यक्त विश्वास के तत्व को नकार देगा और रद्द कर देगा। जहाँ कहीं भी नाबालिग एस. एम. आर. आई. टी. मदन कंसागरा बनाम की अभिरक्षा।

पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

यदि माता-पिता या संबंधित पक्षों के बीच विवाद का मामला है, तो नाबालिग की प्राथमिक अभिरक्षा, माता-पिता के क्षेत्राधिकार में, न्यायालय के पास है जो तब अभिरक्षा को उस व्यक्ति को सौंप सकता है जो न्यायालय की नजर में सबसे उपयुक्त व्यक्ति होगा। धोखाधड़ीपूर्ण आचरण और योजना के साथ न्यायालय से ऐसी अभिरक्षा प्राप्त करने के लिए शुरू की गई कोई भी कार्रवाई न्यायालय की प्रक्रिया में धोखाधड़ी होगी। 37. अब हम कुछ ऐसे मामलों का उल्लेख कर सकते हैं जहां अदालत में धोखाधड़ी करने के बाद किसी पक्ष द्वारा अदालत से आदेश या फरमान प्राप्त किए गए थे।

(क) एस. पी. चेंगलवराय नायडू बनाम। जगन्नाथ 1 इस न्यायालय की टिप्पणियाँ निम्नलिखित प्रभाव वाली थीं: -

इस मामले की परिस्थितियों में, जगन्नाथ ने अदालत में धोखाधड़ी करके प्रारंभिक आदेश प्राप्त किया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने गड़बड़ी की और ऐसी टिप्पणियां कीं जो पूरी तरह से विकृत हैं। हम उच्च न्यायालय से सहमत नहीं हैं कि "वादी पर कोई कानूनी कर्तव्य नहीं है कि वह एक सच्चे मामले के साथ अदालत में आए और उसे सच्चे सबूत से साबित करे"। "मुकदमे की अंतिमता" के सिद्धांत को इस हद तक दबाया नहीं जा सकता है कि यह बेईमान वादियों के हाथों धोखाधड़ी का इंजन बन जाए। कानून की अदालतें पक्षों के बीच न्याय प्रदान करने के लिए होती हैं। जो अदालत में आता है, उसे साफ हाथों के साथ आना चाहिए। हम हैं।

यह कहने के लिए विवश है कि अक्सर अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। संपत्ति हड़पने वाले, कर चोरी करने वाले, बैंक-ऋण चकमा देने वाले और जीवन के सभी क्षेत्रों के अन्य बेईमान व्यक्ति। अदालत को ढूंढें -अवैध लाभ को अनिश्चित काल तक बनाए रखने के लिए एक सुविधाजनक लीवर की प्रक्रिया करें। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि एक व्यक्ति, जिसका मामला झूठ पर आधारित है, उसे अदालत का दरवाजा खटखटाने का कोई अधिकार नहीं है। मुकदमे के किसी भी चरण में उसे संक्षेप में बाहर निकाला जा सकता है।

6. वर्तमान मामले के तथ्यों में कोई संदेह नहीं है कि जगन्नाथ ने धोखाधड़ी करके प्रारंभिक आदेश प्राप्त किया था। अदालत। धोखाधड़ी जानबूझकर धोखे का एक कार्य है जिसमें दूसरे का अनुचित लाभ उठाकर कुछ हासिल करने की इच्छा होती है। यह दूसरे के नुकसान से लाभ प्राप्त करने के लिए एक धोखा है। यह एक धोखाधड़ी है जिसका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना है। जगन्नाथ चुनिलाल सौकर के साथ क्लर्क के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने अदालत में संपत्ति खरीदी।

चुनिलाल सौकार की ओर से नीलामी। उन्होंने अपनी इच्छा से पंजीकृत रिहाई विलेख (उदा. बी-15) विवादित संपत्ति के संबंध में चुनीलाल सौकर के पक्ष में। वह जानता था कि

अपीलार्थियों ने अपने स्वामी को कुल डिक्रिटल राशि का भुगतान किया था

चुनिलाल सौकार। इन सभी तथ्यों का खुलासा किए बिना, उन्होंने दायर किया

संपत्ति के विभाजन के लिए मुकदमा इस आधार पर कि उसके पास था

संपत्ति को अपनी ओर से खरीदा, न कि अपनी ओर से

चुनिलाल सौकार। गैर-उत्पादन और यहां तक कि गैर-उल्लेख

मुकदमे में रिहाई विलेख धोखाधड़ी खेलने के समान है

अदालत। हम उच्च न्यायालय की टिप्पणियों से सहमत नहीं हैं

कि अपीलार्थी-प्रतिवादी आसानी से पेश कर सकते थे

पूर्व की प्रमाणित पंजीकृत प्रति। बी-15 और वादी के लिए गैर-उपयुक्त। एक वादी, जो अदालत का दरवाजा खटखटाता है, अपने द्वारा निष्पादित सभी दस्तावेजों को पेश करने के लिए बाध्य है जो मुकदमे से संबंधित हैं। यदि वह लाभ प्राप्त करने के लिए किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज को रोकता है दूसरा पक्ष तब वह अदालत में धोखाधड़ी खेलने का दोषी होगा

साथ ही विपरीत पक्ष पर भी "।

(ख) इंडियन बैंक बनाम। सत्यम फाइबर (भारत) (पी) Ltd.5

सिद्धांतों को इस प्रकार बताया गया था: -

" 21. स्मिथ वी. ईस्ट एलो रूरल जिला। परिषद "हाउस ऑफ

लॉर्ड्स ने माना कि धोखाधड़ी का प्रभाव आम तौर पर दूषित करने के लिए होता है

कोई भी कार्य या आदेश। एक अन्य मामले में, लाज़र एस्टेट्स

लिमिटेड वी. ब्यासले, डेनिंग, एल. जे. ने कहा:

' अदालत के किसी भी फैसले, मंत्री के किसी भी आदेश की अनुमति नहीं दी जा सकती है

यदि यह धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है तो खड़ा होना। धोखाधड़ी का खुलासा

सब कुछ। '

22. भारत में न्यायपालिका के पास भी अंतर्निहित शक्तियाँ हैं, विशेष रूप से

अंतर्निहित शक्तियाँ वे शक्तियाँ हैं जो सभी न्यायालयों में निवास करती हैं, विशेष रूप से उच्च अधिकार क्षेत्र का। ये शक्तियाँ उत्पन्न नहीं होती हैं।

विधान लेकिन न्यायाधिकरणों की प्रकृति और संविधान से

या स्वयं अदालतें ताकि वे अपनी गरिमा बनाए रख सकें,

5 (1996) 5 एससीसी 550

6 [1956 एसी 736: (1956) 1 सभी ईआर 855: (1956) 2 डब्ल्यू. एल. आर. 888]

7 [(1956) 1 क्यूबी 702: (1956) 1 सभी ई. आर. 341: (1956) 2 डब्ल्यूएलआर 502] (पी पर क्यूबी। 712)

श्रीमती मदन कंसागरा बनाम। पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

इसकी प्रक्रिया और नियमों के प्रति आज्ञाकारिता सुनिश्चित करना, इसके अधिकारियों को अपमान और गलत से बचाना और अनुचित व्यवहार को दंडित करना। यह शक्ति न्यायालय के कार्य के सुव्यवस्थित प्रशासन के लिए आवश्यक है।

23. चूँकि धोखाधड़ी न्यायालय की कार्यवाही की गंभीरता, नियमितता और व्यवस्था को प्रभावित करती है और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग भी करती है, इसलिए न्यायालयों को अंतर्निहित माना गया है।

उस न्यायालय पर धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त आदेश को दरकिनार करने की शक्ति। इसी तरह, जहां अदालत को किसी पक्ष द्वारा गुमराह किया जाता है या अदालत स्वयं एक गलती करती है जो किसी पक्ष को पूर्वाग्रहित करती है, तो अदालत के पास अपने आदेश को वापस लेने की अंतर्निहित शक्ति होती है। (देखिए: बिनॉय कृष्ण मुखर्जी बनाम। मोहनलाल गोयनका 3; गजानंद शा बनाम। दयानंद ठाकुर '; कृष्णकुमार बनाम। जवांद सिंह "; देवेंद्र नाथ सरकार बनाम। राम रछपाल सिंह "; सैयद मोहम्मद। रज़ा वी। राम सरूप 1 2; बंके बिहारी लाल बनाम। अब्दुल रहमान 1 3; लक्ष्मी अम्मा चाकी अम्मा बनाम। वास्तव में, अदालत के पास अदालत में धोखाधड़ी द्वारा लाई गई बिक्री को दरकिनार करने की अंतर्निहित शक्ति भी है (ईश्वर महतन बनाम। सीताराम कुमार

या धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त समझौते को दर्ज करने के आदेश को अलग करना। (बिंदेश्वरी पी. डी. चौधरी बनाम। देबेंद्र पी. डी. सिंह 1 6; तारा

बाई वी। वी. एस. कृष्णस्वामी राव 1 7 " (ग) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम। राजेन्द्र सिंह 1 8

एस कोर्ट ने टिप्पणी की: -

" 16. इसलिए, हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उच्च स्तर की धोखाधड़ी के रूप में नए खोजे गए तथ्यों के आधार पर आदेश को वापस लेने के लिए कदम उठाने के उपाय को ऐसी स्थिति में पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण को शक्तिहीन नहीं माना जा सकता है अपने स्वयं के आदेश को याद करें यदि यह आश्वस्त है कि आदेश धोखाधड़ी या इस तरह के आयाम के गलत प्रतिनिधित्व के माध्यम से गड़बड़ हो गया था

दावा के आधार को प्रभावित करता है।

आई. आर. 1950 कैल 287] आईआर 1943 पैट 127: आई. एल. आर. 21 पैट 838]

आकाशवाणी 1947 नाग 236: आई. एल. आर. 1947 नाग 190]

एल. आर. (1926) 1 भाग्य 341: ए. आई. आर. 1926 अवध 325]

[एल. आर. (1929) 4 लक 562: ए. आई. आर. 1929 अवध 385 (एफ. बी.)] [एल. आर. (1932) 7 लक 350 ए. आई. आर. 1932 अवध 63]

ए. आई. आर. 1985 केंट 270: आई. एल. आर. 1985 कान्ट 2930]

2000) 3

एससीसी 581 [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((घ) रामचंद्र सिंह बनाम। सावित्री देवी "इस मुद्दे पर चर्चा इस प्रकार थी:

" 18. एक कपटपूर्ण गलत निरूपण को छल कहा जाता है और इसमें एक व्यक्ति को जानबूझकर या लापरवाही से झूठ पर विश्वास करने और कार्य करने के लिए प्रेरित करके नुकसान पहुंचाना शामिल है। यह कानून में धोखाधड़ी है यदि कोई पक्ष अभ्यावेदन करता है जिसे वह गलत जानता है, और चोट वहाँ से होती है, हालांकि वह उद्देश्य जिससे

जारी किए गए अभ्यावेदन खराब नहीं हो सकते हैं।

18. एक कपटपूर्ण गलत निरूपण को छल कहा जाता है और इसमें एक व्यक्ति को जानबूझकर या लापरवाही से झूठ पर विश्वास करने और कार्य करने के लिए प्रेरित करके नुकसान पहुंचाना शामिल है। यह कानून में धोखाधड़ी है यदि कोई पक्ष ऐसे अभ्यावेदन करता है जिन्हें वह गलत जानता है, और नुकसान पहुँचाता है।

वहाँ से उत्पन्न होता है हालांकि वह उद्देश्य जिससे

जारी किए गए अभ्यावेदन खराब नहीं हो सकते हैं। "

(ई) हमज़ा हाजी बनाम में। केरल राज्य 2 के मुद्दे पर इस प्रकार चर्चा की गई: -

" 10. यह सच है, जैसा कि डी ग्रे, सी. जे. ने आर. वी. में देखा है। डचेस ऑफ किंग्स्टन "कि:

" " धोखाधड़ी एक बाह्य, संपार्श्विक कार्य है, जो न्याय की अदालतों की सबसे गंभीर कार्यवाही को दूषित करता है। लॉर्ड कोक यह कहता है

सभी न्यायिक कृत्यों, चर्च संबंधी और लौकिक से बचता है।

11. धोखाधड़ी और गलती पर केर में कहा गया है कि:

" इस नियम को लागू करने में, यह मायने नहीं रखता कि विवादित निर्णय किसी निम्न अदालत द्वारा सुनाया गया है या क्षेत्र में न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, लेकिन सभी मामलों में समान रूप से यह है

प्रत्येक न्यायालय के लिए सक्षम, चाहे वह उच्चतर हो या हीन, किसी भी निर्णय को अमान्य मानने के लिए जिसे स्पष्ट रूप से दिखाया जा सकता है -

प्रकट धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त किया गया था।

12. यह भी स्पष्ट है जैसा कि किच वी में दर्शाया गया है। Walcott22 कि यह धोखाधड़ी द्वारा दूषित एक डिक्री के लिए एक पक्ष की शक्ति में होगा

सीधे अदालत को जिसने इसे खाली करने का आदेश दिया। के अनुसार

केर के लिए:

9 (2003) 8 एस. सी. सी. 319

20 (2006) 7 एस. सी. सी. 416 21 [2 स्मिथ एल. सी. 687] 22 [1929 एसी 482: 1929 सभी ई. आर. प्रतिनिधि 720:

141 एल. टी. 102 (पी. सी.)] स्मृति मदन कंसागरा बनाम। पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

" किसी निर्णय पर महाभियोग चलाने के लिए कार्रवाई को बनाए रखने के लिए, वास्तविक धोखाधड़ी दिखाई जानी चाहिए; केवल रचनात्मक धोखाधड़ी, लंबी देरी के बाद, पर्याप्त नहीं है। लेकिन इस तरह के निर्णय को केवल इस सबूत पर दरकिनार नहीं किया जाएगा कि निर्णय प्राप्त किया गया था। झूठी गवाही से "।

(7 म संस्करण देखें। , पीपी। 416-17)

3. कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम, वॉल्यूम। 49 , पैरा 265, यह है

यह जानते हुए कि:

" अभिलेख या सामान्य अधिकार क्षेत्र के न्यायालयों के पास अंतर्निहित शक्ति होती है।

खाली करना या अपने स्वयं के निर्णयों को अलग करना। पैरा 269 में आगे कहा गया है:

" निर्णय प्राप्त करने में धोखाधड़ी या मिलीभगत इसे खोलने या खाली करने के लिए एक पर्याप्त आधार है, उस अवधि के बाद भी जिस पर इसे प्रस्तुत किया गया था, बशर्ते कि धोखाधड़ी परीक्षण किए गए मामले के लिए बाहरी और संपार्श्विक थी और वास्तव में कोई मामला नहीं था। या संभावित रूप से कार्रवाई में मुद्दा "।

यह भी कहा गया है:

" अदालत में की जाने वाली धोखाधड़ी हमेशा निर्णय को खाली करने के लिए आधार होती है, क्योंकि जहां अदालत को भौतिक परिस्थितियों के बारे में धोखा दिया जाता है या गुमराह किया जाता है, या इसकी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप एक निर्णय प्रस्तुत किया जाता है जो नहीं दिया जाता अगर पूरे मामले का संचालन निष्पक्ष होता।

. अमेरिकी न्यायशास्त्र में, द्वितीय संस्करण। , खण्ड. 46 , पैरा 825, यह

कहा गया:

" वास्तव में, किसी निर्णय के साथ धोखाधड़ी का संबंध किसी निर्णय के संचालन में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के मुख्य कारणों में से एक है। इस तरह की राहत देने में समानता की अदालतों की शक्ति अंतर्निहित है, और इस आधार पर निर्णयों के खिलाफ न्यायसंगत राहत के लिए बार-बार आवेदन नए परीक्षण देने की प्रथा शुरू होने से पहले समानता में किए गए थे।

सामान्य कानून की अदालतों में।

जहां धोखाधड़ी शामिल है, यह माना गया है कि कुछ मामलों में,

अपील, त्रुटि या प्रमाणपत्र द्वारा कानून में उपचार निर्णय से समानता में राहत को नहीं रोकता है। न ही, यह कहा गया है कि धोखाधड़ी से प्राप्त निर्णय [2021] 10 एस. सी. आर. क्यों नहीं हो सकता है।

इक्विटी में एक कार्रवाई द्वारा सीधे हमले का विषय भले ही

निर्णय संतुष्ट हो गया है। "

15. भारत में कानून अलग नहीं है। साक्षय अधिनियम की धारा 44 एक पक्ष को अन्यथा पिछले निर्णय से बाध्य करके यह दिखाने में सक्षम बनाती है कि यह अंतिम या बाध्यकारी नहीं था क्योंकि यह धोखाधड़ी से दूषित है। इसलिए यह प्रावधान एक को अधिकार क्षेत्र और अधिकार देता है

इस प्रश्न पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए कि क्या एक पूर्व

न्यायनिर्णयन धोखाधड़ी द्वारा दूषित किया जाता है। परांजपे बनाम। कनाडे 2 3 यह था

मान लिया कि: (आई. एल. आर. पी. 148)

" यह किसी भी न्यायालय के लिए किसी भी निर्णय या आदेश को खाली करने के लिए हमेशा सक्षम है, यदि यह साबित हो जाता है कि ऐसा निर्णय या आदेश था प्रकट धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त; "

16. लक्ष्मी चरण साहा बनाम। नूर अली 24 ने यह अभिनिर्धारित किया कि: (आईएलआर

पी। 936)

" [टी] एक मुकदमे की सुनवाई में न्यायालय का अधिकार क्षेत्र [धोखाधड़ी से दूषित होने के रूप में पहले के निर्णय पर सवाल उठाना] इन तक सीमित नहीं था

केवल इस बात की जाँच कि क्या वादी था

प्रतिवादी की धोखाधड़ी द्वारा पूर्व विचारण में अपने मामले को ठीक से रखने से रोका गया। न्यायालय यह निर्धारित करने के लिए कि क्या धोखाधड़ी हुई थी, पूरे मामले को तोड़ सकता था और उसे करना चाहिए।

डिक्री की खरीद में "।

17. मनिंद्र नाथ मित्रा बनाम। हरि मंडल 25 द कोर्ट

पूर्व की दलील से पहले साबित किए जाने वाले तत्वों की व्याख्या की

धोखाधड़ी से दूषित होने के निर्णय को बरकरार रखा जा सकता है। अदालत ने कहा:

(एयर पी। 127)

" इस सवाल के संबंध में कि धोखाधड़ी क्या है जिसके लिए एक डिक्री को अलग रखा जा सकता है, दो प्रस्ताव प्रतीत होते हैं -

अच्छी तरह से स्थापित। पहला यह है कि हालांकि यह दिखाने की अनुमति नहीं है कि न्यायालय (पूर्व मुकदमे में) गलत था, यह हो सकता है
यह दिखाया जाए कि यह गुमराह किया गया था, दूसरे शब्दों में, जहां न्यायालय को जानबूझकर किसी पक्ष की धोखाधड़ी से गुमराह किया गया है और न्यायालय पर अपना निर्णय प्राप्त करने के इरादे से धोखाधड़ी की गई है, तो यह उसके निर्णय को दूषित कर देगा। दूसरा यह है कि

कि किसी डिक्री को केवल इस आधार पर दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि उसे झूठे साक्षय द्वारा प्राप्त किया गया है:

3 [आई. एल. आर. (1882) 6 बम 148]4 [आई. एल. आर. (1911) 38 कैल 936: 15 सीडब्ल्यूएन 1010]

[(1919) 24 सीडब्ल्यूएन 133:

एयर 1920 कैल 126] स्मृति मदन कंसागरा बनाम। पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

18. इस स्थिति को उसी उच्च न्यायालय द्वारा इस्माइल उद्दीन विश्वास बनाम में दोहराया गया था। शाजोरान नेसा बेवा26। यह माना गया था कि: (एयर पी। 650)

" [यह नहीं दिखाया जाना चाहिए कि अदालत में कार्यवाही के संबंध में धोखाधड़ी की गई थी और डिक्री को दिखाया जाना चाहिए

किसी प्रकार की धोखाधड़ी का अभ्यास करके प्राप्त किया गया है,

न्यायालय: "

19. नेमचंद तांतिया बनाम। किशनचंद चेल्लाराम (भारत) Ltd.27 का मानना था कि: (सी. डब्ल्यू. एन पी. 740)

" एक डिक्री को एक नई कार्रवाई द्वारा फिर से खोला जा सकता है जब इसे पारित करने वाली अदालत को धोखाधड़ी से गुमराह किया गया था, लेकिन इसे फिर से नहीं खोला जा सकता है जब अदालत बस गलत है; जब डिक्री को झूठे सबूतों पर भरोसा करके पारित किया गया था, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि अदालत

गुमराह किया गया था "।

20. इस प्रश्न पर अधिकारियों को गुणा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह मामला पहले के अवसरों पर इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया है। एस. पी. चेंगलवराय नायडू बनाम

जगन्नाथ 28 इस न्यायालय ने कहा कि: (एस. सी. सी पी. 2, पैरा 1)

" यह कानून का तय प्रस्ताव है कि अदालत में धोखाधड़ी करके प्राप्त कोई निर्णय या डिक्री अमान्य है और कानून की नजर में गैर-कानूनी है। प्रथम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस तरह के निर्णय/डिक्री को प्रत्येक न्यायालय, चाहे वह उच्चतर हो या हीन, द्वारा अमान्य माना जाना चाहिए। इसे किसी भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है, यहां तक कि संपार्श्विक कार्यवाही में भी।

अदालत ने आगे कहा कि उस मामले में उच्च न्यायालय पूरी तरह से गलत था जब उसने कहा कि वादी पर एक सच्चे मामले के साथ अदालत में आने और उसे सही सबूत से साबित करने का कोई कानूनी कर्तव्य नहीं था। उनके प्रभुओं ने कहा: (एस. सी. सी पी. 5, पैरा 5)

" कानून की अदालतें पक्षों के बीच न्याय प्रदान करने के लिए होती हैं। जो अदालत में आता है, उसे साफ हाथों के साथ आना चाहिए। हम यह कहने के लिए विवश हैं कि अक्सर अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। संपत्ति हड़पने वाले, कर

आईसी 897: ए. आई. आर. 1931 कैल 649 (2)]

59) 63 सीडब्ल्यूएन 740: ए. आई. आर. 1959 कैल 776]94) 1 एससीसी 1: 1993 पूरक (3) एससीआर 422] [2021] 10 एससीआर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चोरी करने वाले, बैंक ऋण चुकाने वाले और अन्य बेईमान व्यक्ति

जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग अवैध लाभ को अनिश्चित काल तक बनाए रखने के लिए अदालत की प्रक्रिया को एक सुविधाजनक साधन मानते हैं। हमें यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि एक व्यक्ति, जिसका मामला झूठ पर आधारित है, उसके पास कोई नहीं है

अदालत में जाने का अधिकार। मुकदमे के किसी भी चरण में उसे संक्षेप में बाहर निकाला जा सकता है।

21. राम प्रीति यादव बनाम। यू. पी. बोर्ड ऑफ हाई स्कूल और

इंटरमीडिएट शिक्षा 29 इस न्यायालय ने संबंधित को उद्धृत करने के बाद

दोहराया कि धोखाधड़ी सभी न्यायिक कृत्यों से बचती है। ए. पी. बनाम राज्य में इस न्यायालय के टी. सूर्यचंद्र राव 3 2 ने पहले के फैसलों का उल्लेख करने के बाद कहा कि किसी सामग्री दस्तावेज का दमन भी न्यायालय में धोखाधड़ी के बराबर हो सकता है। इसने भी उद्धृत किया (एस. सी. सी. पी. में। 155, पैरा 16) लाजरस एस्टेट में लॉर्ड डेनिंग की टिप्पणियाँ लिमिटेड वी. बीज़ली 3 3 कि: (सभी ई. आर. पी. 345 सी)

" अदालत के किसी भी फैसले, मंत्री के किसी भी आदेश को खड़े होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, अगर यह धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है। धोखाधड़ी का खुलासा

सब कुछ "।

22. स्टोरीज इक्विटी ज्यूरिसप्रूडेंस, 14 वें संस्करण के अनुसार। , खण्ड.

1 , पैरा 263:

" वास्तव में, समता न्यायालय के अर्थ में, धोखाधड़ी में उचित रूप से ऐसे सभी कार्य, चूक और छिपाव शामिल हैं जिनमें कानूनी या न्यायसंगत कर्तव्य, विश्वास या विश्वास का उल्लंघन शामिल है, जो न्यायसंगत रूप से व्यक्त किए गए हैं, और दूसरे के लिए हानिकारक हैं, या जिनके द्वारा अनुचित कार्य किए गए हैं।

और दूसरे का अवैज्ञानिक लाभ उठाया जाता है।

23. पैच वी में। वार्ड 34 सर जॉन रोल्ट, एल. जे. ने कहा कि:

" धोखाधड़ी वास्तविक सकारात्मक धोखाधड़ी होनी चाहिए, पक्षकारों और अदालत को मामले के वास्तविक तथ्यों की अज्ञानता में रखने के लिए एक सुविचारित और जानबूझकर साजिश, और उस साजिश द्वारा उस डिक्री को प्राप्त करना।

9 [(2003) 8 एससीसी 311: 2003 मान लीजिए (3) एससीआर 352] [(1956) 1 सभी ईआर 341: (1956) 2 डब्ल्यूएलआर 502: (1956) 1 क्यू. बी. 702 (सीए)]

1 [(1994) 1 एस. सी. सी 1: 1993 पूरक (3) एस. सी. आर. 422] -2 [(2005) 6 एस. सी. सी. 149]

3 [(1956) 1 सभी ईआर 341: (1956) 2 डब्ल्यूएलआर 502: (1956) 1 क्यू. बी. 702 (सी. ए.)] 4 [(1867) 3 सीएच ऐप 203:

18 एल. टी. 134] स्मृति मदन कंसागरा बनाम। पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

24. भौराव दगडू परालकर बनाम में यह न्यायालय। की स्थिति महाराष्ट्र 3 5 ने माना कि: (एस. सी. सी पी. 607)

" किसी सामग्री दस्तावेज का दमन भी अदालत में धोखाधड़ी के बराबर होगा। हालाँकि, लापरवाही धोखाधड़ी नहीं है लेकिन यह हो सकती है।

धोखाधड़ी पर सबूत हो "।

25. इस प्रकार, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यदि वन न्यायाधिकरण से पूर्व आदेश अपीलार्थी द्वारा गलत साबित होने पर प्राप्त किया गया है। साक्षय, कि स्वयं न्यायालय को प्रमाण या समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करने में या संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत सक्षम नहीं बनाएगा।

भारत का संविधान, पहले के आदेश को शून्य पर स्थापित करने के लिए। लेकिन अगर अदालत को पता चलता है कि अपीलार्थी ने पहले अपना मामला स्थापित किया था वन न्यायाधिकरण एक झूठी याचिका पर या एक दावे पर जिसे वह जानता था

झूठे और दबाए गए दस्तावेज़ या लेन-देन जो उसके दावे को तय करने में प्रासंगिकता, धोखाधड़ी के बराबर होगी। इस मामले में, अपीलार्थी ने 1968 के दस्तावेज़ संख्या 2685 दिनांक 1 के तहत वर्ष 1968 में लगभग 55 एकड़ जमीन खरीदी थी। वन न्यायाधिकरण के समक्ष अपने साक्षय के अनुसार भी उन्होंने अपने भाई को दिनांक 1 के एक विलेख के तहत 5 एकड़ जमीन उपहार में दी थी। इसके अलावा, राज्य के अनुसार, उन्होंने 55.25 एकड़ की सीमा में से 49.93 एकड़ की सीमा को बेच दिया था

वर्ष 1971 और 1972 के दौरान विभिन्न बिक्री विलेख। हालांकि,

बिक्री विलेखों का विवरण जैसे पंजीकृत की संख्या

दस्तावेज़, बिक्री की तारीखें, हस्तांतरणकर्ताओं के नाम, शामिल सीमाएँ और प्राप्त विचार राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा के लिए अपने आवेदन में निर्धारित किए गए थे, एक सामान्य इनकार को छोड़कर, अपीलार्थी लेन-देन को विशेष रूप से अस्वीकार नहीं कर सकता था और न ही कर सकता था। इस न्यायालय में भी यही मामला है, जहां जवाबी हलफनामे में, इन लेन-देनों का विवरण राज्य द्वारा निर्धारित किया गया है और अपीलार्थी द्वारा दायर प्रत्युत्तर में, इन लेन-देनों या उन लेन-देनों में शामिल सीमा का कोई विशिष्ट खंडन नहीं है। इसलिए, यह बिना किसी संदेह के स्थापित हो जाता है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थी ने इस तथ्य को दबा दिया कि उसने पंजीकृत दस्तावेज के तहत अपने द्वारा खरीदी गई लगभग पूरी संपत्ति के साथ भाग लिया था, जिसके माध्यम से उसने वन न्यायाधिकरण के समक्ष याचिका अनुसूची संपत्ति के स्वामित्व का दावा किया था। दूसरे शब्दों में, जब उन्होंने दावा किया कि उनके पास 20 एकड़ भूमि का अधिकार है और वह राज्य में निहित नहीं है और

वैकल्पिक रूप से, वह ईमानदारी से भूमि पर खेती करने का इरादा रखता था और उस भूमि पर खेती कर रहा था, वास्तव में, उस भूमि पर उसका कोई अधिकार या अधिकार नहीं था। न्यायाधिकरण ने पाया था कि भूमि एक निजी वन थी और इसलिए अधिनियम के तहत निहित है। न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी को

केवल अधिनियम की धारा 3 (3) के आधार पर राहत प्रदान की थी, जिसमें प्रावधान किया गया था कि किसी मालिक द्वारा स्वामित्व के वैध पंजीकृत दस्तावेज के तहत रखे गए निजी वन का इतना विस्तार नियत दिन से पहले निष्पादित किया गया था और इसका उद्देश्य था -

उसके द्वारा खेती की जाती है और जो केरल भूमि की धारा 82 के तहत उस पर लागू छत क्षेत्र की सीमा से अधिक नहीं है।

सुधार अधिनियम को छूट दी जा सकती है। इसलिए, जब तक अपीलार्थी के पास आवेदन अनुसूची भूमि का अधिकार नहीं होता और वह यह साबित नहीं करता कि वह स्वयं उस भूमि पर खेती करना चाहता है, वह अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत आदेश का हकदार नहीं होता। यह स्पष्ट है कि जब उसने दावा किया था, तो अपीलार्थी के पास न तो भूमि पर अधिकार था और न ही अधिकार। उसकी ओर से कोई इरादा नहीं हो सकता था

उस भूमि पर खेती करें जिसके साथ वह पहले ही अलग हो चुका था और जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं था। इसलिए, अपीलार्थी ने यह कहते हुए न्यायालय में धोखाधड़ी की कि वह आवेदन अनुसूची संपत्ति का स्वामित्व धारक है और वह आवेदन अनुसूची भूमि के अपवर्जन के लिए आदेश प्राप्त करते समय उसी पर खेती करने का इरादा रखता है। यह केवल झूठे सबूतों का मामला नहीं था। यह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य का दमन और एक गैर-मौजूद तथ्य पर दावे की नींव थी। यह जानबूझकर और जानबूझकर धोखा देने के इरादे से किया गया था। इसलिए, उच्च की खोज

स्पष्ट रूप से स्थापित है। यह अपीलार्थी का केवल झूठा दावा करने या झूठे साक्षय के आधार पर निर्णय प्राप्त करने का मामला नहीं था। यह एक ऐसा मामला था जिसमें राहत के अधिकार के एक मौलिक तथ्य पर, उन्होंने जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारी को दबाकर और एक झूठा दावा करके अदालत को गुमराह किया था, जो उनकी जानकारी के लिए गलत था, और एक ऐसा दावा जिसका वे जानते थे कि वास्तव में या कानून पर कोई आधार नहीं था। अतः यह स्पष्ट है कि वन न्यायाधिकरण का आदेश अपीलार्थी द्वारा धोखाधड़ी करके प्राप्त किया गया था और उक्त आदेश धोखाधड़ी से दूषित है। तथ्य यह है कि उच्च न्यायालय ने पहले के अवसर पर या तो उससे संपर्क करने में देरी के आधार पर या इस आधार पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि समीक्षा बनाए रखने योग्य नहीं थी, उस ओर से दायर न्यायालय को पहले के आदेश को धोखाधड़ी से दूषित घोषित करने से नहीं रोका जा सकता है।

श्रीमती मदन कंसागरा बनाम। पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

26. उच्च न्यायालय ने, अभिलेख न्यायालय के रूप में, अपने

इस प्रकार वन न्यायाधिकरण के आदेश को शून्य करने की अधिकारिता अपीलार्थी द्वारा यह पता लगाकर प्राप्त किया जाता है कि यह धोखाधड़ी से दूषित होता है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए न्यायालय के पास उस निर्णय को पूर्ववत करने की शक्ति है जो न्यायालय में धोखाधड़ी करके प्राप्त किया गया है।

अपीलार्थी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हमारे अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया है। जब हम उच्च न्यायालय के साथ सहमति पाते हैं कि उसके द्वारा प्राप्त आदेश है

धोखाधड़ी से दूषित, यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने से इनकार करके उनकी सहायता करने से इनकार कर देना चाहिए

भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र। हम नहीं समझते कि इसके समर्थन में किसी भी प्राधिकरण को संदर्भित करना आवश्यक है

अशोक नगर कल्याण संघ में निर्णय को नोटिस करने के अलावा यह स्थिति। वी. आर. के. शर्मा [(2002) 1 एससीसी 749: 2001 पूरक (5) एस. सी. आर.

662] . "

(च) के. डी. शर्मा बनाम SAIL36 इस मुद्दे से निपटा गया था:

" 26. यह अच्छी तरह से तय है कि "धोखाधड़ी सभी न्यायिक कृत्यों से बचती है,

लगभग तीन शताब्दियों पहले इंग्लैंड के मुख्य न्यायाधीश एडवर्ड कोक को सांप्रदायिक या लौकिक घोषित किया गया था। संदर्भ दिया गया था

एस. पी. में इस न्यायालय के एक प्रमुख निर्णय के वकील द्वारा

चेंगलवराय नायडू बनाम। जगन्नाथ 3 7 जिसमें उद्धृत किया गया है उपरोक्त टिप्पणियों में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक निर्णय/डिक्री प्राप्त की गई

27. ए. वी. पापय्या शास्त्री बनाम में इस न्यायालय के हाल के एक फैसले का भी संदर्भ दिया गया था। सरकार. अंग्रेजी और भारतीय मामलों को ध्यान में रखते हुए, हम में से एक (सी. के. ठक्कर, जे.) ने कहा: (एस. सी. सी पी. 231 , पैरा 22)

" 22. इस प्रकार यह कानून का तय प्रस्ताव है कि अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के साथ धोखाधड़ी करके प्राप्त कोई निर्णय, डिक्री या आदेश कानून की नजर में अमान्य है। प्रथम न्यायालय या अंतिम न्यायालय द्वारा इस तरह के निर्णय, डिक्री या आदेश को प्रत्येक न्यायालय, वरिष्ठ या अन्य द्वारा अमान्य माना जाना चाहिए।

8) 12 एस. सी. सी. 481

94) 1 एससीसी 1]

07) 4 एस. सी.

सी. 221] [2021] 10 एस. सी. आर.

कमतर है। इसे किसी भी अदालत में, किसी भी समय, अपील, संशोधन, रिट या यहां तक कि संपार्श्विक कार्यवाही में भी चुनौती दी जा सकती है।

अदालत ने "धोखाधड़ी" को दूसरे का अनुचित लाभ उठाकर कुछ हासिल करने के डिजाइन के साथ जानबूझकर धोखे के कार्य के रूप में परिभाषित किया। धोखाधड़ी में एक दूसरे के नुकसान और कीमत पर लाभ होता है। यहां तक कि सबसे गंभीर कार्यवाही भी दूषित हो जाती है यदि वे धोखाधड़ी से प्रेरित होती हैं। धोखाधड़ी इस प्रकार एक बाह्य संपार्श्विक कार्य है जो सभी न्यायिक कृत्यों को दूषित करता है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या व्यक्तिगत रूप से।

39. यदि केन्सिंगटन आयकर आयोग 3 9 में उल्लिखित प्राथमिक उद्देश्य है। यह ध्यान में रखा जाता है कि एक आवेदक जो स्पष्ट तथ्यों और "स्वच्छ स्तन" के साथ नहीं आता है, वह "गंदे हाथों" के साथ अदालत की रिट नहीं रख सकता है। भौतिक तथ्यों को दबाना या छिपाना कोई वकालत नहीं है। यह एक बाजीगरी, हेरफेर, पैंतरेबाज़ी या गलत निरूपण है, जिसका न्याय और न्याय में कोई स्थान नहीं है।

विशेषाधिकार क्षेत्राधिकार। यदि आवेदक सभी का खुलासा नहीं करता है

(जी) मेघमाला बनाम। जी नरसिम्हा रेड्डी 40 इस न्यायालय ने टिप्पणी की: " 28. कानून का यह तय प्रस्ताव है कि जहां कोई आवेदक गलत तरीके से प्रस्तुत करके या सक्षम प्राधिकारी के साथ धोखाधड़ी करके आदेश/पद प्राप्त करता है, तो इस तरह के आदेश को कानून की नजर में कायम नहीं रखा जा सकता है। “ धोखाधड़ी सभी न्यायिक कृत्यों से बचती है, चर्च संबंधी या अस्थायी। (एस. पी. चेंगलवराय नायडू बनाम जगन्नाथ 1 1. लाजरस एस्टेट्स लिमिटेड बनाम। बेयसले 42 न्यायालय ने बिना किसी संदेह के कहा कि: (क्यू. बी पी. 712) "अदालत के किसी भी फैसले, मंत्री के किसी भी आदेश को खड़े होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, अगर इसे प्राप्त किया गया है

धोखाधड़ी। धोखाधड़ी सब कुछ सुलझा देती है।

-9 9 [(1917) 1 KB 486: 86 एलजेकेबी 257: 116 एलटी 136 (सीए)]

(2010) 8 एस. सी. सी. 383

1 [(1994) 1 एस. सी. सी 1: ए. आई. आर 1994 एस. सी. 853]

2 [(1956) 1 क्यूबी 702: (1956) 2 डब्ल्यूएलआर 502: (1956) 1 सभी ई. आर. 341 (सी. ए.)] स्मृति मदन कंसागरा बनाम।

पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

और महाराष्ट्र राज्य बनाम। प्रभु इस न्यायालय ने कहा कि एक रिट अदालत को अपनी न्यायसंगत अधिकारिता का प्रयोग करते हुए कानूनी धोखाधड़ी के अपराध को रोकने के लिए कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि अदालतें सद्भावना को बढ़ावा देकर न्याय करने के लिए बाध्य हैं। समानता हमेशा चालाक टालमटोल और नई सूक्ष्मताओं से कानून की रक्षा करने के लिए जानी जाती है।

कानून से बचने के लिए आविष्कार किया गया "।

30. सृष्टि धवन बनाम। शॉ ब्रदर्स 45, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया है:

(एस. सी. सी पी. 553, पैरा 20)

" 20. धोखाधड़ी और मिलीभगत सबसे गंभीर को भी दूषित करती है न्यायशास्त्र की किसी भी सभ्य प्रणाली में कार्यवाही। यह एक

मानव आचरण की अवधारणा वर्णनात्मक "।

31. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम राजेन्द्र सिंह 1 6

इस न्यायालय ने कहा कि "धोखाधड़ी और न्याय कभी भी एक साथ नहीं रहते हैं" (फ्राउस एट जस नुनक्वाम कोहेबिटेंट) और यह एक प्राचीन उक्ति है।

जिसने इन सभी शताब्दियों में कभी अपना आपा नहीं खोया है। 32. विभिन्न मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात यह है कि

बेईमानी को फल देने और धोखाधड़ी करने वाले या गलत तरीके से पेश करने वाले व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और ऐसी परिस्थितियों में अदालत को धोखाधड़ी को कायम नहीं रखना चाहिए। (विजयनगरम समाज कल्याण आवासीय विद्यालय देखें।

सोसायटी वी। एम. त्रिपुरा सुंदरी देवी 1 7, भारत संघ बनाम। एम. भास्करन 48, केंद्रीय विद्यालय संगठन बनाम। गिरधारीलाल यादव, महाराष्ट्र राज्य बनाम। रवि प्रकाश बाबूलालसिंह

परमार 50, हिमाद्री केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। कोयले का तार परिष्करण Co.5[1] और मोहम्मद। इब्राहिम बनाम। बिहार राज्य 3 2.

33. धोखाधड़ी एक आंतरिक, संपार्श्विक कार्य है, और एक गंभीर प्रकृति की धोखाधड़ी न्याय की अदालतों की सबसे गंभीर कार्यवाही को दूषित कर देगी। धोखाधड़ी एक योजना के साथ जानबूझकर धोखे का एक कार्य है

[(1994) 2 एससीसी 647: ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 2151] [(1994) 2 एस. सी. सी. 481: 1994 एससीसी (एल एंड एस) 676: (1994) 27 एटीसी 116] [(1992) 1 एससीसी 534: AIR 1992 SC 1555]

[(2007) 1 एससीसी 80: (2007) 1 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 5] [(2007) 8 एस. सी. सी. 110: ए. आई. आर 2007 एस. सी. 2798] [(2009) 8 एससीसी 751: (2009) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 929] [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धोखा दिया। यह एक धोखाधड़ी है जिसका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना है। [विमला (डॉ.) बनाम। दिल्ली प्रशासन। 53 53, इंडियन बैंक बनाम. सत्यम फाइबर (भारत) (पी) Ltd.54, ए. पी. राज्य v. टी. सूर्यचंद्र राव 5, के. डी. शर्मा बनाम। सेल 5 और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम। मधुलिका

गुरुप्रसाद दाहिर 57।

34. अदालत में धोखाधड़ी के कार्य को हमेशा गंभीरता से देखा जाता है। किसी संपत्ति के संबंध में दूसरों के अधिकारों से वंचित करने की दृष्टि से मिलीभगत या साजिश शुरू से ही लेन-देन को अमान्य कर देगी।

धोखाधड़ी और छल एक दूसरे के पर्याय हैं। हालांकि किसी मामले में धोखाधड़ी धोखाधड़ी नहीं हो सकती है, धोखाधड़ी सभी न्यायसंगत सिद्धांतों के लिए अभिशाप है और धोखाधड़ी से दूषित किसी भी मामले को गलत नहीं माना जा सकता है।

रेज़ जुडिकाटा सहित किसी भी न्यायसंगत सिद्धांत के अनुप्रयोग द्वारा स्थायी या संरक्षित। धोखाधड़ी तब साबित होती है जब यह दिखाया जाता है कि (i) जानबूझकर, या (ii) इसकी सच्चाई में विश्वास किए बिना, या (iii) लापरवाही से, लापरवाही से, चाहे वह सच हो या गलत। एक सामग्री दस्तावेज़ का दमन भी एक के बराबर होगा अदालत में धोखाधड़ी। (वीडियो एस. पी. चेंगलवराया

नायडू 58, गौरीशंकर बनाम। जोशी अम्बा शंकर परिवार

ट्रस्ट, रामचंद्र सिंह बनाम। सावित्री देवी, रोशन

दीन वी. प्रीति लाल 6 1, राम प्रीति यादव बनाम। यू. पी. बोर्ड ऑफ हाई

लिमिटेड वी. T.N.63 की स्थिति

35. किन्च वी. में। Walcott64 यह माना गया है किः

..... केवल रचनात्मक धोखाधड़ी, लंबे विलंब के बाद, किसी भी स्थिति में पर्याप्त नहीं है, लेकिन इस तरह के निर्णय को केवल इस सबूत पर दरकिनार नहीं किया जाएगा कि निर्णय झूठी गवाही द्वारा प्राप्त किया गया था।

53 [ए. आई. आर 1963 एस. सी 1572: (1963) 2 क्रि एल. जे. 434] 54 [(1996) 5 एस. सी. सी. 550]

55 [(2005) 6 एससीसी 149: ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 3110] 56 [(2008) 12 एस. सी. सी. 481]

57 [(2008) 13 एससीसी 170: (2009) 1 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 272] 58 [(1994) 1 एस. सी. सी. 1: ए. आई. आर 1994 एस. सी. 853]

59 [(1996) 3 एस. सी. सी 310: ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 2202] 60 [(2003) 8 एस. सी. सी. 319] 61 [(2002) 1 एससीसी 100: 2002 एससीसी (एल एंड एस) 97: ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 33] 62 [(2003) 8 एस. सी. सी. 311: ए. आई. आर 2003 एस. सी. 4268]

63 [(2004) 3 एससीसी 1: ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 2836]) 64 [1929 ए. सी. 482: 1929 सभी ई. आर. प्रतिनिधि 720 (पी. सी.)] स्मृति मदन कंसागरा बनाम।

पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

इस प्रकार, बहुत हद तक रचनात्मक धोखाधड़ी का पता लगाना/खोज करना

निर्णय को दरकिनार करने के लिए विलंबित चरण पर्याप्त नहीं हो सकता है झूठी गवाही द्वारा प्राप्त किया गया "।

36. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि न्यायिक कार्यवाहियों में भी, एक बार धोखाधड़ी साबित हो जाने के बाद, धोखाधड़ी खेलने से सभी लाभ प्राप्त होते हैं।

ले जाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में गैर के प्रश्न

वैधानिक उपचारों या सिद्धांत जैसे वैधानिक प्रतिबंधों का निष्पादन रेज़ जुडिकाटा आकर्षित नहीं होते हैं। किसी भी भौतिक तथ्य का दमन /

दस्तावेज़ अदालत में धोखाधड़ी के बराबर है। हर अदालत में एक

धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त अपने स्वयं के आदेश को याद करने की अंतर्निहित शक्ति इस प्रकार प्राप्त आदेश अप्रमाणित है।

(ज) बादामी बनाम। भाली की चर्चा इस प्रकार थी: -

" 29. वर्तमान में, हम इस बात का उल्लेख करेंगे कि इस न्यायालय ने किस तरह से निपटा है धोखाधड़ी की अवधारणा। एस. बी. नोरोनाह बनाम प्रेम कुमारी खन्ना

6

6

रोक-थाम और धोखाधड़ी की अवधारणा से निपटने के दौरान दो-न्यायाधीश पीठ ने कहा है: (एस. सी. सी पी. 58, पैरा 20)

" 20. यह एक पुरानी कहावत है कि एस्टोपेल घृणित होते हैं, हालांकि

ऐसा प्रतीत होता है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक निर्णय को इस रूप में माना जा सकता है एक शून्य '। (हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, वॉल्यूम देखें। 16 , 4 टी एडन। ,

पैरा 1553.) मुद्दा यह है कि धारा के तहत दी गई मंजूरी 21 , यदि इसे धोखाधड़ी या मिलीभगत से खरीदा गया है, तो यह बर्दाश्त नहीं कर सकता है।

अयोग्यता क्योंकि, अन्यथा, उच्च सार्वजनिक नीति दी जाएगी सफल मिलीभगत के लिए बंधक के रूप में "।

30. एस. पी. चेंगलवराय नायडू बनाम जगन्नाथ 67 यह न्यायालय

फैसले की शुरुआत निम्नलिखित शब्दों से हुई: (एस. सी. सी पी. 2 , पैरा

1)

सदियों पहले। यह कानून का तय प्रस्ताव है कि एक निर्णय या अदालत में धोखाधड़ी करके प्राप्त डिक्री एक अमान्य है और

यह कानून की नजर में नहीं है। ऐसा निर्णय/डिक्री-द्वारा

2) 11 एस. सी. सी. 574

30) 1 एससीसी 52: ए. आई. आर 1980 एस. सी. 193]

94) 1 एससीसी

1] [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रथम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्येक न्यायालय, चाहे वह उच्चतर हो या निम्न, द्वारा शून्य के रूप में माना जाना चाहिए। इसे किसी भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है, यहां तक कि संपार्श्विक कार्यवाही में भी।
उक्त मामले में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कानून की अदालतें पक्षों के बीच न्याय प्रदान करने के लिए हैं और जो अदालत में आता है, उसे साफ हाथों के साथ आना चाहिए।

32. सृष्टि धवन बनाम। शॉ ब्रदर्स। 68 यह राय दी गई है कि धोखाधड़ी और मिलीभगत न्यायशास्त्र की किसी भी सभ्य प्रणाली में सबसे गंभीर कार्यवाही को भी दूषित करती है। यह परिभाषित किया गया है कि छल या छल का कार्य। उपरोक्त
सिद्धांत को रोशन दीन बनाम में दोहराया गया है। प्रीति लाल 69, राम प्रीति यादव बनाम। यू. पी. बोर्ड

हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा 70 और राम

चंद्र सिंह बनाम। सावित्री देवी "1.

33. ए. पी. बनाम राज्य में टी. सूर्यचंद्र राव "ने पहले के फैसले का उल्लेख करने के बाद इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की: (एस. सी. सी पी. 155 ,

पैरा 16)

" 16. लाजरस एस्टेट्स लिमिटेड बनाम। ब्यासले 73 लॉर्ड डेनिंग

क्यू. बी. पी. में देखा गया। 712 :
‘ ..... अदालत के किसी भी फैसले, मंत्री के किसी भी आदेश को खड़ा होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, अगर यह धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है। धोखाधड़ी सब कुछ सुलझा देती है। '

इसी फैसले में लॉर्ड पार्कर, एल. जे. ने कहा कि धोखाधड़ी 'कानून द्वारा ज्ञात सभी लेनदेनों को दूषित करती है, भले ही गंभीरता की उच्च डिग्री हो' (लाज़र का मामला 74, क्यू. बी. पी. 722) "।

34. फिर भी एक अन्य निर्णय में हमज़ा हाजी बनाम। केरल राज्य "यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कोई भी अदालत खुद को धोखाधड़ी के साधन के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं देगी और कोई भी अदालत, साक्षय के नियम के माध्यम से और

8 [(1992) 1 एससीसी 534: AIR 1992 SC 1555]

[(2002) 1 एससीसी 100: 2002 एससीसी (एल एंड एस) 97: ए. आई. आर 2002 एस. सी. 33] [(2003) 8 एससीसी 311]

" 1 1 [(2003) 8 एस. सी. सी 319]

2 [(2005) 6 एस. सी. सी. 149]

3 [(1956) 1 क्यूबी 702: (1956) 2 डब्ल्यूएलआर 502: (1956) 1 सभी ईआर 341] 4 [(1956) 1 क्यूबी 702: (1956) 2 डब्ल्यूएलआर 502: (1956) 1 सभी ई. आर. 341]

[(2006) 7 एससीसी 416:

ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 3028] स्मृति मदन कंसागरा बनाम। पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

प्रक्रिया, इस तथ्य के लिए अपनी आँखें बंद करने की अनुमति दे सकती है कि इसका उपयोग धोखाधड़ी के साधन के रूप में किया जा रहा है। मूल सिद्धांत यह है कि एक पक्ष जो धोखाधड़ी का सहारा लेकर निर्णय लेता है, उसे उसके फल का आनंद लेने में सक्षम नहीं बनाया जाना चाहिए। 38. ये सभी तर्क बिल्कुल गैर-प्रशंसनीय हैं और सामान्य ज्ञान उन्हें दूर से भी सहमति नहीं देता है। यह पूरी तरह से धोखाधड़ी है। पूरी बात धोखाधड़ी की इमारत पर आधारित थी और यह कहने के लिए विशेष जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि धोखाधड़ी पर जो पिरामिड किया गया है वह नष्ट होने के लिए बाध्य है। इस संबंध में हम एक महान विचारक के एक कथन को लाभप्रद रूप से उद्धृत कर सकते हैं:

" धोखाधड़ी आम तौर पर न्याय पाने के लिए एक मोमबत्ती जलाती है और बदमाश की कलम उसकी खुद की गिरफ्तारी के लिए वारंट का संकेत देती है। "

38. हमने अदालत के एक अधिकारी के रूप में विद्वान सॉलिसिटर जनरल, स्मृति के विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री अनुनया मेहता (जिन्होंने पहले पेरी का प्रतिनिधित्व किया था) को सुना। (ए) विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि चूंकि हिरासत का आदेश पेरी द्वारा अदालत में धोखाधड़ी का अभ्यास करके प्राप्त किया गया था, नहीं

केवल 28.10.2010 दिनांकित निर्णय और 08.12.2020 दिनांकित आदेश को वापस लिया जाए, लेकिन पेरी द्वारा शुरू की गई संरक्षकता कार्यवाही को भी खारिज कर दिया जाए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पेरी द्वारा प्रदर्शित आचरण अवमानना में कार्यवाही शुरू करने और उसे एक उचित नोटिस जारी करने का आह्वान करेगा। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि आदित्य की अभिरक्षा

पेरी द्वारा प्राप्त किया गया और अवैध और अमान्य बना हुआ है। अपने निवेदन में, अब जब आदित्य केन्या में हैं, तो स्मृति द्वारा शुरू की गई कार्यवाही का बचाव करने के अलावा केन्या में कुछ कार्यवाही शुरू करनी पड़ सकती है।

केन्या में पेरी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि केन्या में भारतीय उच्चायोग स्मृति द्वारा शुरू की जाने वाली या बचाव की जाने वाली ऐसी कार्रवाई में स्मृति को सभी साजो-सामान संबंधी सहायता प्रदान करेगा।

(ख) श्री अमरजीत सिंह चांधियोक और सुश्री सोनिया माथुर, स्मृति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इन दलीलों का समर्थन किया।

विद्वान महान्यायवादी ने कहा कि इस न्यायालय द्वारा पारित 28.10.2010 दिनांकित निर्णय और 08.12.2020 दिनांकित आदेश को वापस लिया जाए और अवमानना क्षेत्राधिकार में कार्यवाही शुरू की जाए। उन्होंने आगे कहा कि जब से आदित्य की हिरासत धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी, केंद्रीय जांच ब्यूरो को धारा 361,362 और [2021] 10 एस. सी. आर. के तहत दंडनीय आपराधिक अपराध करने के लिए पेरी के खिलाफ अपराध दर्ज करने का निर्देश दिया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

363 आई. पी. सी. 76. यह भी प्रस्तुत किया गया कि विद्वान सॉलिसिटर जनरल को केन्या के अटॉर्नी जनरल से उचित अनुरोध करने के लिए कहा जाए ताकि प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके और आदित्य को जल्द से जल्द वापस लाया जा सके।

(ग) विद्वान अधिवक्ता श्री अनुनया मेहता ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि पेरी का आचरण अक्षम्य था और विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा सुझाए गए कदम का समर्थन किया।

भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में खुद को प्रस्तुत करने के बावजूद, इसका स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया लेकिन अब भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए एक रुख अपनाया गया है। इस तरह का आचरण, प्रथम दृष्टया, निश्चित रूप से कहा जा सकता है अवमानना अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई के लिए अपमानजनक आह्वान करना। इसके अलावा, पेरी द्वारा प्रासंगिक मोड़ पर भौतिक तथ्यों का खुलासा न करना।

यह भी दर्शाता है कि उन्होंने अस्वच्छ हाथों से भारतीय न्यायालयों का दरवाजा खटखटाया था।

40. पेरी द्वारा दिए गए गंभीर वचनों और नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश के आधार पर ही आदित्य की अभिरक्षा को पेरी को सौंपने का निर्देश दिया गया था, जिसे इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में एक "दर्पण आदेश" माना गया था। चूँकि पेरी द्वारा किए गए झूठे और धोखाधड़ी वाले अभ्यावेदन आधार थे, जिसके आधार पर इस न्यायालय को आदित्य की अभिरक्षा उसे सौंपने के लिए राजी किया गया था, इसलिए इस न्यायालय का कर्तव्य होगा कि वह अदालत में धोखाधड़ी करके प्राप्त किए गए आदेशों के प्रभाव और प्रभाव को हर तरह से रद्द करे। ऊपर उल्लिखित सभी निर्णय उस दिशा में इंगित करते हैं। इसलिए यह न्यायालय अपनी शक्ति के भीतर होगा और सभी आदेशों को वापस लेने के लिए न्यायसंगत होगा और यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारिता ग्रहण करना जारी रखेगा कि निचली अदालत, उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पहले जो स्थिति थी, वह बहाल हो जाए, जिसके बाद माता-पिता के अधिकार क्षेत्र में उचित निर्णय लिया जा सकता है।

41. यह सच है कि आदित्य अब केन्या में है। लेकिन उन्हें इस अदालत से धोखाधड़ी से प्राप्त आदेशों के आधार पर ही केन्या ले जाया गया था।

हमारे सुविचारित विचार में, भारतीय न्यायालय जो प्रथम संपर्क के न्यायालय थे और जिनका आदित्य पर पूर्ण अधिकार क्षेत्र था, उन्हें पेरी के धोखाधड़ीपूर्ण आचरण के परिणामस्वरूप हुई गलतियों को सुधारने के लिए ऐसी शक्ति और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखना चाहिए। यह यहाँ कहा जा सकता है 76 भारतीय दंड संहिता, 1860 स्मृति मदन कंसागरा बनाम।

पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

कि हर मोड़ पर, आदित्य का कल्याण भारतीय न्यायालयों के लिए प्राथमिक विचार था और हमेशा बना रहेगा। उनका साक्षात्कार बहुत सक्षम और योग्य सलाहकारों द्वारा किया गया था जिनकी रिपोर्ट और

आकलन रिकॉर्ड का हिस्सा रहे हैं। आदित्य का ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और इस कोर्ट द्वारा भी साक्षात्कार लिया गया था। किसी भी स्तर पर स्मृति द्वारा किसी भी दुर्व्यवहार का सुझाव या विज्ञापन आदित्य द्वारा नहीं किया गया था। आदित्य को इस देश में वापस लाए जाने के बाद, यह न्यायालय निश्चित रूप से आदित्य के कल्याण पर विचार करते हुए उसकी इच्छाओं को समझने के लिए उसके साथ उचित बातचीत करेगा।

42. परिसर में, हम निम्नलिखित दिशा-निर्देश देते हैं: -

(ए) इस न्यायालय द्वारा पारित 28.10.2020 दिनांकित निर्णय और 08.12.2020 दिनांकित आदेश को वापस लिया जाता है।

(बी) आदित्य की स्थायी हिरासत की मांग करते हुए पेरी द्वारा जिला अदालत, साकेत, नई दिल्ली में 2012 की संरक्षकता याचिका No.53 दायर की गई।

और उससे उत्पन्न होने वाली परिणामी कार्यवाही जिसमें एम. ए. टी. ए. पी. पी. (एफ. सी.) शामिल है। उच्च न्यायालय में दायर 2018 का No.30 खारिज कर दिया जाता है। (ग) अभिरक्षा देने वाले आदेशों को वापस लेने के बाद, पेरी के साथ आदित्य की अभिरक्षा को अवैध और शुरू से ही अमान्य घोषित किया जाता है।

(डी) पेरी को नोटिस जारी करें कि अवमानना की कार्यवाही क्यों की जा रही है।

16 नवंबर, 2021 को वापस करने योग्य इस न्यायालय को दिए गए गंभीर उपक्रमों का उल्लंघन करने के लिए उसके खिलाफ अधिकारिता शुरू नहीं की जाएगी। रजिस्ट्री को सुओ मोटू अवमानना मामला दर्ज करने और उसके अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता है।

(ई) सूचना अतिरिक्त रूप से स्मृति के साथ संवाद करने में पेरी द्वारा उपयोग की गई ई-मेल आईडी पर निर्देशित ई-मेल के माध्यम से दी जाएगी। विवरण.

इस संबंध में स्मृति द्वारा दो दिनों के भीतर रजिस्ट्री को प्रस्तुत किया जाएगा।

(च) केंद्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली को अपने निदेशक के माध्यम से पंजीकरण करके उचित कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया जाता है। पेरी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही और आदित्य की हिरासत को स्मृति को सौंपना।

(जी) सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली और केन्या में भारतीय दूतावास को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि आदित्य की हिरासत को सुरक्षित करने में स्मृति को हर संभव सहायता और साजो-सामान सहायता प्रदान की जाए।

(ज) पेरी द्वारा इस न्यायालय में जमा की गई 1 करोड़ रुपये की राशि में से और इस स्तर पर, कानूनी खर्च के लिए स्मृति को 1 लाख रुपये की राशि सौंपी जाएगी। शेष राशि अगले आदेश तक रजिस्ट्री में जमा रखी जाएगी।

43. इन निर्देशों के साथ, 2021 के विविध आवेदन No.1167 और संबंधित अंतरिम आवेदनों का निपटान किया जाता है।

आवेदन का

निपटारा किया गया

दिव्या पांडे